VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material

(May 2018 to February 2019)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking & Monetary Policy) 6

1.1. बैंकिंग और संबन्धित सुधार 6
1.1.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 6
1.1.2. प्रोजेक्ट सशक्त 7
1.1.3. बैंक समेकन 8
1.1.4.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण 9
1.1.5. भुगतान नियामक 10
1.1.6 विभेदीकृत बैंकिंग 11
1.1.6.1. शहरी सहकारी बैकों का लघु वित्तीय बैंकों में परिवर्तन 11
1.1.6.2 भारतीय डाक भुगतान बैंक 12
1.1.7. पूँजी संरक्षण बफर 13
1.1.8. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री 14
1.2.भारतीय रिजर्व बैंक 15
1.3. बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट 16
1.4. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 16
1.4.1.इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज संकट 16
1.5. डिजिटल अर्थव्यवस्था 17
1.5.1. UPI 2.0 का शुभारंभ 17
1.5.2. डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओम्बड्समैन) योजना 18
1.6. विधिक संस्था पहचानकर्ता 19

2. वित्तीय बाजार (Financial Markets) 21

2.1. वित्तीय बाजार के उपकरण 21
2.1.1. ट्रेजरी बिल 21
2.1.2 भारत 22 21
2.2. प्राधिकृत अपतटीय प्रतिभूति बाजार 22
2.3. बाह्य वाणिज्यिक उधार 23
2.4. सीमित देयता भागीदारी 23
2.5. रुपये की गिरती हुई कीमत 24
2.6.इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया व्यापार) 25
2.7. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां 26
2.8. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण 27
2.9. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 28
2.10. शेयर स्वैप 29
2.11. डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व 29
2.12. शेयर-प्लेजिंग 29

3. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) 31

VISION IAS

3.1. सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम 31
3.2. सकल घरेलू उत्पाद 32
3.3. सरकारी ऋण 34
3.4. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद 35

4. कराधान (Taxation) 37

4.1. वस्तु और सेवा कर नेटवर्क 37
4.1.1. GST के तहत मुनाफाखोरी-रोधी व्यवस्था 38
4.2. भारत के कर आधार का विस्तार 39
4.3. ग्लोबल डिजिटल टैक्स रूल्स 40
4.4 एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता 41
4.5.एंजेल टैक्स 41

5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) 43

5.1. व्यापार उपचार महानिदेशालय 43
5.2.भारतीय निर्यात-आयात बैंक 43
5.3. निर्यात ऋण गारंटी निगम 44
5.4. विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) 44

6. रोजगार एवं कौशल विकास (Employment and Skill Development) 45

6.1 तय अवधि के रोजगार 45
6.2. आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (PLFS) 45
6.3. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना 46
6.4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद 46
6.5. प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना 47

7. कृषि (Agriculture) 49

7.1. सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विकास 49
7.1.1. सूक्ष्म सिंचाई कोष 49
7.1.2. क्रिसिल ड्रिप इंडेक्स 50
7.1.3. वर्षा-आधारित कृषि 50
7.2. कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन और विपणन 51
7.2.1. कृषि उत्पाद बाजार समिति 51
7.2.2. ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम) 51
7.2.3. ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए दिशा-निर्देश 52
7.2.4. अनुबंध कृषि 53
7.2.5. कृषि निर्यात नीति, 2018 53
7.2.6. एगमार्क 54
7.3. फसल मूल्य निर्धारण एवं कृषक आय 55
7.3.1. गन्ना मूल्य निर्धारण 55
7.3.2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) 55

VISION IAS

7.3.3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) 56
7.4. कृषि शिक्षा एवं विस्तार 57
7.4.1. कृषि शिक्षा के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना 57
7.4.2. राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना 57
7.4.3. कृषि कल्याण अभियान 58
7.5. कृषि से संबद्ध गतिविधियां 58
7.5.1. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष 58
7.5.2. मत्स्यपालन और जलकृषि अवसरंचना विकास निधि 59
7.5.3. ब्लू इकोनॉमी 59
7.5.4. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 60
7.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ 60
7.6.1. कृषि जनगणना 60
7.6.2. अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 62
7.6.3. पोक्कली धान 62
7.6.4. इंश्योर पोर्टल 62
7.6.5. इंडस फूड 2019 62
7.6.6. स्मार्ट फूड एग्जीक्यूटिव कॉउन्सिल 63
7.6.7. विश्व खाद्य कार्यक्रम 63
7.6.8 अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 63
7.6.9 फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार 64

8 .औद्योगिक नीति और संबद्ध मुद्दे (Industrial Policy and Associated Issues) 65

8.1. ई-कॉमर्स उद्योग 65
8.1.1. ई-कॉमर्स के लिए नए नियम 65
8.2. सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति 66
8.3. चौथी औद्योगिक क्रांति 66
8.4. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग 67
8.5. भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 68
8.5.1. MSME आउटरीच कार्यक्रम 68
8.5.2. क्रिसिडेक्स सूचकांक 69
8.6. SEZ नीति रिपोर्ट 70
8.7. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा (NPCC – MINIRATNA) 70
8.8. सेवा क्षेत्र का मानकीकरण 71
8.9. विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 72
8.10. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) पर राष्ट्रीय मिशन 72
8.11. विश्व व्यापार संगठन का सूचना प्रौद्योगिकी समझौता 72
8.12. तकनीकी वस्त्र 73
8.13. उद्योग तथा आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) 73
8.14. सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा घोषित किए गए मुद्रण प्रेस 73
8.15. औषधियों का कीमत निर्धारण 74

VISION IAS

9. अवसंरचना (Infrastructure)..... 76

9.1. सड़क 76
9.1.1. सड़क सुरक्षा.....76
9.2. रेलवे.....76
9.2.1. माल भाड़ा गलियारों का परिचालन शीघ्र.....76
9.2.2. सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ अन्य पहलें.....77
9.3. विमानन क्षेत्र.....78
9.3.1. नभ (भारत के लिए अगली पीढ़ी के विमान पत्तन) निर्माण पहल 78
9.3.2. उड़ान 3.0 (उड़े देश का आम नागरिक योजना) / क्षेत्रीय संपर्क योजना 78
9.3.3. जलीय विमानपत्तन.....78
9.4. पत्तन एवं जलमार्ग 79
9.4.1. अंतर्देशीय जलमार्ग पर पहला मल्टी-मॉडल टर्मिनल.....79
9.4.2. प्रथम फ्रेट विलेज 79
9.4.3. नदी सूचना प्रणाली.....80
9.4.4. तटीय व्यापार कानून.....80
9.5. विद्युत 81
9.5.1. वेयरहाउसिंग तथा पुनर्सुधार के माध्यम से विद्युत परिसंपत्तियों का पुनरुद्धार.....81
9.5.2. स्मार्ट मीटर.....81
9.5.3. प्राप्ति ऐप.....82
9.6. लॉजिस्टिक क्षेत्रक.....82
9.7. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018.....84
9.8. अवसंरचना वित्तपोषण 84
9.8.1.INVITS और REITS 84
9.8.2. क्रेडिट एनहांसमेंट फण्ड 85
9.8.3. राष्ट्रीय आवास बैंक.....86

10. उर्जा (Energy)..... 87

10.1. रणनीतिक तेल रिजर्व 87
10.2. अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन.....87
10.3. 'पेट्रोलियम' की परिभाषा में संशोधन 88
10.4. पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र.....89
10.5. कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) 90
10.6. उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम.....90
10.7. अन्य संबंधित जानकारी 91
10.7.1. शक्ति (भारत में पारदर्शिता के साथ कोयले के दोहन और आबंटन संबंधी योजना) योजना.....91
10.7.2. उत्तम (अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाई थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल) ऐप 91
10.7.3. पतरातू सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट 91
10.7.4. राष्ट्रीय गैस ग्रिड 91
10.7.5. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना 92

VISION IAS

11. खनिज (Minerals) 93

11.1. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 93
11.2. भारत में यूरेनियम 93
11.3. जिला खनिज संस्थान 94
11.4. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास 94

12. विविध जानकारियां (Miscelleneous Tit Bits) 95

12.1. संयुक्त राष्ट्र-भारत व्यापार मंच 95
12.2. वित्तीय आसूचना इकाई- भारत 95
12.3. डिजिटल नॉर्थ-ईस्ट विजन 2022 95
12.4. मोबिलाइज योर सिटी 95
12.5. स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग इंडेक्स, फॉरवर्ड-स्टार्टिंग, इनकम-ओनली सिक्योरिटीज- सेल्फी 96
12.6. डेटा स्थानीयकरण 96
12.7. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 96
12.8. विद्यालक्ष्मी पोर्टल 96
12.9. संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार 97
12.10. समाधान पोर्टल 97
12.11. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना 97
12.12. पैसा पोर्टल 97
12.13. स्वायत्त एवं स्टार्ट-अप रनवे 98
12.14 री-वीव.इन 98
12.15 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 98
12.16. ट्रेन-18 98

13. रिपोर्ट्स / सूचकांक (Reports / Indices) 99

VISION IAS

1. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking & Monetary Policy)

1.1. बैंकिंग और संबन्धित सुधार

(Banking & Related Reforms)

1.1.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

(Insolvency and Bankruptcy Code)

(Insolvency and Bankruptcy Code)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की संवैधानिकता वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने इस संहिता की सम्पूर्णता में इसकी संवैधानिक वैधता को मान्यता प्रदान की है।

IBC की प्रमुख विशेषताएं

कार्पोरेट्स एवं सीमित देयता भागीदारियों हेतु वित्तीय दबावों के शीघ्र पहचान एवं समाधान के लिए स्पष्ट एवं तीव्र प्रक्रिया	**भिन्न समाधान प्रक्रिया** : फ्रेश स्टार्ट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन	**प्राधिकरणों के सबंध** में अधिनिर्णयन: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT)	**विनियामक: IPs, IPAs &** इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ के लिए भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड	**भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड** समाधान प्रक्रिया (इन्सॉल्वेंसी प्रोसीडिंग) और IPAs/IUs जैसी इकाइयों की निगरानी करता है। इसमें वित्त मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और RBI के प्रतिनिधि होते हैं	**दिवाला पेशेवर (IPs)** : दिवाला समाधान प्रक्रिया के वाणिज्यिक पहलुओं से निपटने हेतु	**दिवाला पेशेवर एजेंसी (IPAs)** : **IPs** के लिए पेशेवर मानकों और आचार संहिता का विकास करना	**इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़**: इन्सॉल्वेंसी तथा बैंकरप्सी प्रक्रियाओं में प्रयोग हेतु वित्तीय सूचनाओं को संसाधित करना

IBC के तहत उठाए जाने वाले कदमों का अनुक्रम क्या है?

डिफॉल्ट के पहले ही दिन समाधान प्रक्रिया (इन्सॉल्वेंसी प्रोसीडिंग) को आरम्भ करने हेतु एक ऋणदाता या एक उधारकर्ता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और डेल्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) में जा सकता है। NCLT/DRT के लिए 14 दिन के भीतर याचिका को स्वीकृत या अस्वीकृत करना अनिवार्य है।

→

एक बार मामला दर्ज हो जाने के बाद, उधारकर्ता ऋणदाताओं की समिति (COC) का गठन करेंगे, एक IP की नियुक्ति करेंगे जो अंतरिम अवधि के लिए उधारकर्ताओं की कंपनी का संचालन करेगा।

→

COC के लिए 180 दिनों के भीतर एक ऋण पुनर्गठन योजना पर निर्णय लेना अनिवार्य है। अंतिम समाधान योजना में पहुंचने के लिए ऋणदाताओं को 90 दिन अतिरिक्त दिए जाएंगे।

→

(वोटिंग के माध्यम से) तो COC ऋण पुनर्गठन के साथ आगे बढ़ेगी। अन्यथा, 180 दिनों के पश्चात कंपनी उधारकर्ता की परिसंपत्तियों का परिसमापन (liquidation) कर दिया जाएगा।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की समीक्षा हेतु कॉर्पोरेट मामलों के सचिव **इंजेती श्रीनिवास** की अध्यक्षता में गठित पैनल की अनुशंसाओं के आधार पर, अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:
- **समाधान हेतु आवेदक (रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स) बनने के लिए अयोग्य व्यक्ति:** विलफुल डिफाल्टर्स, ऐसे प्रमोटर/कंपनी के प्रबंधन जिनके खातों को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है

अथवा समाधान (रेज़ोल्यूशन) प्रक्रिया में भाग लेने से अयोग्य घोषित निदेशक को प्रतिबंधित करने हेतु धारा 29A को अंतःस्थापित किया गया था।

- **गृह खरीदारों को वित्तीय लेनदार के रूप में माना जाएगा,** जो उन्हें डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध दिवालिया न्यायालय में वाद दायर करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- **'संबंधित पक्ष'** (प्रमोटरों/परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित संस्थाएं) को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।
- **मतदान सीमा का पुन: अंशांकन:** कमेटी ऑफ़ क्रेडिटर्स द्वारा निर्णय लेने में तीव्रता लाने हेतु 66% वोट शेयर (जो पूर्व में 75% था) द्वारा टर्नअराउंड स्कीम/परिसमापन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।
- **कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन के लिए आवेदन को वापस लेना:** इससे पूर्व, NCLT में एक बार दायर और स्वीकृत, किसी आवेदन को वापस नहीं लिया जा सकता है। इसके विपरीत वर्तमान में यदि इसे लेनदारों के 90% द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया के लिए आवेदन को वापस लिया जा सकता है।
- **सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को संरक्षण प्रदान करना:** MSME को IBC के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है (जैसे कि समाधान प्रक्रिया से प्रमोटरों की अयोग्यता से संबंधी छूट)।

IBC से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- IBC के अनुसार, **बकाया के आधार पर परिचालन ऋणदाताओं को वित्तीय ऋणदाताओं से नीचे रैंक प्रदान की गई है।** इसे अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के अनुसार लेनदारों के दो वर्गों के मध्य एक स्पष्ट विभेद (intelligible differentiation) की स्थापना के द्वारा **अनुच्छेद 14 का यह उल्लंघन समाप्त किया जा सकता है।**
- इसके साथ ही, SC ने अधिनियम की **धारा 12 की वैधता को बनाए रखा है, जो दिवाला समाधान प्रक्रिया की समय सीमा को निर्धारित करती है।** इनसॉल्वेंसी से संबंधी वाद को वापस लेने की अनुमति प्रदान करने की सीमा विधायिका के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।

परिचालन और वित्तीय लेनदार

- **वित्तीय लेनदार** वे व्यक्ति होते हैं जिनका कंपनी के साथ संबंध एक शुद्ध वित्तीय अनुबंध के रूप में होता है, जैसे ऋण या ऋण सुरक्षा।
- **परिचालन लेनदार** (असुरक्षित लेनदार) किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता और उसके द्वारा प्रदान की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किया जाने वाला भुगतान अभी बकाया है।
- लेन-देन की प्रकृति (अर्थात विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन-देन या दैनिक कार्यों से संबंधित लेन-देन) के आधार पर **IBC द्वारा एक वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार के मध्य अंतर किया गया है।**

1.1.2. प्रोजेक्ट सशक्त

(Project Sashakt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक समग्र योजना **'प्रोजेक्ट सशक्त'** की घोषणा की।

प्रोजेक्ट सशक्त के बारे

इसका उद्देश्य बैंकों दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को **बनाए रखने और पुनर्प्राप्त करने तथा दीर्घावधि में ऋण व्यवस्था (क्रेडिट कल्चर) और क्षमता को सुदृढ़ बनाना है।**

- दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु **सुनील मेहता समिति** द्वारा अनुशंसित **पांच-सूत्रीय रणनीति**:
- **लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) समाधान दृष्टिकोण:** यह 90 दिनों के भीतर बैंक स्तर पर निपटाए जाने हेतु 50 करोड़ तक के ऋण जोखिम के लिए लागू होगा।
- **बैंक-संचालित समाधान दृष्टिकोण:** इसके अंतर्गत 50 से 500 करोड़ रुपये तक के बैड लोन हेतु बैंकों द्वारा इंटर क्रेडिटर समझौते पर हस्ताक्षर किया जायेगा, जिनके द्वारा 180 दिनों के भीतर एक प्रस्ताव योजना तैयार करने हेतु एक लीड बैंक को अधिकृत किया जायेगा या जिसके असफल होने पर दिवाला कार्यवाही हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को भेजा जाएगा।
- **संपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company: AMC) / वैकल्पिक निवेश फंड (alternative investment funds: AIF) संचालित समाधान दृष्टिकोण:** इसके तहत, 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों के लिए, समिति द्वारा स्वतंत्र संपत्ति प्रबंधन कंपनी की अनुशंसा की गयी है जिसे क्षेत्र आधारित वैकल्पिक निवेश फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

VISION IAS

- **NCLT/IBC दृष्टिकोण:** यदि अन्य विकल्प विफल होते हैं तो यह दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) का उपयोग किया जाएगा।
- **एसेट-ट्रेडिंग प्लेटफार्म:** निष्पादित और गैर-निष्पादित दोनों परिसंपत्तियों के व्यापार के लिए का इसका निर्माण किया जाना चाहिए।
- यह योजना समाधान प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी ,**सरकारी हस्तक्षेप शामिल नहीं है** और यह पूर्णत बैंकों द्वारा संचालित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह विश्वसनीय दीर्घकालिक बाह्य पूंजी को सक्षम बनाएगा और परिसंपत्तियों के लिए एक बाजार का निर्माण करेगा।
- हालांकि, ऋणदाताओं के मध्य **आम सहमति के अभाव** के कारण बैंक लेड रेज़ोल्यूशन एप्रोच (BLRA) अतीत में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, ARCs के लिए बड़े NPAs खरीद हेतु, इसे **व्यापक पैमाने पर संसाधन जुटाने की आवश्यकता होगी,** जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्राय: **बैंक और ARCs द्वारा उद्धृत मूल्य के मध्य समानता नहीं होती है।** इस योजना के सफल होने के लिए इस प्रकार के मुद्दों का कठोरता से समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियां (Stressed Assets)

- यह एक व्यापक शब्द है और इसमें गैर-निष्पादित आस्तियां (NPAs), पुनर्गठित ऋण (Restructured loans) और अपलिखित आस्तियां (Written-off Assets) शामिल हैं।
- **पुनर्गठित ऋण** (Restructured loans)**:** वे परिसंपत्तियाँ/ऋण जिन्हें पुनर्भुगतान के लिए लंबी अवधि प्रदान करके, ब्याज को कम करके अथवा इक्विटी में परिवर्तित करके पुनर्गठित किया जाता है।
- **अपलिखित आस्तियां (Written-off Assets)**: वे परिसंपत्तियाँ/ऋण जिनकी गणना बकाया के रूप में नहीं की जाती हैं, किन्तु शाखा स्तर पर वसूली के प्रयास जारी रहते हैं। ये प्रयास बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट के परिशोधन के लिए किए जाते हैं।

गैर-निष्पादित आस्तियां (NPA)

- यह एक ऐसा ऋण या अग्रिम है **जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों या उस से अधिक की अवधि के लिए बकाया हो। कृषि संबंधी ऋण के मामले में**, NPA अल्प अवधि की फसल (2 क्रॉप सीजन से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है) और दीर्घावधिक फसलों (1 क्रॉप सीजन के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है) के लिए भिन्न होता है।
- बैंकों द्वारा NPAs को अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और हानिगत आस्तियों में वर्गीकृत करना आवश्यकता होता है।
  - **अवमानक आस्तियां (Sub-standard assets):** ऐसी आस्तियां जो 12 माह अथवा कम अवधि तक NPA के रूप में बनी रहती हैं।
  - **संदिग्ध आस्तियां (Doubtful assets):** ऐसी आस्तियां जो 12 माह की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं।
  - **हानिगत आस्तियां (Loss assets):** हानिगत आस्तियों से आशय उन आस्तियों से हैं जिन्हे वसूला नहीं जा सकता (uncollectible) हो और जिनका मूल्य इतना कम होता है कि बैंक-ग्राह्य संपत्ति के रूप में इसकी निरंतरता को प्रामाणिक नहीं माना जाता है, हालांकि इनका कुछ निस्तारण अथवा पुनर्प्राप्ति मूल्य हो सकता है।

1.1.3. बैंक समेकन (Bank Consolidation)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा निर्णय यह लिया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को **"समामेलित या एकीकृत"** करके एक नई इकाई के रूप में **भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक** बनाया जाएगा।

समामेलन (Amalgamation) और विलय (Merger)

- विलय में, दो या दो से अधिक कंपनियाँ / इकाइयां एकीकृत होकर या तो एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं अथवा एक मौजूदा कंपनी अन्य लक्षित कंपनियों को अधिगृहीत करती है। जैसे- दो कंपनियों टाटा स्टील और यूके स्थित कोरस ग्रुप का समेकन टाटा स्टील के रूप में हुआ।
- समामेलन एक प्रकार का विलय है जिसमें दो अथवा दो से अधिक कंपनियां अपने व्यवसायों को एकीकृत कर पूर्णत: एक **नई इकाई / कंपनी** का निर्माण करती हैं। जैसे- दो कंपनियां मित्तल स्टील और आर्सेलर के समेकन के परिणामस्वरूप नई इकाई आर्सेलर मित्तल का निर्माण हुआ।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- **वर्ष 1991 में गठित नरसिंहम समिति** ने भारतीय बैंकों के पुनर्गठन हेतु अनुशंसा के अनुसार 3-4 बड़े बैंकों को वैश्विक बैंकों तथा 8-10 छोटे बैंकों को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त बैंकों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- **वर्ष 2014 में पी.जे. नायक समिति** ने सुझाव दिया कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का निजीकरण या विलय कर देना चाहिए।
- वर्ष 2017 में, सरकार ने **SBI के पांच सहयोगी बैंकों और तत्पश्चात भारतीय महिला बैंक (BMB)** का भी SBI के साथ "विलय" किए जाने को स्वीकृति प्रदान की।
- पिछले वर्ष, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्तावों की जांच-पड़ताल हेतु वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में **वैकल्पिक तंत्र पैनल (Alternative Mechanism Panel)** का गठन किया।

समेकन का महत्व

- यह बढ़ते NPA के आलोक में **लागत में कटौती और अधिक दक्षता** को प्रेरित करेगा।
- **इससे ग्राहक आधार और बेहतर भौगोलिक पहुँच** में सुधार होगा। जिससे अन्य **अल्पसेवित क्षेत्रों में संसाधनों का वितरण होगा।**
- **जोखिमों का बेहतर विविधीकरण** और सुदृढ़ समग्र लाभप्रदता के माध्यम से उच्च क्रेडिट रेटिंग में योगदान।
- **वैश्विक रूप से सुदृढ़ और प्रतिस्पर्द्धी** वित्तीय संस्थान सृजित करने में सहायता प्राप्त होगी।
- एक **बड़े पूंजी आधार और उच्च तरलता** में वृद्धि करके बेसल III मानदंडों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा।
- **मानव संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि होगी।**

हालांकि, समेकन पर निर्णय करते समय बैंकों के वृहद आकार के कारण क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक पहुँच, वित्तीय समावेशन, प्रणालीगत जोखिम जैसे कारकों तथा वित्तीय बोझ और सहज मानव संसाधन अवस्थांतर (transition) पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जब तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समग्र कामकाज में महत्वपूर्ण सुधार नहीं किए जाएंगे तब तक नई इकाइयों को इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

हालिया बैंकिंग सुधार / उठाए गए कदम:

- **बैंक बोर्ड ब्यूरो (Banks Board Bureau: BBB):** इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई, इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों PSBs और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन की अनुशंसा करने तथा विकासशील रणनीतियों और पूंजी एकत्रण की योजनाओं में बैंकों को सहायता प्रदान करना है।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code:IBC)** ने आस्तियों के परिशोधन के माध्यम से बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता की है।
- पुनर्पूंजीकरण प्रयास के रूप में PSBs में **2.11 लाख करोड़ रुपये** का निवेश किया गया।
- **EASE (वर्द्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता: Enhanced Access and Service Excellence)**: यह 6 विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला सुधार एजेंडा है: (i) ग्राहक प्रतिक्रियात्मकता (ii) उत्तरदायी बैंकिंग (iii) क्रेडिट ऑफ-टेक (iv) उद्यमी मित्र के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (v) वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को विस्तृत करना (vi) ब्रांड PSB में कर्मचारियों की नियुक्ति।
- RBI द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA)
  - यदि NPAs 10% (एसेट क्वालिटी रिव्यू) से अधिक, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 9% से कम, रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) के 0.25% से कम होने (अर्थात कम लाभप्रदता) आदि की स्थिति में RBI द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्यवाई आरंभ की जा सकती है।
  - RBI बैंक पर अनेक प्रतिबंध आरोपित करता है जैसे कि तकनीकी उन्नयन के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को कम करना, लाभांश भुगतान करना, अन्य बैंकों से उधार।
- **प्रोजेक्ट सशक्त**

1.1.4.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण

(Amalgamation of Regional Rural Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नाबार्ड के परामर्शानुसार केंद्र सरकार ने **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB's) के एकीकरण के तीसरे चरण** की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ऐसी इकाइयों की संख्या में कमी की गई है।

VISION IAS

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) के संबंध में:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कृषि तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। इनकी परिकल्पना ऐसे संस्थानों के रूप में की गयी थी जो ग्रामीण प्रकृति के तथा निर्धनोन्मुख हो किन्तु जिनमे वाणिज्यिक बैंकों जैसी विशेषज्ञता भी हो।
- इसकी स्थापना **नरसिंहम कार्य समूह (1975)** की अनुशंसा के आधार पर **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के पारित होने के पश्चात की गई।
- किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक के पास **50:15:35** के अनुपात में होती है।
- RRBs के वित्तीय स्रोतों में स्वामित्वाधीन निधि, जमा, नाबार्ड, प्रायोजक बैंकों और **सिडबी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक** सहित अन्य स्रोतों से लिए गए उधार शामिल हैं।
- **CRR और SLR की अनुपालन आवश्यकताओं** के संदर्भ में, RRBs वाणिज्यिक बैंकों के समान हैं।
- हालांकि, **RRBs का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण (PSL) का लक्ष्य कुल बकाया अग्रिम का 75%** है (वाणिज्यिक बैंक के लिए PSL मानदंड 40% है)।

1.1.5. भुगतान नियामक

(Payments Regulator)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयी समिति ने एक स्वतंत्र **भुगतान नियामक बोर्ड (PRB)** की स्थापना के प्रयोजनार्थ प्रारूप **भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2018** प्रस्तुत किया है।

पृष्ठभूमि

- गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के डिजिटल भुगतान 2020 के शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार, **भारत में डिजिटल भुगतान वर्ष 2016 के 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 तक 500 बिलियन डॉलर** से अधिक हो जाएगा।
- **नचिकेत मोर समिति की रिपोर्ट (2013)** से ज्ञात हुआ है कि बैंकों की अगुआई वाली भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद लघु व्यवसायों और निम्न आय वाले परिवारों के लिए मूलभूत भुगतान सेवाओं की उपलब्धता में एक वृहद् अंतराल व्याप्त है।
- **वाटल समिति (2016)** ने भारत में भुगतान व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु RBI से स्वतंत्र एक भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का गठन करने की अनुशंसा की थी।
- **2017 के बजट** में भारत में भुगतान प्रणाली की निगरानी रखने वाले वर्तमान **'भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड'** को प्रतिस्थापित करके भारतीय रिजर्व बैंक में **भुगतान नियामक बोर्ड** का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया था।

भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक, 2018 के प्रावधान

- भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर, भुगतान प्रणाली की दक्षता और प्रत्यास्थता में सुधार, अंतर-संचालनीयता में वृद्धि और उपयोग सुगमता में वृद्धि के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से **स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) की स्थापना करना।**
- **RBI को** निपटान प्रणाली और भुगतान प्रणाली प्रदान करने के इसके कार्य के संबंध में **एक अवसंरचना संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है।**
- रिस्क बेस्ड एंड ओनरशिप न्यूट्रल ऑथराइजेशन क्राइटीरिया के माध्यम से **बैंकों और गैर-बैंकों के मध्य समानता स्थापित करना।**

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

- यह अधिनियम देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली, ATMs, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) आदि) को **विनियमित करने की शक्तियां RBI को प्रदान करता है।**
- **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems:BPSS)**, RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति है तथा देश में भुगतान तंत्रों के संबंध में नीति निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
    - **RBI का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,** बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और उसके निर्देशों का कार्यान्वयन करता है।

VISION IAS

1.1.6 विभेदीकृत बैंकिंग

(Differentiated Banking)

1.1.6.1. शहरी सहकारी बैंकों का लघु वित्तीय बैंकों में परिवर्तन

(Urban Cooperative Banks to Transition Into Small Finance Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCB) को स्वैच्छिक आधार पर लघु वित्तीय बैंकों (SFB) में परिवर्तन की अनुमति दी गयी है। आर. गाँधी की अध्यक्षता में शहरी सहकारी बैंकों पर गठित **उच्च स्तरीय समिति** द्वारा 2015 में की गई संस्तुतियों के आधार पर इस कदम को मंजूरी प्रदान की गयी है।

विभेदीकृत बैंकिंग

- **पूंजीगत आवश्यकता**, **गतिविधियों** के विषय क्षेत्र और आबादी के एक **निश्चित जनसांख्यिकीय खंड** की आवश्यकतों की पूर्ति करने के आधार पर विभेदीकृत किए जाने वाले बैंकों को विभेदीकृत बैंक या निशे बैंक (Niche Banks) कहा जाता है।
- विभेदीकृत बैंक का विचार **वित्तीय समावेशन** हेतु वर्ष 2014 में गठित नचिकेत मोर समिति द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
- इन्हें भुगतान बैंक, लघु वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, थोक और दीर्घकालिक वित्त (WLTF) बैंक आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **थोक और दीर्घकालिक वित्त (WLTF) बैंक** प्राथमिक रूप से अवसंरचना क्षेत्र और लघु, मध्यम एवं कॉर्पोरेट व्यवसायों को ऋण प्रदान करने पर केन्द्रित है।

योजना से संबंधित तथ्य

- इस योजना में 500 करोड़ रूपए निवल संपत्ति वाले तथा **जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात 9% और उससे अधिक वाले** शहरी सहकारी बैंक (UCBs), SFB में स्वैच्छिक रूप से परिवर्तित होने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- RBI से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रवर्तक **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत** अपने नाम में **पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ** 'बैंक' शब्द सम्मिलित करेंगे।
- कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए नियमित सदस्य के रूप में UCB से संबंधित तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के **दो-तिहाई बहुमत के साथ सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों/पेशेवरों के समूह** को **प्रवर्तक** माना जाएगा।
- इसके अतिरिक्त UCBs को **सभी SFB दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक** होगा।
- यह योजना अधिकांश उत्पादों (जो वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों हेतु अनुज्ञेय हैं) को उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगी तथा एक अखिल भारतीय उपस्थिति प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगी।

लघु वित्तीय बैंक (Small Finance Banks)

- ये बैंक मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे जमा स्वीकार करना और छोटे किसानों, सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यमों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्रों की बैंकिंग सेवा से रहित इकाइयों को ऋण देना।
- यह एक छोटे से क्षेत्र हेतु समर्पित बैंक हैं, प्रमुखतः अर्द्ध -शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।
- उन्हें बचत के उपायों और लघु वित्तीय इकाइयों को ऋण की आपूर्ति द्वारा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सृजित गया था।
- लघु बैंकों की न्यूनतम आरंभिक प्रदत्त इक्विटी पूंजी **15% के एक न्यूनतम विनियामकीय CRAR के साथ 100 करोड़ रूपए होगी**।
- इस प्रकार के लघु बैंकों के प्रवर्तकों का **प्रदत्त इक्विटी पूँजी में न्यूनतम आरंभिक योगदान 40 प्रतिशत** होगा (बैंक के व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि से 12 वर्षों के भीतर 26 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है)।
- उनके द्वारा नकदी आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) को बनाए रखना आवश्यक है।
- उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का 75% प्रदान करना होगा।
- एक लघु वित्त बैंक की **ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 25% शाखाएं** होनी चाहिए तथा उनके **ऋण पोर्टफोलियो के कम से कम 50% में** 25 लाख रूपए तक के ऋण होने चाहिए।

VISION IAS

शहरी सहकारी बैंक (UCB)

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के विषय में

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 के अनुसार प्राथमिक सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक या UCB) से तात्पर्य **प्राथमिक कृषि ऋण समिति से भिन्न** एक सहकारी समिति से है, जिसका
  - मुख्य व्यवसाय **बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन** हो;
  - चुकता पूँजी और आरक्षित निधि **एक लाख रूपए से कम न हो** तथा
  - जिसके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं: परंतु, यह उप-खंड किसी ऐसे सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में प्रवेश पर ऐसे कारण से लागू नहीं होगा कि सहकारी बैंक राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन से उपलब्ध कराई गई निधियों में से ऐसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी में अभिदान करता है।
- UCBs या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी संस्था अधिनियम या बहुराज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं।
- रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 (जो सहकारी समितियों पर लागू है) के प्रावधानों के तहत UCBs के बैंकिंग कार्यों का विनियमन और निरीक्षण करता है।
- समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का कुल प्राथमिक क्षेत्रक और कमजोर वर्ग हेतु ऋण का लक्ष्य क्रमशः 40% और 10% है। ANBC का 7.5% लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमों हेतु निर्धारित है।

1.1.6.2 भारतीय डाक भुगतान बैंक

(India Post Payments Bank: IPPB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

1 सितम्बर को प्रधानमंत्री ने **भारतीय डाक भुगतान बैंक** (IPPB) का शुभारम्भ किया जो ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

IPPB के बारे में

- भारतीय डाक भुगतान बैंक को भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ **डाक विभाग** के तहत कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित किया जाता है।
- 2018 के अंत तक यह अपनी सभी 1.55 लाख डाकघर शाखाओं को भारतीय डाक भुगतान बैंक सेवाओं से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क का निर्माण करेगा।

उद्देश्य

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) आदि और सभी गवर्नमेंट टू सिटीजन (G2C) लेन-देनों के तहत **सामाजिक सुरक्षा भुगतानों** हेतु एक सुरक्षित एवं विश्वसनीय भुगतान माध्यम उपलब्ध कराना।
- **सरकार** (केन्द्र, राज्य और स्थानीय) **हेतु सेवा आपूर्ति** के लिए अधिमानित भागीदार बनना।
- यह तृतीय पक्ष की वित्तीय सेवाओं जैसे बीमा, म्यूचुयल फंड्स, पेंशन, क्रेडिट कार्ड और कस्टमर एक्विजिशन जैसे ऋण एवं बीमा तक भी पहुंच प्रदान करेगा।
- **प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्रकों की आवश्यकताओं** की पूर्ति हेतु सुरक्षित, किफ़ायती और विश्वसनीय धन स्थानांतरण।
- नगरीय और ग्रामीण भारत दोनों में निर्धन एवं हाशिए पर स्थित वर्गों के आर्थिक उत्थान हेतु **सरकारी तथा निजी क्षेत्रक द्वारा उपलब्ध कराई गई एकीकृत सेवाओं के लिए एक भुगतान मंच** का प्रावधान करना।
- **मोबाइल पॉइंट ऑफ़ सेल (MPoS), मोबाइल्स, डाकघर काउंटर्स और साथ ही साथ उपभोक्ताओं तक इंटरनेट बैंकिंग लेन-देनों** सहित विभिन्न चैनलों में माध्यम से **अत्यधिक सुगम** भुगतान बैंकों का निर्माण करना तथा एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- यह **ATM डेबिट कार्ड प्रदान नहीं** करेगा, इसके स्थान पर यह अपने ग्राहकों को **QR कोड-आधारित बायोमीट्रिक कार्ड** प्रदान करेगा।

IPPB पारम्परिक बैंकों से कैसे भिन्न है?

- भुगतान बैंक एक विभेदीकृत बैंक (differentiated bank) है, जो उत्पादों की एक सीमित शृंखला प्रस्तुत करता है।

VISION IAS

- इसे **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा यह **कम्पनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत है।
- भुगतान बैंक, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम (2007), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (1999) तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम (1961) के अधीन है।
- यह प्रति ग्राहक **1 लाख रूपए तक की जमाएं स्वीकार** कर सकता है तथा बचत खाते की भांति ब्याज का भुगतान कर सकता है। यह ATM कार्ड भी जारी कर सकता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और संवैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- परम्परागत बैंकों के विपरीत, यह **न तो ऋण प्रदान कर सकता है और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है तथा इसे अपनी निधियों को सरकारी पत्रों एवं बैंक जमाओं में अभिनियोजित करना होगा।**
- **अन्य भुगतान बैंक** जिन्होंने संचालन प्रारम्भ किया है, वे एयरटेल बैंक लिमिटेड, Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हैं।

1.1.7. पूँजी संरक्षण बफर

(Capital Conservation Buffer: CCB)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बेसल III मानदंडों के अंतर्गत 'आवश्यक पूंजी संरक्षण बफर' के रूप में सुरक्षित रखी जाने वाली अतिरिक्त पूँजी की अंतिम शेष किश्त (0.625%) हेतु समय सीमा को एक वर्ष (31 मार्च, 2020 तक) तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

पूँजी संरक्षण बफर (CCB) क्या है?

- यह ऐसी **अनिवार्य पूंजी होती है** जिसे वित्तीय संस्थानों को न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता के अतिरिक्त बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- **पूँजी संरक्षण बफर (CCB)** के मानदंडों के अनुसार, बैंकों को 9% के पूँजी पर्याप्तता अनुपात के अतिरिक्त सामान्य इक्विटी के रूप में 2.5% जोखिम भारित आस्तियों (RWA) का बफर रखना होगा।
- वर्तमान में पूँजी संरक्षण बफर (CCB) 1.875% है और शेष 0.625% की पूर्ति मार्च 2019 तक की जानी थी।
- बेसल III मानदंडो की अनुशंसा के अनुसार काउंटर-साइक्लिकल बफर्स के सृजन को प्रोत्साहित कर **ऋण प्रदान करने की प्रोसाइक्लिकल (procyclical) प्रकृति को कम करने हेतु** पर्याप्त पूँजी बफर के सृजन को लक्षित करने वाले विनियमन **परिकल्पित किए गए हैं।**
- यह **हानियों और अत्यधिक या न्यून आकलित जोखिमों को कम करने हेतु** बैंकों की लोचशीलता में वृद्धि करेगा तथा **पूँजी के वितरण को प्रतिबंधित करेगा।** ये समष्टिगत स्तर पर विवेकपूर्ण उपकरणों (मैक्रो-प्रुडेंशियल) **वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिमों को सीमित** करते हैं।

प्रो-साइक्लिकल और काउंटर-साइक्लिकल लेंडिंग

- एक व्यावसायिक चक्र सिद्धांत एवं वित्त में अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति से सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध आर्थिक मात्रा **प्रो-साइक्लिकल (procyclical)** कहलाती है। 'प्रो-साइक्लिकल लेंडिंग' (Lending) से तात्पर्य यह है कि बैंक आर्थिक तीव्र वृद्धि के दौरान ऋण दरों को न्यून रखते हैं तथा बफर्स में कटौती करते हैं और इस प्रकार ऋण लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार, वे मंदी के दौरान ऋण देना कम कर देते हैं।
- इसके विपरीत, अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति से नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध आर्थिक मात्रा **काउंटर-साइक्लिकल** (Counter-cyclical) कहलाती है। 'काउंटर-साइक्लिकल लेंडिंग' (Lending) के तहत तीव्र वृद्धि की अवधि के दौरान उच्च बफर को बनाए रखा जाता है, ऋण की उपलब्धता को सीमित किया जाता है तथा इस प्रकार अर्थव्यवस्था को स्थिर (cool down) करने और घाटे की स्थिति में होने पर अर्थव्यवस्था को उभारने का प्रयास किया जाता है।
- हालांकि, एक काउंटर-साइक्लिकल नीति के अनुसरण में एक **अवसर लागत** होती है (रिज़र्व फण्ड होने पर भी अधिक ऋण प्रदान न करने में), परन्तु यह **भविष्य में होने वाली गिरावट से निपटने हेतु बाजार को भली-भांति** तैयार करता है।

VISION IAS

बैंक पूंजी के प्रकार

- **टीयर-I पूंजी:** बैंक की एक **कोर पूँजी** होती है।यह पूंजी बैंक को उसके व्यापारिक संचालनों को बंद किये बिना घाटे को सहन करने की क्षमता प्रदान कर सकती है।
- **टीयर II पूंजी :** टीयर II पूंजी बैंक की एक **अनुपूरक पूँजी** होती है। यह बैंक के परिसमापन के दौरान होने वाली क्षतियों की पूर्ति करती है और इस प्रकार जमाकर्ताओं को अपेक्षाकृत अल्प सुरक्षा प्रदान करती है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR)

- **CAR = (टियर I + टियर II पूंजी)/ जोखिम भारित आस्तियाँ**
- इसे बैंक के जोखिम भारित ऋण के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- यह बैंक की वित्तीय क्षमता की माप है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के पास **दिवालिया होने से पहले और जमाकर्ताओं की निधियों का उपयोग किये बिना घाटे की स्थिति का सामना करने हेतु पर्याप्त क्षमता है।**
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (बेसल III मानदंडों के आधार पर) किए गए निर्धारण के अनुसार **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 9%** होना चाहिए जिसमें से 7% की पूर्ति टियर-I पूँजी के द्वारा की जानी चाहिए और शेष 2% की पूर्ति टियर II पूँजी के द्वारा की जानी चाहिए।

प्रोविजनिंग संबंधी आवश्यकता

- ऋण की अपूर्ण वसूली के कारण होने वाले संभावित घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए, प्रदत्त जोखिम भारित ऋणों के अनुपात में लाभ के एक अंश को पृथक रूप से रखने को प्रोविजनिंग कहा जाता है।
- पूँजी संरक्षण बफर (CCB) एवं पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) के समान, प्रोविज़निंग भी जोखिम को रोकने के आकस्मिक उपायों में से एक है।
- विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जोखिम प्रोफाइल होती है। उदाहरण के लिए, सरकारी ऋण की जोखिम भारिता 0% होती है।
- उच्च जोखिम भारिता उधारदाताओं के लिए पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि कर उधार देने को हतोत्साहित करती है।

बेसल मानदंडों के विषय में

- **'बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न'** बैंकिंग विनियमन के लिए मानक विकसित करने हेतु **1974 में गठित** एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है।
- **इसमें 27 देशों एवं यूरोपीय संघ के** सेंट्रल बैंकर सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय **बेसल, स्विट्जरलैंड स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS) के कार्यालय में है।**
- **इसने नीतिगत अनुशंसाओं की एक पूरी शृंखला विकसित की है जिसे बेसल समझौतों के रूप में जाना जाता है।** इनके अंतर्गत वित्तीय तनाव के दौरान बैंक को पर्याप्त ऋण शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं सम्बन्धी सुझाव दिये गये।

1.1.8. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

(Public Credit Registry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), **वाई. एम. देवस्थली समिति** की अनुशंसाओं के आधार पर एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापित करने की योजना बना रहा है।

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, **क्रेडिट सूचना से संबंधित एक डेटाबेस** है, जो सभी **हितधारकों के लिए उपलब्ध** है।
- इसके अंतर्गत व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दोनों उधारकर्ताओं से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारियां एक व्यापक डेटाबेस के रूप में उपलब्ध होती हैं।
- इसे RBI जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाएगा **और उधारकर्ताओं को अनिवार्य रूप से ऋण विवरणों की सूचना देनी** होगी।
- PCR, RBI की निम्नलिखित कार्यों में सहायता करेगा :

VISION IAS

- बैंक द्वारा क्रेडिट आकलन और मूल्य निर्धारण में
- बैंक के जोखिम-आधारित प्रतिचक्रीय एवं गत्यात्मक प्रोविज़निंग (आगामी पूर्वानुमानित हानियों के भुगतान हेतु अलग से रखा गया कोष) करने में
- नियामक द्वारा पर्यवेक्षण एवं प्रारंभिक हस्तक्षेप में
- मौद्रिक नीति की कार्यप्रणाली के संचरण एवं उसकी बाधाओं को समझने में
- दबावग्रस्त बैंक ऋण का पुनर्गठन करने में

1.2.भारतीय रिजर्व बैंक

(Reserve Bank of India)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कहा गया कि वर्ष 2016-17 के लिए उसके द्वारा सरकार को 30,659 करोड़ रुपये अधिशेष (surplus) के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि यह राशि विगत वर्ष हस्तांतरित की गई राशि के आधे से भी कम है।

अन्य संबंधित तथ्य

- RBI के पास इस भंडार या अधिशेष (reserves) का एकत्रीकरण निम्नलिखित विभिन्न कारकों के माध्यम से होता है:
  - **पहला: तीन स्रोतों से प्राप्त आय**: खुले बाजार परिचालन (OMO) के संचालन हेतु रखे गए सरकारी बॉन्ड से प्राप्त ब्याज; सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम से प्राप्त शुल्क और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में निवेश से प्राप्त आय।
  - **दूसरा:** सरकार को लाभांश प्रदान करने के पश्चात प्रतिधारित आय।
  - **तीसरा:** विदेशी परिसंपत्तियों और स्वर्ण का पुनर्मूल्यन।
- इस भंडार को RBI के पास विभिन्न खातों के अंतर्गत रखा जाता हैं: आकस्मिक निधि, मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (CGRA), एसेट डेवलपमेंट फंड (ADF) और निवेश पुनर्मूल्यन खाता (IRA)।
- इस पर आयकर के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है और सरकार को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात शेष अधिशेष को हस्तांतरित करना होता है। हालांकि, RBI अधिनियम के अंतर्गत सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

RBI और इसके प्रकार्य

- **RBI अधिनियम, 1934** के प्रावधनों के तहत इसे 1935 में स्थापित किया गया था।
- RBI के सात प्रमुख प्रकार्य हैं:
  - **नोट मुद्रित करना:** RBI के पास नोटों के मुद्रित करने का एकमात्र स्वत्व अधिकार (स्वायत्तता) है। भारत सरकार के पास सिक्कों की ढलाई और एक रुपए के नोटों को निर्गम करने का एकमात्र स्वत्व अधिकार है।
  - **सरकार का बैंकर**: यह सरकार के जमा खातों का प्रबंधन करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के एक सदस्य के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ।
- वाणिज्यिक बैंक जमाओं के अभिरक्षक (कस्टोडियन) के रूप में तथा ऋण सूचना कंपनियों सहित बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य भी करता है।
- देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक तथा चालू और पूंजी खातों का प्रबंधकर्ता।
  - **अंतिम ऋणदाता:** वाणिज्यिक बैंक की आपात स्थितियों में मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति RBI द्वारा ही की जाती है।
  - **सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट**: चूँकि RBI, वाणिज्यिक बैंकों के नकद भंडार को अपने पास जमा रखता है, अत: RBI सरलता से उनके विनिमय विपत्रों (बिल ऑफ़ एक्सचेंज) को रिडिस्काउंट (निर्धारित तिथि के समाप्त होने के पूर्व परिपक्वन अवधि पर प्राप्त होने वाले मूल्य से कम मूल्य पर क्रय या विक्रय करना) कर देता है।
  - **साख नियंत्रण**: यह अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
  - RBI के गवर्नर की नियुक्त की शक्ति पूर्ण रूप से केंद्र सरकार में निहित होती है और वह केंद्र सरकार की इच्छानुसार पद (कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं) पर बना रहता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- यह एक 6 सदस्यीय समिति है जिसके द्वारा मुख्य नीतिगत दरों का निर्धारण किया जाता है।
- इसके तीन सदस्य RBI से होते हैं। इनमें गवर्नर, उप-गवर्नर और एक अन्य अधिकारी शामिल होते हैं।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले एक पैनल की अनुशंसाओं के आधार पर 3 सदस्यों का चयन केंद्र द्वारा किया जाता है।

VISION IAS

- MPC में टाई (मतों की बराबरी) की स्थिति में निर्णायक मत RBI गवर्नर के पास होता है।

1.3. बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट

(Banking Correspondents: BC)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार द्वारा सभी 2.9 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (CSCs) को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, CSCs इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के अधीन कार्यरत हैं।

बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में

- भारत में ये बैंक-रहित/अल्प बैंक सेवाओं वाले भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु एक बैंक के साथ संलग्न व्यक्ति/संस्थाएं होती हैं।
- ये बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और बैंकों की भौतिक शाखा (brick and mortar) का विकल्प प्रदान करते हैं।
- ये निम्नलिखित विभिन्न प्रकार्यों में संलग्न होते हैं:
  - उधारकर्ताओं की पहचान करना;
  - प्राथमिक सूचना/डाटा के सत्यापन सहित ऋण आवेदनों का संकलन एवं प्रारंभिक जाँच प्रक्रिया;
  - बैंको द्वारा प्रदान किए जा रहे बचत एवं अन्य उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा धन के प्रबंधन एवं ऋण परामर्श के संबंध में समझ विकसित करना और सलाह प्रदान करना;
  - बैंकों के आवेदन की प्रक्रिया का संचालन करना और उसे बैंक में जमा करना;
  - स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/संयुक्त देयता समूहों (JLGs)/ऋण समूहों/अन्य को प्रोत्साहित करना, पोषित करना एवं निगरानी करना;
  - स्वीकृति पश्चात निगरानी और वसूली की प्रक्रिया का क्रियान्वयन (फॉलो-उप),
  - लघु मूल्य के ऋण का वितरण और मूलधन की वसूली/ब्याज का संग्रहण करना
  - लघु मूल्य जमाओं का संग्रहण करना
  - सूक्ष्म बीमा/म्यूचुअल फंड उत्पादों/पेंशन उत्पादों/अन्य तृतीय-पक्ष के उत्पादों की बिक्री
  - लघु मूल्य वाले विप्रेषणों/अन्य भुगतान उपकरणों की प्राप्ति और वितरण।
- भारत में बैंक निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को BCs के रूप में संबद्ध कर सकते हैं।
  - सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, किराना (छोटी दुकानों)/मेडिकल स्टोर/उचित मूल्य दुकानों के व्यक्तिगत मालिकों, भारत सरकार/बीमा कंपनियों की लघु बचत योजनाओं के एजेंटों, ऐसे व्यक्ति जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं आदि व्यक्तियों को BCs नियुक्त किया जा सकता है;
  - सोसाइटीज/ट्रस्ट अधिनियमों या कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थापित गैर-सरकारी संगठन (NGOs)/सूक्ष्म वित्त संस्थान;
  - पंजीकृत सहकारी समितियां;
  - डाक-घर;
  - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत बड़े एवं व्यापक रिटेल आउटलेट वाली कंपनियां
  - जमा स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)

1.4. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

(Non-Banking Finance Companies)

1.4.1. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज संकट

(IL&FS Crisis)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी **'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS)'**, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, अपने ऋणों का भुगतान करने में विफल (डिफॉल्टर) रही है।

VISION IAS

IL&FS के बारे में

- **IL&FS ग्रुप देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाला एक बड़ा समूह है इसने देश के कॉर्पोरेट ऋण बाजार से अरबों डॉलर की उगाही की है।**
- IL&FS **प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार्य कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI)** है अर्थात् IL&FS में उत्पन्न होने वाला कोई भी संकट न केवल इक्विटी और ऋण बाजार को प्रभावित करेगा बल्कि राष्ट्रीय महत्त्व की विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में अकस्मात अवरोध उत्पन्न कर देगा।
- अनेक प्रमुख कॉर्पोरेट्स, बैंक, म्यूच्यूअल फंड्स, बीमा कंपनियां आदि जैसे कि LIC, HDFC और SBI, IL&FS ग्रुप के अंशधारक हैं।

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है जो किसी बैंक की कानूनी परिभाषा को पूरा किए बिना वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।

- एक NBFC सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों, पट्टे, किराया-खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट **व्यवसाय आदि द्वारा जारी ऋण और अग्रिमों,** शेयरों/स्टॉक/बॉन्ड/डिबेंचर/प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संलग्न हो सकती है।
- इसमें **ऐसी कोई भी संस्था शामिल नहीं होती है** जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी वस्तु (प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) की क्रय/बिक्री और अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण करना हो।
- ये या तो **जमाओं** (RBI पंजीकरण की आवश्यकता) या **गैर-जमाओं** को स्वीकार कर सकते हैं।
- NBFC बैंकों से भिन्न होते हैं:
  - ये केवल **सावधि जमाओं को स्वीकार कर सकते** हैं और **मांग जमाओं को स्वीकार नहीं कर सकते** हैं।
  - NBFC **भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग नहीं** होती हैं और **अपने ग्राहकों को चेक जारी नहीं** कर सकती हैं।
- बैंकों के विपरीत, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DICGC) की **कोई भी जमा बीमा सुविधा** NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
- समान्यतः, NBFCs को **रिजर्व अनुपात (CRR, SLR आदि) को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती** है। हालाँकि, जमाओं को स्वीकार करने वाले NBFCs को अपनी **सार्वजनिक जमा राशि का कम से कम 15% तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है।**
- बैंकों के विपरीत **NBFCs शेयर बाजार में जमाकर्ताओं के धन को जमा कर सकते** हैं।
- NBFCs के प्रकार्यों का RBI द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है।

CIC-ND-SI एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है

- इसके पास 100 करोड़ रूपए या इससे अधिक का परिसंपत्ति आकार है।
- यह अपनी निवल परिसंपत्ति का न्यूनतम 90% निवल परिसंपत्ति समूह कंपनियों में इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर (preference shares), बांड, ऋणपत्र, क़र्ज़ या ऋण इत्यादि में निवेश के रूप में रखती है।
- यह समूह कंपनियों के शेयरों, बांड, ऋणपत्र, कर्ज़ या ऋण में किए अपने निवेश का व्यापार नहीं करती है।
- यह सार्वजनिक निधियों को स्वीकार करती है।

शैडों बैंकिंग सिस्टम

- शैडों बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत वे गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं शामिल होती हैं जो नियमित बैंकिंग प्रणाली से बाहर स्थित होती हैं। इस शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम 2007 में अर्थशास्त्री पॉल मैक्कुली द्वारा किया गया था।
- **कार्य संरचना:** इनके वित्तीयन की लागत उच्च होती है। किन्तु विनियामकीय निरीक्षण के अभाव के कारण ये बैंकों की तुलना में अधिक जोखिम उठाने में सक्षम होती हैं और साथ उच्च प्रतिफल अर्जित कर सकती हैं।
- **महत्व:** ये बैंक वित्तीयन का एक महत्त्वपूर्ण विकल्प प्रदान करती हैं, विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों, नीश (niche) सेक्टरों, छोटे उद्योगों आदि को ऋण प्रदान करते हैं।

1.5. डिजिटल अर्थव्यवस्था

(Digital Economy)

1.5.1. UPI 2.0 का शुभारंभ

(UPI 2.0 Launched)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (Unified Payment Interface: UPI) को संवर्द्धित सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया है।

VISION IAS

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बारे में:

- यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है
- यह देश में सभी खुदरा भुगतानों और निपटान प्रणालियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है।
- यह UPI प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है तथा भारत के सभी ATMs को आपस में जोड़ता है।
- NPCI के अंतर्गत सम्मिलित अन्य पहलें हैं: BHIM, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI), RuPay, BharatQR, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), वित्तीय संस्थानों के लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) आदि।

UPI 2.0 में नई विशेषताएं

- **ओवरड्राफ्ट खाते का जोड़ा जाना** - UPI के उपयोगकर्ता, अब बचत और चालू खाते के अतिरिक्त अपने ओवरड्राफ्ट खाते को भी इससे जोड़ सकते हैं।
- यह किसी सौदे जिसका भुगतान बाद की किसी तिथि में किया जाना हैं को **पहले से प्राधिकृत (pre-authorization) करने** की अनुमति देता है।
- **व्यापारी द्वारा चालान को उपयोगकर्ता के इनबॉक्स में भेजा जायेगा जिससे** ग्राहकों को **भुगतान सम्बंधित** क्रेडेंशियल के सत्यापन की सुविधा प्राप्त होगी।
- **उपयोगकर्ता को नोटिफिकेशन भेजा जायेगा** ताकि वह QR कोड स्कैन करने के पश्चात व्यापारी की प्रामाणिकता की जांच कर सके।
- **लेन देन की सीमा** को प्रतिदिन 1 लाख से **बढ़ाकर** 2 लाख कर दिया गया है। हालाँकि व्यक्तिगत बैंकों तथा एप्लीकेशन द्वारा आरोपित सीमाएं अभी भी बनी हुई हैं।

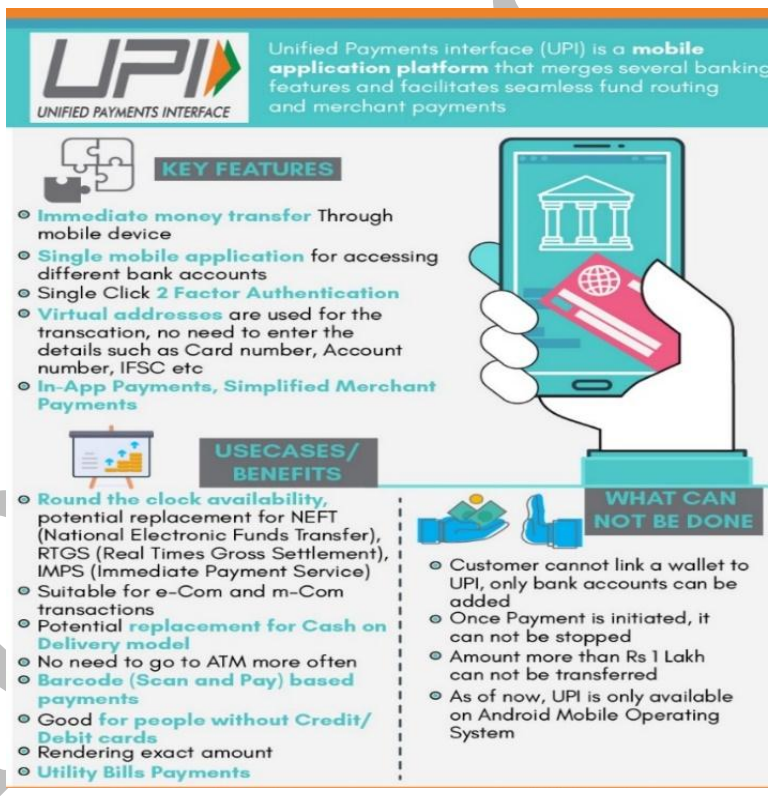

1.5.2. डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओम्बड्समैन) योजना

[Ombudsman Scheme for Digital Transactions (OSDT)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल (OSDT) योजना प्रारंभ की गयी है।

योजना के संबंध में

- इसे **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18** के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यह धारा RBI द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग संस्थाओं (जैसे मोबाइल वैलेट्स या भुगतान हेतु UPI का प्रयोग करने वाली टेक-इनेबल पेमेंट कम्पनियां) द्वारा प्रदत्त डिजिटल भुगतान संबंधी ग्राहक सेवाओं में कमी के निवारण हेतु एक **लागत-मुक्त और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र** का प्रावधान करती है।
- **डिजिटल लेनदेन के लिए RBI द्वारा नियुक्त लोकपाल एक वरिष्ठ अधिकारी होगा** (जिसकी नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए की जाएगी)।
- बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेन का प्रबन्धन अभी भी **बैंकिंग लोकपाल** द्वारा ही किया जाएगा।

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के संबंध में:

- बैंकिंग लोकपाल RBI द्वारा नियुक्त एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।
- इसका उद्देश्य कुछ बैंकिंग सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों को लागत प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है।

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत सम्मलित हैं।
- लोकपाल के पास जाने से पूर्व शिकायत को संबंधित बैंकों में दर्ज करना होता है। अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति, **RBI के डिप्टी गवर्नर** में निहित होती है।
- RBI ने इस योजना का **जमा स्वीकार करने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** तक विस्तार कर दिया है।

सम्बंधित अन्य तथ्य

व्यक्तियों की खुदरा भुगतान की आदतों पर सर्वेक्षण

- RBI, सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स (SRPHi) के माध्यम से छह शहरों में व्यक्तियों के भुगतान की आदतों को एकत्र करेगा।
- सर्वेक्षण में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के 6,000 लोगों के सैंपल को शामिल किया जाएगा।
- यह सर्वेक्षण व्यक्तियों से उनके भुगतान की आदतों पर गुणात्मक प्रतिक्रिया लेता है।

डिजिधन मिशन

- सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ-साथ डिजिटल भुगतान अवसंरचना की स्वीकृति को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिधन मिशन का विस्तार 2019-20 तक कर दिया है।
- मिशन के तहत, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन की रूपरेखा तैयार करने हेतु नए नीतिगत उपायों और हस्तक्षेपों को प्रस्तावित किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान लेनदेन को जियो-टैग करके डिजिटल भुगतानों की क्षेत्रीय पहुँच पर नजर रखने के लिए तंत्र को तैयार किया जाएगा।
- इस मिशन **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज (APIX)

- भारतीय प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के डिप्टी पीएम के साथ हाल ही में APIX का शुभारम्भ किया।
- APIX एक बैंकिंग प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म है जिसे विश्व भर में बैंक खाता रहित दो बिलियन लोगों तक पहुंच बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह 10 आसियान सदस्य देशों, भारत जैसे प्रमुख बाजार और फिजी जैसे छोटे देशों सहित 23 देशों में लोगों की सहायता करेगा।

1.6. विधिक संस्था पहचानकर्ता

(Legal Entity Identifier)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यक्तियों (individuals) को छोड़कर बाज़ार के अन्य प्रतिभागियों के लिए **विधिक संस्था पहचानकर्ता (LEI)** कोड अनिवार्य कर दिया है।

LEI क्या है?

- G20 देशों द्वारा परिकल्पित यह **20 अंकों की एक वैश्विक संदर्भ संख्या** हैं जो किसी भी अधिकार-क्षेत्र में उन सभी विधिक संस्थाओं या संरचनाओं की विशिष्ट रूप से पहचान करता है जो किसी वित्तीय लेनदेन के पक्षकार होते हैं।
- प्रत्येक देश द्वारा स्वतंत्र और स्वैच्छिक रूप से स्थापित स्थानीय संचालन इकाइयों (LOU) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LEI के कार्यान्वयन और अनुरक्षण का कार्य **ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन** द्वारा किया जाता है।
- अब, बैंक सेंट्रल रिपोजिट्री ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन क्रेडिट के समक्ष बड़े ऋण के संबंध में **LEI के साथ ऋण विवरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।** यह बैंकों को कॉरपोरेट ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण की निगरानी करने में सहायता करेगा और एक ही संपार्श्विक (collateral) के आधार पर कई ऋणों को प्राप्त करने को भी प्रतिबंधित करेगा, जिससे NPAs को कम करने में सहायता मिलेगी।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, यह RBI जैसे नियामकों को **वैश्विक वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने** और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में सहायता करेगा।

ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन:

- इसे जून 2014 में **वित्तीय स्थिरता बोर्ड** द्वारा एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
- LEI रेगुलेटरी ओवरसाइट समिति द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है, जो विश्व भर के सार्वजनिक प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह ग्लोबल LEI इंडेक्स प्रकाशित करता है।

2. वित्तीय बाजार (Financial Markets)

2.1. वित्तीय बाजार के उपकरण

(Financial Market Instruments)

2.1.1. ट्रेजरी बिल

(Treasury Bills)

सुर्खियों में क्यों?

RBI द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

ट्रेजरी बिल के बारे में

- ट्रेजरी बिल अल्पकालिक ऋण लिखत (instruments) हैं जिनका प्रयोग केंद्र सरकार अपनी अल्पकालिक तरलता संबंधी आवश्यकताओं (364 दिनों तक) को पूरा करने के लिए करती है।
- वर्तमान में सरकार द्वारा 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन की अवधि वाले ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं।
- ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां होते हैं और इन पर किसी प्रकार का ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता अवधि के पश्चात् अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है।
- यह बैंकिंग संस्थानों की CRR/SLR संबंधी आवश्यकताओं के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अल्पकालिक निवेश के अवसर तथा सरकार को अल्पकालिक सहायता भी प्रदान करता है।

वित्तीय साधन **परिसंपत्ति / पूंजी के पैकेज हैं** जिनका व्यापार किया जा सकता है। अधिकांश वित्तीय साधन विश्व भर के निवेशकों के लिए एक **कुशल प्रवाह और पूंजी हस्तांतरण सुविधा प्रदान करते हैं**। ये परिसंपत्तियां नकद (मुद्रा), नकद (बांड) या किसी अन्य प्रकार के वित्तीय साधन को वितरित करने या प्राप्त करने का एक संविदात्मक अधिकार, या किसी इकाई (शेयर) के स्वामित्व का प्रमाण हो सकती हैं।

वित्तीय साधनों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

- **नकद साधन :** ऐसे साधन जिनका मूल्य प्रत्यक्षतः बाजारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये प्रतिभूतियों (जो सुगमतापूर्वक हस्तांतरणीय हैं) के साथ-साथ ऋण और जमा जैसे साधन, (जहां उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों को हस्तांतरण पर सहमत होना पड़ता है) हो सकते हैं।
- **डेरिवेटिव साधन :** ये एक अंतर्निहित परिसंपत्ति, सूचकांक या ब्याज दर से अपना मूल्य प्राप्त करने वाले साधन हैं। यह या तो ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव हो सकते हैं (जिनका व्यापार एक एक्सचेंज या अन्य मध्यस्थ के माध्यम के बिना दो पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है) या **एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स** (एक विशेष बाजार के माध्यम से कारोबार)। यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति भौतिक वस्तु है, तो इसे **'कमोडिटी डेरिवेटिव'** कहा जाता है।

वित्तीय साधनों को **परिसंपत्ति की श्रेणी** के अनुसार भी विभाजित किया जा सकता है:

- **ऋण-आधारित:** एक निवेशक द्वारा जारी इकाई (संपत्ति का मालिक) ऋण स्वरूप होती है। जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र (लघु अवधि); बांड (दीर्घकालिक)
- **इक्विटी-आधारित:** किसी संपत्ति का स्वामित्व। जैसे स्टॉक्स

2.1.2 भारत 22

(Bharat 22)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार द्वारा **भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)** की दूसरी शृंखला बाजार से 8400 करोड़ रूपए जुटाने के लिए जारी की गई।

भारत 22 ETF के बारे में

- भारत 22 एक प्रकार का ETF है, जिसमें 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 3 निजी कंपनियों [L&T, ITC और एक्सिस बैंक; जिनमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम (SUUTI) का भी कुछ स्वामित्व है] के ब्लू-चिप स्टॉक शामिल होंगे।

VISION IAS

- ETF का प्रबंधन ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (ICICI Prudential AMC) द्वारा किया जाएगा।
- भारत -22 छह क्षेत्रकों में व्यापक रूप से विविधीकृत ETF है - आधारभूत सामग्री, ऊर्जा, वित्त, फ़ास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनी, उद्योग और यूटिलिटीज़।
- ETF तंत्र, सरकार के लिए एक विस्तृत बास्केट में अपने स्वामित्व के छोटे हिस्से को विनिवेशित करने और अपने विनिवेश लक्ष्यों\को प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है, जबकि यह निवेशक और कर्मचारी (PSE अम्ब्रेला के तहत बनाए रहते हुए) दोनों को ही लाभान्वित करता है।
- इसके अतिरिक्त, बेहतर प्रदर्शन करने वाले और निम्न-प्रदर्शन करने वाले शेयरों को सम्मिश्रित करके और उनका मिलान करके, उन शेयरों का पर्याप्त मूल्य प्राप्त किया जा सकता है जिसे अन्यथा प्राप्त करना कठिन हो सकता था।
- इससे पूर्व 2014 में, सरकार द्वारा CPSE ETF से 8,500 करोड़ रूपए जुटाए गए थे।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

- ETF, या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, एक व्यापार योग्य प्रतिभूति है जो स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड या परिसंपत्तियों की एक बास्केट का संचालन करती है।
- इसका व्यापारिक मूल्य अंतर्निहित शेयरों के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित होता है।
- ETF अंशधारक लाभ में एक अंश के हकदार होते हैं, जैसे अर्जित ब्याज या लाभांश के भुगतान, और फंड के तरल होने की स्थिति में उन्हें अवशिष्ट मूल्य प्राप्त हो सकता है।
- ETF, म्युचुअल फंड (MF) से भिन्न होता है। ETF का क्रय-विक्रय सार्वजनिक शेयर बाजारों में किया जाता है। साथ ही इनका स्वामित्व शेयरों की भांति ही क्रय, विक्रय या हस्तांतरित किया जा सकता है। जबकि MF का लेन-देन केवल फंड मैनेजर (वित्त प्रबंधक) द्वारा किया जाता है।

2.2. प्राधिकृत अपतटीय प्रतिभूति बाजार

(Designated Offshore Securities Market)

सुर्खियों में क्यों?

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, U.S. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा 'प्राधिकृत अपतटीय प्रतिभूति बाजार' (DOSM) के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला **प्रथम भारतीय एक्स्चेंज** बन गया है।

- DOSM दर्जा, US SEC में प्रतिभूतियों के पंजीकरण के बिना, BSE के ट्रेडिंग वेन्यू के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अनुमति देता है। यह भारत में अमेरिकी निवेशकों के व्यापार को सुगम बनाता है। यह अमेरिकी निवेशकों के मध्य **भारतीय डिपॉजिटरी रसीदों (IDR)** के प्रति आकर्षण को भी बढ़ाएगा।
- विश्व भर में केवल कुछ एक्सचेंज ही DOSM मान्यता प्राप्त हैं, जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बोर्स डी लक्ज़मबर्ग, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज व टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार

- 1875 में स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) एशिया का **सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज** है।
- BSE के समग्र प्रदर्शन को **सेंसेक्स** द्वारा मापा जाता है, जो 12 सेक्टरों को कवर करने वाला BSE के 30 सबसे बड़े शेयरों का सूचकांक है।
- अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी IFSC में स्थित भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज, इंडिया INX, BSE की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है।

IDR

- यह **भारतीय रुपयों में नामित एक वित्तीय प्रपत्र** है जिसे किसी घरेलू डिपॉजिटरी (SEBI इंडिया के साथ पंजीकृत) द्वारा, जारी करने वाली कंपनी की अंतर्निहित इक्विटी के बदले एक डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सृजित किया जाता है। इसके ज़रिये विदेशी कम्पनियाँ भारतीय प्रतिभूति बाजारों से धन जुटाने में सक्षम हो जाती हैं।

VISION IAS

2.3. बाह्य वाणिज्यिक उधार

(External Commercial Borrowings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रिजर्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए एक नई नीति को प्रस्तावित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह सभी पात्र संस्थाओं को स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी धन जुटाने की अनुमति प्रदान करता है और क्षेत्रीय प्रतिबंधों को समाप्त करता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने के लिए सभी पात्र संस्थाओं को शामिल करते हुए पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, पोर्ट ट्रस्ट, SEZ, SIDBI, EXIM बैंक में पंजीकृत इकाइयां, माइक्रो-फाइनेंस गतिविधियों में पंजीकृत पंजीकृत संस्थाएं, पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/सहकारी संस्थाएं और गैर-सरकारी संगठन भी नए ढांचे के तहत उधार प्राप्त कर सकते हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधारी के बारे में

- यह गैर-निवासी उधारदाताओं से पात्र भारतीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त **3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के** वाणिज्यिक ऋण को संदर्भित करता है।
- यह बैंक ऋण, क्रेताओं के ऋण, आपूर्तिकर्ताओं के ऋण अथवा प्रतिभूतिकृत लिखतों के रूप में हो सकता है।
- ECBs को **फेमा** दिशा-निर्देशों के तहत शासित किया जाता है।
- इनका आकलन दो मार्गों अर्थात स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के तहत किया जा सकता है। सामान्यतः व्यावसायिक कंपनियों (जैसे होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर) द्वारा स्वचालित मार्ग का उपयोग किया जा सकता है।
- नकारात्मक सूची (जिसके लिए ECB आय का उपयोग नहीं किया जा सकता है) में शामिल हैं: रियल एस्टेट गतिविधियां, पूंजी बाजार में निवेश, इक्विटी निवेश और विदेशी इक्विटी धारक को छोड़कर रुपए में ऋणों का पुनर्भुगतान।
- ECBs अपेक्षाकृत कम ब्याज दर के उधार की मात्रा में वृद्धि करता है, निवेशक आधार में विविधता लाता है, घरेलू अभिकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजार का मार्ग प्रशस्त करता है तथा सरकार उन्हें उच्च ECBs की अनुमति देकर विशिष्ट क्षेत्रों में चैनल प्रवाह की अनुमति प्रदान करती है।
- किन्तु, ECBs विदेशी ऋण (अर्थात विदेशी मुद्राओं में ऋण) और देश के भावी पुनर्भुगतान दायित्वों में वृद्धि करते हैं।

2.4. सीमित देयता भागीदारी

(Limited Liability Partnerships)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा कम से कम लगातार दो वर्षों तक वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने के लिए 7,775 सीमित देयता भागीदारी (LLPs) को नोटिस जारी किया गया है।

सीमित देयता भागीदारी

- यह एक कॉर्पोरेट संरचना है, जिसके तहत कंपनी के हिस्सेदार कंपनी के ऋण और देयताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं और उन्हें किसी अन्य के कदाचार या लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- यह किसी कंपनी के प्रति सीमित देयता (कॉरपोरेट शेयरधारकों के विपरीत, भागीदारों के पास प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय के प्रबंधन का अधिकार होता है) सम्बन्धी लाभ प्रदान करता है, और इसके सदस्यों को किसी साझेदारी फर्म के समान अपने आंतरिक प्रबंधन को लचीला बनाने की अनुमति देता है।
- LLP में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की भी अनुमति है।
- इसकी संरचना और संचालन में लचीलेपन के कारण यह सामान्य रूप से **SMEs के लिए** और विशेष रूप से सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए **उपयोगी** है।
- यह **सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों द्वारा शासित** है, जो LLP सम्बन्धी मामलों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करता है।
- चूंकि कानून LLP के लिए अपेक्षाकृत कम कठोर हैं, इसलिए उनकी पंजीकरण लागत अपेक्षाकृत कम है और इनके लिए अनिवार्य ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह व्यवसायों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है।

VISION IAS

- LLPs भी कर कुशल हैं ,क्योंकि उन्हें लाभांश वितरण कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट प्रदान की गयी है।
- हालांकि, शेल कंपनियों के समान, निष्क्रिय LLPs का उपयोग कर अपवंचन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। इसलिए, वर्तमान में सरकार काले धन की वृद्धि रोकने के लिए निष्क्रिय LLPs का पंजीकरण निरस्त करने हेतु कदम उठा रही है।

शेल कंपनियों के बारे में

- विशिष्ट रूप से शेल कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो सक्रिय व्यावसायिक संचालन में नहीं होती हैं या जिनके पास **आवश्यक परिसंपत्तियाँ नहीं होती हैं**।
- हालांकि ये एक मानक ज्ञापन या संस्था के नियमों के अंतर्गत आती हैं, परन्तु इसके शेयरधारक और निदेशक निष्क्रिय होते हैं, और यह स्वयं भी कार्यात्मक रूप से निष्क्रिय होती है।
- विक्रय सम्बन्धी लेनदेन के बाद, निष्क्रिय अंशधारक आमतौर पर अपने शेयरों को खरीददार/क्रेता को हस्तांतरित करते हैं और तथाकथित निदेशक या तो पद छोड़ देते है या पलायन कर जाते हैं।
- भारत में शेल कंपनियों को **कंपनी अधिनियम, 2013** या किसी अन्य कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, कुछ कानून अवैध गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में सहायक हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से शेल कंपनियों को लक्षित करने में प्रयुक्त हो सकते हैं - जैसे बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016; धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 आदि।
- **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय** के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (**Serious Fraud Investigation Office**) ने शेल कंपनियों का **व्यापक डिजिटल डेटाबेस** तैयार किया है।

2.5. रुपये की गिरती हुई कीमत

(Falling Value of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रुपया पहली बार 71 के मार्क से ऊपर पहुँच गया (अर्थात् 1 डॉलर की कीमत 71 रुपये से अधिक)।

RBI विदेशी मुद्रा विनिमय दर को निम्नलिखित के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है:

- बॉण्ड की खरीद एवं बिक्री कर (बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में कमी/वृद्धि करके);
- खुले बाजार में विदेशी मुद्रा भंडार के व्यापार द्वारा;
- घरेलू ब्याज दर में परिवर्तन करके;
- करेंसी बफर के सृजन के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह {विदेशी मुद्रा गैर-प्रत्यावर्तनीय खाता (Foreign Currency Non-Repatriable account: FCNR) जमाएँ अर्थात् भारतीय बैंकों में स्थित NRI के खातों में जमा होने वाली डॉलर) को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल करके, जिससे कि पूँजी के अचानक बहिर्प्रवाह/मूल्यह्रास के दौरान स्थानीय मुद्रा को समर्थन देने के लिए इसका उपयोग किया जा सके;
- अन्य देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौता करके, जैसे- जापान;
- **उदाहरण:** यदि भारत में विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह काफी बढ़ जाए, तो ऐसे में डॉलर की मांग की तुलना में इसकी आपूर्ति में वृद्धि होगी और डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में भी वृद्धि होगी। हालांकि, रुपये के मूल्य में वृद्धि निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए लाभदायक नहीं होती है। ऐसे में RBI विदेशी मुद्रा बाजार से डॉलर की खरीद करता है। परंतु, इस हेतु रुपये की उच्च बिक्री (अर्थात् जारी करना) बाजार में अत्यधिक तरलता की स्थिति उत्पन्न करेगी, जिससे मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो सकती है। अतः ऐसी स्थिति में बाजार में मौजूद अतिरिक्त तरलता को समाप्त करने के लिए RBI **बाजार स्थिरीकरण बॉण्ड्स (Market Sterilization Bonds)** जारी करता है। इसके अतिरिक्त, RBI **ब्याज दर में वृद्धि करके** मुद्रा के बहिर्प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकता है।

रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण

- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) का बहिर्गमन,** जो अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति के कारण अमेरिकी ट्रेज़री बॉण्ड्स और अधिक आकर्षक बन जाती है।

VISION IAS

- **चीन और अमेरिका के मध्य व्यापार युद्ध** के कारण आयात प्रतिबंधों (आयातित वस्तुओं की संख्या) की संख्या में बढ़ोतरी एवं उच्च प्रशुल्कों के आरोपण ने भी डॉलर की कीमतों में वृद्धि की है।
- **ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों और वेनेजुएला संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के फलस्वरूप।**
- डी-ग्लोबलाइजेशन की आशंकाओं ने वैश्विक जोखिम संबंधी धारणा को भी प्रभावित किया है और इसने उभरती बाजार परिसंपत्तियों के सम्मुख एक विकट स्थिति व्युत्पन्न कर दी है।

रूपये के मूल्य में गिरावट के प्रभाव

- **इससे आयात महंगा हो जाएगा** और यह मुद्रास्फीति में भी वृद्धि करेगा। साथ ही यह निवेशकों के हितों को भी नुकसान पहुंचाएगा।
- ईंधन की उच्च कीमतों का **CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के गैर-खाद्य घटकों** और WPI (थोक मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति तथा **चालू खाता घाटा** के साथ-साथ **राजकोषीय घाटा** पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि मेक इन इंडिया** को प्रोत्साहित करेगी।
- इससे भारत में स्थित बैंक खातों में **विप्रेषण का मूल्य** बढ़ जाता है।
- भारत में **पर्यटन को बल** मिलता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECBs)** जुटाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक कंपनियों को सक्षम बनाना। **विनिर्माण फर्में** अब पिछले 3 वर्षों की तुलना में 1 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के साथ 50 मिलियन डॉलर तक की ECBs जुटा सकती हैं।
- मसाला बॉण्ड्स के विपणन पर आरोपित विभिन्न प्रतिबंधों में छूट देने और मसाला बॉण्ड्स के **जोखिम अंकन (अंडरराइटिंग)** के साथ-साथ 2018-19 में जारी किए गए मसाला बॉण्ड्स को **विदहोल्डिंग टैक्स से छूट** प्रदान की गई।
- RBI ने **सरकारी प्रतिभूतियों (GSecs)** और **कॉर्पोरेट बॉण्ड्स की खरीद के लिए FPIs के लिए सीमा में वृद्धि** की है।
- FPIs को किसी एक कंपनी में अपने कॉर्पोरेट बॉण्ड पोर्टफोलियो के 20% से अधिक का निवेश करने की अनुमति देकर RBI ने FPI की कॉर्पोरेट बॉण्ड धारण सीमा से संबंधित अपने नियमों को शिथिल कर दिया है।

मसाला बॉण्ड्स (Masala Bonds)

- विदेशी खरीददारों के लिए जारी **रुपये मूल्य वर्ग के बॉण्ड।**
- मुद्रा जोखिम, निवेशकों में निहित हो जाता है।
- निर्गमन की अधिकतम मूल्य सीमा और विभिन्न समयावधियों के लिए मूल्य सीमा के साथ भारतीय कंपनियां, NBFCs, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट मसाला बॉण्ड जारी कर सकते हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये को अधिक लाभप्रद बना देगा, साथ ही यह रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा में एक कदम भी है।

विदहोल्डिंग टैक्स (Withholding Tax)

- इक्विटी और बॉण्ड मार्केट में अस्थिर व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किसी अनिवासी इकाई/कंपनी के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों से अर्जित आय (ब्याज/लाभांश) पर आरोपित कर।

दीर्घकालिक उपाय

- **तेल सहित आयात पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना।** गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात में कटौती करना।
- अपेक्षाकृत सरल टैक्स रिफंड व्यवस्था, निर्यात टर्मिनलों पर प्रचालन तंत्र में सुधार, बेहतर व्यापार समझौतों आदि के माध्यम से **निर्यात उद्योगों को बढ़ावा देना।**
- प्रक्रियाओं, कानूनों और विवाद निवारण के सरलीकरण के माध्यम से **FPI के बजाय FDI को आकर्षित करना।**
- **चालू खाता घाटा एवं राजकोषीय घाटा की अधिकतम सीमा को बनाए रखना:** हालाँकि, हाल के वर्षों में, अपने समकक्ष राष्ट्रों की तुलना में भारत की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु केंद्र और राज्यों का संयुक्त घाटा अभी भी अधिक है।

2.6.इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया व्यापार)

(Insider Trading)

सुर्खियों में क्यों?

SEBI ने **टी.के.विश्वनाथन** समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकने के एक तंत्र का निर्धारण किया है।

इनसाइडर ट्रेडिंग का मुकाबला करने के लिए SEBI का तंत्र

- **प्रवर्तकों का उत्तरदायित्व:** कंपनी के प्रवर्तक यदि किसी 'वैध' उद्देश्य के बिना कंपनी के संबंध में कोई अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) रखते हैं तो उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराने का निर्णय लिया गया है। इस सन्दर्भ में कार्यवाही उनकी अंशधारिता की स्थिति से निरपेक्ष रहते हुए की जाएगी।
- **इनसाइडर को परिभाषित करना:** इसमें तीन तत्व सम्मिलित हैं – वह व्यक्ति एक प्राकृतिक व्यक्ति या कानूनी संस्था होना चाहिए; व्यक्ति कंपनी से जुड़ा होना या जुड़ा समझा जाना चाहिए; इस प्रकार के संबंध के आधार पर UPSI हासिल करना।
- **वैध उद्देश्य:** यह निर्दिष्ट किया गया है कि "वैध उद्देश्य" पद के अंतर्गत इनसाइडर द्वारा व्यवसाय के साधारण क्रम के दौरान UPSI को साझा किया जाना सम्मिलित होगा, बशर्ते कि इसे विनियमों के प्रतिबंधों से बचने या टालने के उद्देश्य से साझा न किया गया हो।
- **डिजिटल डेटाबेस:** निदेशक मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के नामों के एक संरचित डिजिटल डेटाबेस को बनाकर रखा जाए जिनके साथ जानकारी साझा की जाती है।

इनसाइडर ट्रेडिंग

- यह प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद या बिक्री है।
- चूंकि प्रकटीकरण प्राय: मूल्य संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनसाइडर्स बड़ा व्यापारिक लाभ कमाने के लिए हमेशा बेहतर स्थिति में होते हैं। चूंकि यह अन्य निवेशकों के लिए अनुचित होता है अतः बाजार में भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए अप्रकाशित संवेदनशील मूल्यों की जानकारी रखते हुए व्यापार करना अवैध है।
- भारत में, **सेबी अधिनियम, 1992** के अंतर्गत निर्मित **सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशन, 1992** का उद्देश्य प्रतिभूतियों के संबंध में इनसाइडर ट्रेडिंग के खतरे पर अंकुश लगाना और इसे रोकना है। **कंपनी अधिनियम 2013** भी इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाता है।

- इनसाइडर ट्रेडिंग से निपटना विशेषकर एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि SEBI के पास आवश्यक श्रमशक्ति का अभाव है, साथ ही दस्तावेजी कानूनों एवं उनके क्रियान्वयन के मध्य अंतराल व्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त विकसित होती तकनीक और संचार के आधुनिक साधनों के कारण, नियामक के लिए ऐसे मामलों को ट्रैक करना कठिन हो जाता है।

2.7. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

(Credit Rating Agencies)

सुर्खियों में क्यों?

सेबी (SEBI) ने हाल ही में संकट से गुजरी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS) की बिगड़ती क्रेडिट प्रोफाइल के विषय में निवेशकों को समय पर चेतावनी देने में विफल रहने पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) के लिए **प्रकटीकरण मानदंडों को कठोर कर दिया है।**

इससे संबंधित अन्य तथ्य

- रेटिंग एजेंसियों को अब रेट की जाने वाली **कंपनी की तरलता की स्थिति का प्रकटीकरण** करना आवश्यक होगा और साथ ही **परिसंपत्ति-देयता असंतुलन की भी जांच करनी** होगी।
- यदि **कंपनी अपने ऋण से** निपटने के लिए **अतिरिक्त धन की आशा कर रही है तो** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) को उसके **स्रोत और औचित्य** का प्रकटीकरण करने की भी आवश्यकता होगी।
- **पारदर्शिता को बढ़ावा देने** और बाजार को रेटिंग के प्रदर्शन के सर्वोत्कृष्ट आकलन हेतु सक्षम बनाने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) **को विभिन्न रेटिंग श्रेणियों में ऐतिहासिक औसत रेटिंग संक्रमण दरों के विषय में जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए।** इससे निवेशक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा निर्धारित रेटिंग के ऐतिहासिक प्रदर्शन को समझ सकेंगे। संक्रमण दर ऐसे उदाहरणों को इंगित करती है जब क्रेडिट रेटिंग किसी निर्दिष्ट अवधि में परिवर्तित हुई हो।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से संबंधित मुद्दे

- भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) सबंधी विनियम वर्तमान में केवल जारीकर्ता-भुगतान मॉडल को मान्यता प्रदान करते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत रेटिंग एजेंसियां 'रेटिंग ओपीनियन' प्रदान करने के लिए बॉन्डों और ऋण लिखतों के जारीकर्ताओं पर शुल्क प्रभारित करती हैं। इस प्रकार, इस मॉडल में अंतर्निहित हित- संघर्ष विद्यमान है।
- जारीकर्ता **एक रेटिंग एजेंसी का चयन** कर सकता है और जारीकर्ता की सहमति के बिना रेटिंग प्रकाशित नहीं की जा सकती।

- भारत में क्रेडिट-रेटिंग बाजार **अल्पाधिकारात्मक (ओलिगोपोलिस्टिक)** है, जिसमें प्रवेश हेतु अत्यधिक व्यवधान विद्यमान हैं। प्रतियोगिता के अभाव का तात्पर्य है, **जारीकर्ता के साथ सुव्यवस्थित संबंधों का होना,** जो CRA's की स्वतंत्रता में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
- **रेटिंग की खराब गुणवत्ता,** जो सीमित जानकारी पर आधारित होती है।

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ:

- ऋण दायित्वों को पूरा करने के संदर्भ में एक संभावित खरीदार की क्रेडिट योग्यता अर्थात् काबिलियत (क्रेडिट रिकॉर्ड, प्रामाणिकता और क्षमता) का आंकलन करना ही क्रेडिट रेटिंग है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियां) विनियमन, 1999 वस्तुतः SEBI को भारत में संचालित होने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- भारत में कार्य संचालन करने के लिए सभी क्रेडिट एजेंसियों का SEBI के साथ पंजीकरण आवश्यक है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व

- ये खुदरा और संस्थागत निवेशकों को ऐसी **जानकारी** प्रदान करती हैं जो उन्हें यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि ऋणी (debtor) उनकी देनदारियों को पूरा कर पाएगा अथवा नहीं।
- कंपनी की क्षमताओं और उसके द्वारा सामना की जाने वाली बाजार संबंधी जोखिमों को रेखांकित करती हैं। इस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से शेयर की कीमतों को प्रभावित करती हैं।
- कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के मध्य अनुशासन को सुनिश्चित करती हैं।
- रुग्ण कंपनियों के संसाधनों को नए गंतव्यों पर स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं।
- किसी देश में निवेश के जोखिम के स्तर को निर्धारित कर सरकार एवं निवेशकों के मध्य विश्वास का निर्माण करती हैं।

2.8. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

(National Financial Reporting Authority)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (NFRA)** के क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करने वाले नियमों को अधिसूचित किया।

NFRA क्या है?

- इसे **लेखा-परीक्षण व्यवसाय और लेखांकन मानकों** की देखरेख करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
- इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्ण-कालिक सदस्य और नौ अंश-कालिक सदस्य शामिल हैं।
- इसके अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक **खोज-सह-चयन समिति** के माध्यम से होगी।
- यद्यपि, NFRA को **कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप स्थापित किया जाना था**, तथापि इसके प्रावधानों को सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था। यह इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के अंतर्गत स्थापित **स्व-नियमन व्यवस्था** की बजाय 'लेखा परीक्षकों (auditors) की स्वतंत्र निगरानी' की तरफ परिवर्तन का परिचायक है।

NFRA नियम 2018 के विषय में

- यह प्राधिकरण सरकार द्वारा निर्दिष्ट **बैंकों, बीमा कंपनियों, विद्युत फ़र्मों** और अन्य संस्थाओं **के लेखा-परीक्षकों** की निगरानी करेगा।
- NFRA निम्नलिखित संस्थाओं के लेखा-परीक्षकों की जांच करेगा:
    - सूचीबद्ध इकाइयाँ, 500 करोड़ रुपये से अधिक की चुकता पूंजी वाली या 1000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली गैर-सूचीबद्ध इकाइयाँ।
    - ऐसी इकाइयाँ जिनका कुल ऋण, डिबेंचर या जमा पूंजी 500 करोड़ रुपये से कम न हो।

यह नियम NFRA को गलती करने वाले लेखा परीक्षकों या लेखा-परीक्षा फर्मों को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है। साथ ही NFRA किसी लेखा परीक्षक (ऑडिटर) की सेवाओं को **चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम** के तहत **गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड** के समक्ष समीक्षा के लिए भी भेज सकता है।

VISION IAS

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India: ICAI)

- यह एक संसदीय अधिनियम अर्थात चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- यह **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह चार्टर्ड लेखा-परीक्षाएँ आयोजित करता है, योग्य चार्टर्ड लेखा-परीक्षकों को पंजीकृत करता है तथा प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इत्यादि जारी करता है।
- यह छोटी सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा-परीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) की जांच करता है। (NFRA नियम 2018 के तहत अधिसूचित संस्थाओं को छोड़कर)

इंटरनेशनल फ़ोरम ऑफ़ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स (IFIAR)

- **यह 52 संप्रभु क्षेत्रों के लेखा-परीक्षकों से मिलकर गठित एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षा नियामक है।**
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक हितों को पूरा करना और **वैश्विक स्तर पर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके निवेशकों के संरक्षण में वृद्धि करना** है।
- **यह विकसित होते लेखापरीक्षा परिवेश के ज्ञान को** और स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियामक गतिविधियों के व्यावहारिक अनुभव को **साझा करता है।**

2.9. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक

(International Financial Services Center Authority Bill)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) प्राधिकरण विधेयक, 2019** को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

IFSC क्या है?

- SEZ अधिनियम भारत में SEZ के भीतर भारत में IFSC की स्थापना का प्रावधान करता है और केंद्र सरकार को IFSC गतिविधियों का विनियमन करने हेतु समर्थ बनाता है।
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFT) को देश के पहले IFSC के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- IFSC को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 'मानद विदेशी क्षेत्र' नामित किया गया है, जिसका अन्य अपतटीय स्थानों की भांति समान पारितंत्र होगा, लेकिन जो भौतिक रूप से भारत की धरती पर है।
- IFSC में स्थापित किसी भी वित्तीय संस्थान (या उसकी शाखा)
  - को भारत से बाहर स्थित अनिवासी भारतीय माना जाएगा;
  - से ऐसी विदेशी मुद्रा में और ऐसी संस्थाओं, चाहे निवासी हो या अनिवासी, के साथ व्यापार करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि नियामकीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
  - कुछ प्रावधानों के अधीन किन्हीं अन्य प्रावधानों में निहित कुछ भी IFSC में स्थित इकाई पर लागू नहीं होगा।
- इसकी कुछ प्रमुख सेवाओं में शामिल हैं:
  - व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए फंड जुटाने की सेवाएं
  - पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाने वाला परिसंपत्ति प्रबंधन और वैश्विक पोर्टफोलियो विविधिकरण
  - संपत्ति प्रबंधन
  - वैश्विक कर प्रबंधन और सीमा पार कर देयता अनुकूलन
  - बीमा और पुनर्बीमा जैसे जोखिम प्रबंधन परिचालन
  - पार-राष्ट्रीय निगमों के बीच विलय और अधिग्रहण गतिविधियाँ आदि।

VISION IAS

2.10. शेयर स्वैप

(Share Swap)

- हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर (GSK Consumer) के विलय की घोषणा की और इस सौदे को **शेयर स्वैप** के रूप में संरचित किया गया है।
- जब कोई कंपनी लक्षित कंपनी के शेयरधारकों को अपने स्वयं के शेयर (एक मुद्रा की भांति उपयोग करके) जारी करके अधिग्रहण के लिये भुगतान करती है, तो इसे **शेयर स्वैप** के रूप में जाना जाता है।
- लक्षित कंपनी में मौजूदा होल्डिंग्स के बदले जारी किए गए शेयरों की संख्या को **स्वैप अनुपात** कहा जाता है। **स्वैप अनुपात का निर्धारण** लक्षित कंपनी के राजस्व और मुनाफे के साथ-साथ उसके बाज़ार मूल्य जैसे मापकों पर कम्पनी के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- यदि लक्षित कंपनी सूचीबद्ध है, तो उसके शेयरों का बाजार मूल्य प्रायः भुगतान किए जाने हेतु उचित मूल्य के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। बाजार में प्रीमियम का भुगतान करना आमतौर पर बेहतर संभावनाओं और उच्च क्षमता को दर्शाता है, जबकि डिस्काउंट संकटकालीन बिक्री का संकेत दे सकता है।
- इसके प्रमुख लाभों में जोखिमों और लाभों को साझा करना तथा नकद बचत शामिल है क्योंकि अधिग्रहणकर्ता के लिए कोई नकद व्यय सम्मिलित नहीं होता है।

2.11. डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व

(Debenture Redemption Reserve)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (DRR) की आवश्यकता को हटाने सम्बन्धी सेबी के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य:

- DRR, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत शामिल एक प्रावधान है। **जब तक डिबेंचर की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती तब तक DRR को प्रत्येक वर्ष कंपनी के लाभ से वित्त पोषित किया जाना निर्धारित किया गया है।** रिज़र्व का निर्माण जारीकर्ता को अर्जित लाभ से,डिबेंचर के अंकित मूल्य का कम से कम 25% जारी होने तक के बाद किया जायेगा।
- बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे वित्तीय संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- DRR, **निवेशकों** को कंपनी द्वारा डिफ़ॉल्ट की संभावना से **बचाता** है।

डिबेंचर

- डिबेंचर एक प्रकार के बॉन्ड होते हैं, जो भौतिक संपत्ति या कोलैटरल द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। डिबेंचर केवल सामान्य साख और जारीकर्ता की प्रतिष्ठा से समर्थित होते हैं।
- एक इकाई, निश्चित ब्याज दर प्रदान करने और एक निश्चित तिथि पर मूलधन लौटाने के वायदे के साथ, धन जुटाने के लिए **डिबेंचर जारी** कर सकती है।
- सरकारों द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल एक प्रकार के डिबेंचर हैं।

2.12. शेयर-प्लेजिंग

(Share Pledging)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में ऋणदाताओं (जिन्होंने **ज़ी समूह** के प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों के विरुद्ध उन प्रमोटरों को धन उधार दिया था) द्वारा शेयर बेच देने के कारण ज़ी समूह के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट हुई। इसने **'शेयर-प्लेजिंग' या 'लोन अगेंस्ट शेयर' प्रणाली** सम्बन्धी मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य:

- बैंक और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए शेयर-प्लेजिंग प्रक्रिया अपनाए जाती है। वित्तीय संस्थानों के लिए, गिरवी रखे गए शेयर कोलेटरल होते हैं।
- बैंक, गिरवी रखे शेयरों को स्टॉक की कीमत उनके और कंपनी के मध्य किए गए अनुबंध में निर्धारित कीमतों के लगभग समान होने की स्थिति में बेच सकते हैं। सामान्यतः, प्रमोटरों को बैंकों या NBFCs द्वारा ऋण स्वरूप प्रदान की गई राशि शेयरों के बाजार मूल्य से कम होती है।
- उच्च प्लेजिंग लेवल को सामान्यतः निवेशकों द्वारा अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि बाजार मूल्य में गिरावट से ऋणदाताओं द्वारा शेयरों की बिक्री की जा सकती है और प्रबंधन में बदलाव हो सकता है। ऋणदाता द्वारा कोलेटरल को बेचने के भय से निवेशक स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, जो आगे चलकर विक्रय सम्बन्धी कठिनाइयों को बढ़ा सकता है।

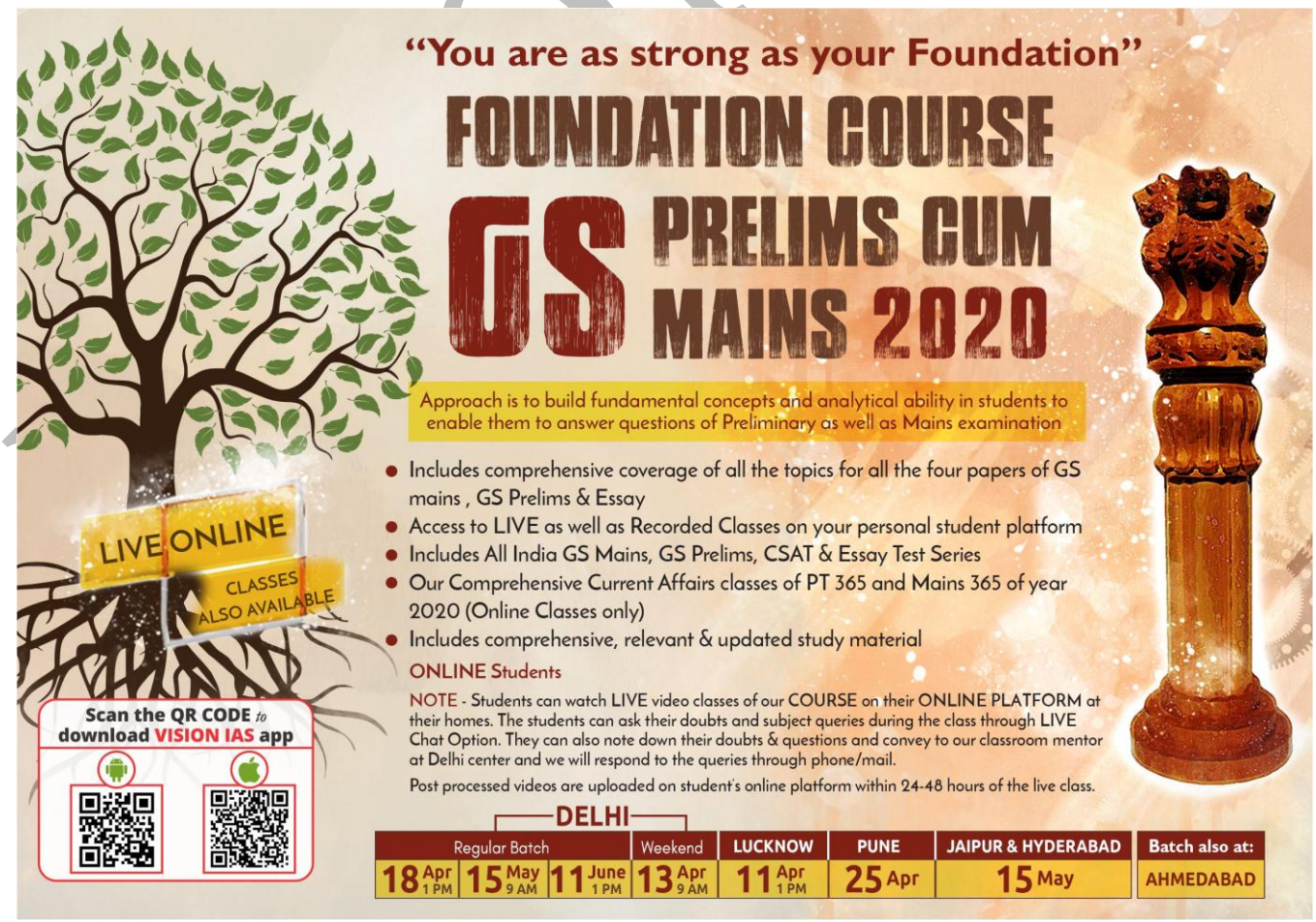

3. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

3.1. सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम

(Government Savings Promotion Act)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने बजट (2018) के दौरान एक नए 'सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम' के निर्माण का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्तावित संशोधन

- यह अधिनियम, सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 तथा सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम (PPF), 1968 का सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 में विलय होगा। प्रस्तावित संशोधन, अल्प बचत योजनाओं (SSS) हेतु **विविध अधिनियमों एवं नियमों** के कारण उपस्थित विभिन्न अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए प्रस्तावित किये गए हैं। साथ ही ये निवेशकों के लिए कुछ लोचशीलता भी प्रस्तुत करते हैं।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान

- **चिकित्सीय आपात-स्थितियों, उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं आदि** से निपटने के लिए - विशिष्ट योजना अधिसूचना के माध्यम से, अल्प बचत योजनाओं के समयपूर्व समापन के प्रावधान को अब प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान में PPF अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है।
- **अवयस्कों की ओर से अभिभावक द्वारा** अल्प बचत योजना में निवेश किया जा सकता है। अभिभावक को **संबंधित अधिकार** तथा उत्तरदायित्व भी प्रदान किए जा सकते हैं- जैसे कि **नामांकन का प्रावधान** आदि। इस प्रकार, यह प्रयास बच्चों के मध्य बचत की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
- **दिव्यांग व्यक्तियों के** लिए खातों के प्रावधानों को अब शामिल किया गया है, जो उक्त अधिनियमों में स्पष्ट नहीं थे।

वर्तमान परिदृश्य

- विगत **पांच वर्षों में अल्प बचत योजना (SSS) से सरकारी उधारी में** तेज़ी से वृद्धि हुई है। जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की संरचना को विरूपित करती है और फंड की लागत में वृद्धि करती है।
- अल्प बचत योजनाएं, वित्त वर्ष 2018 में **सकल केंद्रीय सरकारी उधारी का 20.9** प्रतिशत थीं। इन योजनाओं का अंश एक वर्ष पूर्व 17.2 प्रतिशत से अधिक तथा वित्त वर्ष 2014 में 2.4 प्रतिशत था।
- सरकार को अल्प बचत योजनाओं(SSSs) की ब्याज दरों को बाजार या बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ के साथ सम्बद्ध करके मौद्रिक नीति के पारेषण हेतु अधिक अनुकूल परिवेश का निर्माण करने की आवश्यकता है।

अल्प बचत योजनाओं (SSSs) से संबंधित तथ्य

- वे **सामाजिक लाभ प्रदान करने हेतु** घरेलू बचत के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- इन्हें तीन शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है;
  - **डाक जमा**: बचत खाता, आवर्ती जमा, भिन्न-भिन्न परिपक्वता वाले सावधि जमा तथा मासिक आय योजना (MIS);
  - **बचत प्रमाण पत्र**: राष्ट्रीय अल्प बचत प्रमाण-पत्र तथा किसान विकास पत्र (KVP)
  - **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं**: लोक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), तथा सुकन्या समृद्धि खाता योजना।

अल्प बचत योजना की विशेषताएं

- वे बैंक जमा की तुलना में कुछ अधिक **उच्चतर ब्याज दर** प्रस्तावित करती हैं।
- कुछ अल्प बचत योजनाओं में **आयकर लाभ**, निश्चित प्रतिफल (रिटर्न) तथा सरकारी गारंटी भी सम्मिलित है।
- विभिन्न SSSs से एकत्रित धनराशि को **राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (NSSF)** में जमा किया जाता है, जिसे 1999 में भारत की लोक लेखा के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

सम्बंधित तथ्य

सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों के लिए न्यूनतम आवश्यक वार्षिक जमा राशि को 1000 रु से घटाकर 250 रु कर दी गई है।

VISION IAS

योजना के बारे में

- यह बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) अभियान के एक भाग के रूप में प्रारंभ की गई एक लघु बचत योजना है।
- इसका उद्देश्य अभिभावको को लड़कियों के नाम पर एक खाता खोलने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उनके सुनहरे भविष्य के लिए वे अपनी बचत को जमा कर सके।
- सुकन्या समृद्धि खाता न्यूनतम 250 रु और अधिकतम 1.5 लाख जमा की सीमा के साथ लड़कियों की शिक्षा और विवाह सम्बन्धी व्ययों को सुविधाजनक बनाने के लिए खोला जाता है।
- योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक लड़की की आयु 10 वर्ष तक होने तक लड़की के नाम पर खाता खोल सकते हैं।
- बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् वह उपलब्ध धनराशि का 50% निकाल सकती है (उदाहरणस्वरुप उच्च शिक्षा के लिए)। 18 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा बाल-विवाह को रोकने में भी सहायक होगी।
- वार्षिक जमा (अंशदान) धनराशि को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर-छूट तथा परिपक्व धनराशि को पूर्ण रूप से कर से छूट प्रदान की गई है।

3.2. सकल घरेलू उत्पाद

(Gross Domestic Product)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा एक नई पद्धति का उपयोग करते हुए, **वर्ष 2005-06 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के डेटा की 'बैक-सीरीज़' जारी** की गई है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बनाम सकल मूल्य वर्द्धित (GVA)

- किसी देश में एक विशिष्ट समयावधि में उत्पादित **सभी अंतिम आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य** को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) कहते है।
- किसी अर्थव्यवस्था में **उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के मापन** को सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) कहते हैं।
- **GVA क्षेत्र विशिष्ट** होता है, जबकि **GDP की गणना संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए** की जाती है।

GDP की गणना किस प्रकार की जाती है?

GDP की गणना के 3 सैद्धांतिक तरीकें हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **व्यय दृष्टिकोण:** सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर कुल व्यय GDP = C + I + G + (X - M), जहां C = उपभोग की जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं, I = सकल निवेश, G = सरकारी खरीद, X = निर्यात, M = आयात। GDP की गणना हेतु इस विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।
- **आय दृष्टिकोण:** इस दृष्टिकोण का उद्देश्य उत्पादन के सभी कारकों द्वारा प्राप्त आय का योग करना है।
- **मूल्य वर्द्धित दृष्टिकोण:** इस दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत/मूल्य (वित्तीय वस्तुओं और सेवाओं सहित) का योग किया जाता है तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है।

विवरण

- **वर्ष 2015 में**, सरकार ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की **गणना हेतु नई पद्धति** को अपनाया था।
  - इसके अंतर्गत कारक लागत पर GDP को **आधार मूल्य पर सकल मूल्य वर्द्धित** से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
  - गणना हेतु प्रयुक्त आधार वर्ष को 2004-05 से 2011-12 में परिवर्तित कर दिया गया।
- वर्तमान में GDP के मूल्यांकन हेतु **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्मित MCA- 21 डेटाबेस के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) तथा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI)** का उपयोग किया जाता है।
- ये परिवर्तन **संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली** (United Nations System of National Accounts) द्वारा प्रदत्त अनुशंसाओं के अनुरूप हैं।
- वर्तमान में जारी किया गया **'बैक सीरीज़ डेटा'** नई पद्धति का उपयोग करके विगत वर्षों का डेटा भी प्रदान करता है।

VISION IAS

- नई पद्धति के तहत बाजार मूल्य पर GDP की गणना निम्नानुसार की जाती है:
  - बाजार मूल्य पर GDP = आधार मूल्यों पर GVA + (उत्पाद कर) - (उत्पाद सब्सिडी)
  - आधार मूल्य पर GVA = कारक लागत पर GVA + उत्पादन कर - उत्पादन सब्सिडी
  - कारक लागत पर सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) = उत्पादन - मध्यवर्ती उपभोग

नवीन डेटा के मुख्य बिंदु

- नवीन डेटा के अनुसार पूर्व में विद्यमान धारणा के विपरीत, **विगत दशक या उससे पूर्व समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कभी भी 9% से अधिक दर के 'उच्च संवृद्धि' के चरण में नहीं रही**।
- इसके अंतर्गत यह भी रेखांकित किया गया कि विशेष रूप से खनन और विनिर्माण क्षेत्रों से संबंधित नवीन डेटा यह दर्शाता है कि **प्रारंभिक विचार के विपरीत भारत वैश्विक वित्तीय संकट से त्वरित रूप से उबर नहीं पाया।**

अन्य संबंधित तथ्य

MCA-21 डेटाबेस

- यह एक ई-गवर्नेंस पहल है, जिसे वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खातों की गणना करने हेतु कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने **वित्तीय परिणामों को दर्ज करने तथा कॉर्पोरेट खातों की अग्रिम फाइलिंग की सुविधा प्रदान करना है**। इसके दृष्टिकोण के अंतर्गत मुद्रास्फीति के समायोजन के पश्चात व्यक्तिगत कंपनियों के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से क्षेत्र के प्रदर्शन संबंधी डेटा का एकत्रीकरण किया जाता है। जबकि पूर्व के दृष्टिकोणों के अंतर्गत नमूना एकत्रित करने की पद्धति (sampling methods) का उपयोग किया जाता था।

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 (System of National Accounts: SNA 2008)

- यह **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग** द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय खातों के लिए **नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक** है। इसका लक्ष्य खातों से संबंधित एक एकीकृत एवं पूर्ण प्रणाली प्रदान करना है, ताकि सभी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं को सक्षम बनाया जा सके। हालाँकि, इसका अनुपालन **पूर्ण रूप से स्वैच्छिक** है और इसे बाध्यकारी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP)

- यह एक समग्र **'संकेतक'** है, जिसके अंतर्गत 2011-12 के आधार वर्ष के संदर्भ में एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के एक समुच्चय (basket) के उत्पादन की मात्रा में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों का मापन किया जाता है।
- इसे **केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा मासिक आधार पर संकलित और प्रकाशित किया जाता है**।
- **भारिता के घटते क्रम के अनुसार IIP के अंतर्गत शामिल क्षेत्र संरचना: विनिर्माण> खनन> विद्युत।**

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries)

- इसे **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2017** के तहत वार्षिक आधार पर संचालित किया जाता है।
- इसका लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यापक एवं विस्तृत डाटा प्राप्त करना है, ताकि **राष्ट्रीय आय के लिए समग्र रूप में पंजीकृत विनिर्माण उद्योगों के योगदान का आकलन किया जा सके**।
- इसे **CSO द्वारा संचालित** किया जाता है।

हाल ही में, वर्ष 2017 के लिए अद्यतन विश्व बैंक के डाटा के अनुसार, फ्रांस (अब 7वें स्थान पर) को पीछे छोड़ते हुए **भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है**।

- वर्ष 2018 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) कुल **2.61 ट्रिलियन डॉलर** था।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका (US) विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है, इसके पश्चात चीन, जापान, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम का स्थान है।

VISION IAS

3.3. सरकारी ऋण

(Government Debt)

सुर्खियों में क्यों?

2017-18 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र का कुल ऋण **31** मार्च **2014** के **47.5% से घटकर 2017-18** में **46.5%** रह गया।

सरकारी ऋण को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **निवेशकों का विश्वास प्रभावित होता है:** राजकोषीय समेकन की अनुपस्थिति में चूक का जोखिम बढ़ जाता है और इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का दर्जा घटा दिया जाता है। निवेशकों का विश्वास खोने से न केवल भारत में **FDI/FII** कम होगा, बल्कि भविष्य में ऋण लेना भी महंगा हो जाएगा।
- **क्राउडिंग आउट की संभावना होती है:** चूंकि बाजार में निवेश के बजाय सरकार को अधिक धन उधार दिया जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट क्षेत्र बाहर निकल जाता है जिससे औद्योगिक और पूँजीगत परिसंपत्ति वृद्धि धीमी होती है और रोजगार की संभावित हानि होती है।
- **वाणिज्यिक बैंकों का राजकोषीय दमन:** जब सरकार अधिक उधार लेती है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों (**GSecs**) की अधिक खरीद के लिए विवश करती है। जब वाणिज्यिक बैंक **GSecs** में अधिक निवेश करता है (जहां वह वाणिज्यिक ऋणों से कम ब्याज अर्जित करता है) तो इससे निजी क्षेत्र के लिए **पूंजी की उपलब्धता** कम हो जाती है और बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होती है।
- **मुद्रास्फीति:** बहुत अधिक सरकारी ऋण से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और वास्तविक ब्याज दरों में कमी आ सकती है। यह लोगों को स्वर्ण और अचल संपत्ति में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे कमज़ोर आर्थिक तरलता और काले धन की समस्या बढ़ जाती है।
- **विनिमय दर जोखिम:** विदेशी प्रतिभूतियों के सापेक्ष घरेलू प्रतिभूतियों की घटी मांग (खराब क्रेडिट रेटिंग के कारण) विनिमय दर को नीचे धकेल सकती है और डॉलर के संदर्भ में घरेलू मुद्रा को कमजोर कर सकती है। इससे आयात अधिक महंगा हो जाएगा और आगे मुद्रास्फीति अधिक तीव्र हो जाएगी।
- **समिति की अनुशंसाएं: एन.के. सिंह की अगुवाई वाली FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) की समीक्षा** समिति ने अनुशंसा की है कि 2023 तक केंद्र और राज्यों के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात क्रमशः **40%** और **20%** होना चाहिए। यह सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है।

सरकारी ऋण

- **सरकारी देयताओं** को व्यापक रूप से भारत की संचित निधि के विरुद्ध ऋण (जिसे सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है) और लोक लेखा में देयताओं (जिन्हें अन्य देयताएं कहा जाता है) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक ऋण GDP का 41% है, जबकि अन्य देयताएं GDP का 5.5% है।
- सार्वजनिक ऋण को आगे **आंतरिक ऋण** (GDP का 38.2%) और **बाह्य ऋण** (GDP का 2.9%) में वर्गीकृत किया जाता है।
- **आंतरिक ऋण** में **विपणन योग्य ऋण** (GDP का 32.9%) और **गैर-विपणन योग्य ऋण** (GDP का 5.3%) सम्मिलित होता है।
  - विपणन योग्य ऋण में नीलामी के माध्यम से जारी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल, दोनों सम्मिलित होते हैं।
  - राज्य सरकारों और चुनिंदा केंद्रीय बैंकों को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल (14 दिनों की ITB), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियां आदि गैर-विपणन योग्य आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।
- **अन्य देयताओं** में भविष्य निधि, आरक्षित निधियां और जमाएं, अन्य लेखाओं आदि के कारण उत्पन्न देयताएं सम्मिलित हैं।

क्या राजकोषीय समेकन ने केंद्र सरकार के लिए काम किया है?

- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **सकल राजकोषीय घाटा** (GFD) **2011-12** में **5.9%** से घटकर **2017-18** में **3.5%** रह गया।

VISION IAS

- **बाजार से अधिक उधारी:** सरकार ने आय और व्यय में अस्थायी घाटा पूरा करने के लिए RBI पर निर्भरता कम कर दी है (RBI से ऋण लेना मुद्रास्फीतिकारी होता है, क्योंकि इससे मुद्रा का संचलन बढ़ जाता है)। यह विपणन योग्य ऋण की अधिक हिस्सेदारी से स्पष्ट है।
- **बाजार ब्याज दरों की ओर बढ़ना:** सरकार ने बाजार उधारी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच असमानता को दूर करने और निजी क्षेत्र को बाहर निकलने से रोकने के लिए प्रशासित ब्याज दरों के बाजार दरों के साथ तालमेल की दिशा में भी प्रगति की है।
- **ब्याज दर की अस्थिरता कम करना:** भारत में लगभग 98% सार्वजनिक ऋण स्थायी ब्याज दरों पर अनुबंधित है, जो ऋण पोर्टफोलियो को ब्याज दर की अस्थिरता से बचाता है और ब्याज भुगतान के संदर्भ में बजट को निश्चितता और स्थिरता प्रदान करता है।
- **ऋण संधारणीयता में वृद्धि:** केंद्र का IP-RR अनुपात (राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान) 2000 के दशक के लगभग 52% से घटकर 2017-18 में 35.3% रह गया।

ऋण संधारणीयता के लिए केंद्र सरकार की रणनीति

- **समर्पित निकाय -** संस्थागत रूप से, सरकार ने भारत के बाह्य (वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित) और घरेलू ऋण (RBI द्वारा प्रबंधित), दोनों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए एक सांविधिक **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी** (PDMA) की स्थापना का निर्णय लिया है।
    - इस दिशा में पहला कदम 2016 में वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के भीतर एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) की स्थापना था।
- **मध्यम-अवधि ऋण प्रबंधन रणनीति** (MTDS) - अगले 3 वर्षों (2018-19 से 2020-21 तक) में लागू की जाने वाली यह रणनीति तीन व्यापक स्तंभों पर आधारित है:
    - **उधारी की कम लागत:** लंबी अवधि के बंधपत्र जारी करना, बेहतर निवेशक संबंध और उधारी कैलेंडर की अग्रिम अधिसूचना।

जोखिम शमन:

- घरेलू और विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो के उपयुक्त मिश्रण द्वारा **मुद्रा जोखिम कम करना। रोल-ओवर जोखिम कम** करने के लिए परिपक्वता को 10-वर्षीय परिपक्वता बकेट से 10-14 वर्षीय परिपक्वता बकेट तक बढ़ाने की सचेत रणनीति।

रोल-ओवर जोखिम (Roll-over Risk)

यह ऋण के पुनर्वित्तपोषण से जुड़ा जोखिम है। सामान्यत: रोल-ओवर जोखिम का देशों और कंपनियों द्वारा तब सामना किया जाता है जब ऋण या अन्य ऋण दायित्व (जैसे बंधपत्र) परिपक्व होने वाले होते हैं और उन्हें नए ऋण में परिवर्तित करने या रोल-ओवर की आवश्यकता होती है। यदि इस बीच ब्याज दरें बढ़ गई हों तो ऋण का उच्च दरों पर पुनर्वित्तपोषण करना होगा और भविष्य में अधिक ब्याज प्रभाव वहन करना होगा; या बंधपत्र निर्गमन की स्थिति में ब्याज के रूप में अधिक भुगतान करना होगा।

3.4. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

(Financial Stability & Development Council: FSDC)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा नए सदस्यों को शामिल करने हेतु वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) का पुनर्गठन किया गया है।

FSDC के बारे में

- FSDC का गठन दिसंबर 2010 में वैश्विक आर्थिक मंदी को ध्यान में रखकर किया गया था।
- इसकी **अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री** द्वारा की जाती है।
- FSDC के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री** (नया सदस्य)
    - वित्त सचिव और/या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव

- राजस्व विभाग का सचिव
- वित्त सेवा विभाग का सचिव
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का सचिव
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव** (नया सदस्य)
- मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
- RBI के गवर्नर
- SEBI, IRDAI, PFRDA और IBBI के अध्यक्ष

- इस परिषद का कार्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा बड़े वित्तीय घरानों के प्रकार्यों सहित अर्थव्यवस्था के वृहत स्तर पर विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

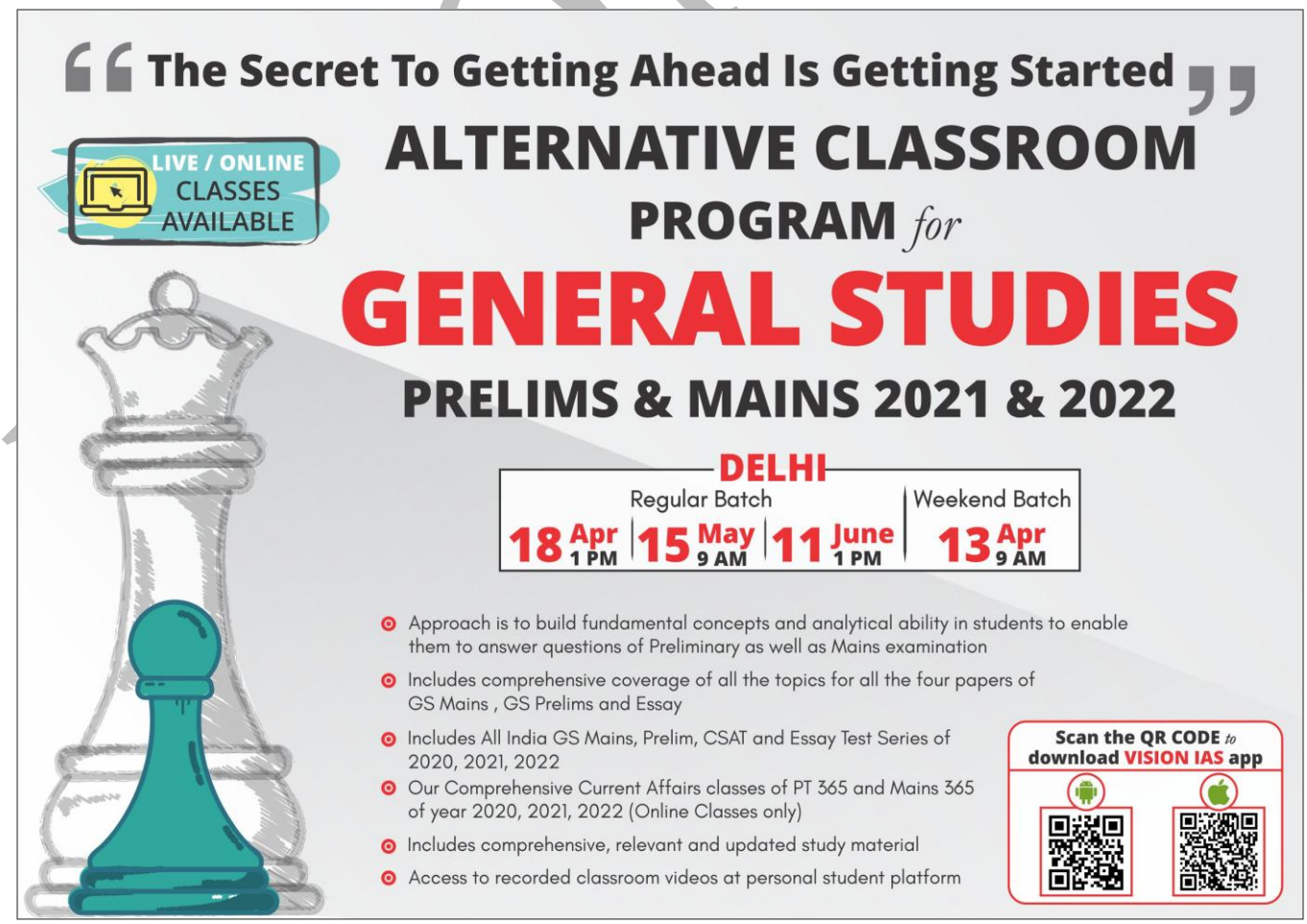

4. कराधान (Taxation)

4.1. वस्तु और सेवा कर नेटवर्क

(Goods & Services Tax Network: GSTN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) में सरकार के स्वामित्व में वृद्धि हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

- पुनर्गठित GSTN अब पूर्णतः सरकार के स्वामित्व के अधीन होगा। केंद्र (50%) और राज्यों (50%) का अब GSTN पर समान स्वामित्व होगा।
- सरकार द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि यह अनुभव किया कि GST से संबंधित बृहत् डेटा पूर्णतः सरकारी निरीक्षण में होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 करोड़ से अधिक करदाताओं से संबंधित संवेदनशील जानकारी शामिल है।

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

- GSTN वस्तुतः **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 8 के तहत शासित एक **गैर-लाभकारी कंपनी** है।
- इससे पूर्व, GSTN में केंद्र की इक्विटी 24.5% थी और राज्यों (दिल्ली एवं पुदुचेरी सहित) की इक्विटी 24.5% थी। गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों (जैसे- HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, NSE स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के पास 51% इक्विटी थी।
- इस कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से वस्तु और सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों, कर दाताओं और अन्य हितधारकों को **IT अवसंरचना और सेवाएं** प्रदान करने के लिए की गई है।

GST परिषद द्वारा लिए गए अन्य निर्णय

- केंद्रीय और राज्य GST अधिनियम के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरणों में किये गए प्रथम अपील के बाद इनके द्वारा जारी आदशों के विरुद्ध दूसरी अपील करने हेतु एक मंच के रूप में **वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण** की स्थापना। इसके अतिरिक्त, यह राज्यों और केंद्र के मध्य अप्रत्यक्ष कर विवादों की स्थिति में मध्यस्थता करेगा।
  - इसमें एक अध्यक्ष के साथ-साथ राज्य और केंद्र दोनों के एक-एक तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।
- GST से छूट प्राप्त करने के लिए **MSMEs के लिए उच्च सीमा** अधिकांश राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई।
- मौजूदा कंपोजिशन योजना में MSMEs के लिए टर्न-ओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- कंपोजिशन योजना को पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख रुपये तक के वार्षिक टर्न-ओवर वाले लघु सेवा प्रदाताओं के लिए 6 % (3% केंद्रीय GST और 3% राज्य GST) की कर दर से विस्तारित की गई है।
- GST परिषद ने **23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों में कटौती** करने का निर्णय किया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की गाड़ियों के सामान एवं पुर्जे, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण आदि शामिल हैं तथा **फ्रोजन और संरक्षित सब्जियों को लेवी से छूट** प्रदान की है। अब, 28% स्लैब केवल **लक्ज़री और सिन गुड्स** तक सीमित है।
- जिन करदाताओं ने निरंतर दो कर अवधि के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें **ई-वे बिल** निर्गत करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

GST परिषद के बारे में

- यह GST से संबंधित मुद्दों को निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत गठित एक **संवैधानिक निकाय** है।
- इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
  - केंद्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष;
  - केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री; और
  - प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अन्य मंत्री।

VISION IAS

GST कंपोजिशन योजना

- इसका **उद्देश्य छोटे करदाताओं को GST की जटिल औपचारिकताओं से राहत प्रदान करना है। ऐसे करदाताओं को उनके वार्षिक टर्न-ओवर के एवज में एक निश्चित दर पर GST का भुगतान करने की अनुमति दी गयी है।**
- कर का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाना है।
- हालांकि, इस योजना का चयन करने के पश्चात्, ऐसे करदाता GST कानून के तहत कर योग्य इनवॉइस जारी नहीं कर सकते हैं तथा न ही वे अपने ग्राहकों से GST एकत्र कर सकते हैं और **न ही अपने खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।**

ई-वे बिल के बारे में

- यह GSTN द्वारा निर्गत एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है। **एक राज्य से दूसरे राज्य** में 50,000 रुपये से अधिक के मूल्य के वस्तुओं को स्थानांतरित करने हेतु इस बिल की आवश्यकता पड़ती है।
- यह प्रत्येक राज्य में **अलग-अलग ट्रांजिट (पारगमन) पास की आवश्यकता को समाप्त** करेगा। इस प्रकार, यह अवरोध मुक्त आवागमन को सक्षम बनाएगा।

4.1.1. GST के तहत मुनाफाखोरी-रोधी व्यवस्था

(Anti-Profiteering Under GST)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) द्वारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) पर, अपने उत्पादों पर GST की दरों में की गयी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान करने में विफल रहने के कारण जुर्माना आरोपित किया गया है।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण क्या है?

- इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के तहत गठित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वस्तु एवं सेवाओं पर GST की दरों में कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों में कटौती के माध्यम से पहुंच सके।
- यह आपूर्तिकर्ता/संबन्धित व्यवसाय को अपने उत्पादों की कीमतों को घटाने या वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज सहित बकाया लाभ लौटाने का आदेश पारित कर सकता है।
- यदि बकाया लाभ को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो उसे **CGST अधिनियम के तहत गठित उपभोक्ता कल्याण निधि** में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है।
  - यह राजस्व विभाग द्वारा स्थापित किया गया है और, इसका संचालन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
  - इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण, संवर्द्धन और संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, और देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करना है।
- **प्राधिकरण का कार्यकाल-** यह अध्यक्ष के पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति तक ही अस्तित्व में रहेगा उसके बाद यह पुनः तब तक गठित नहीं किया जाएगा जब तक परिषद इसकी पुनः अनुशंसा न करे।

सम्बंधित तथ्य

- **मुनाफाखोरी** का तात्पर्य व्यापारियों द्वारा कीमतों, कर दरों के समायोजन आदि में हेरफेर करके प्राप्त किए गए अनुचित लाभ से है।
  - GST के संदर्भ में, इसका आशय है कि GST की दरों में कटौती होने पर व्यापारियों द्वारा कीमतों में कमी नहीं करना है।
- यह **इनपुट टैक्स क्रेडिट** निर्माता को इनपुट पर भुगतान किए गए कर को कम करने और शेष राशि (आउटपुट पर देय कर) का भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

VISION IAS

CGST अधिनियम के तहत मुनाफाखोरी-रोधी तंत्र की संरचना निम्नलिखित है:

- CGST के तहत मुनाफाखोरी के संबंध में शिकायतों की जांच करने और निर्णयन के लिए **3-स्तरीय संरचना** के गठन का प्रावधान किया गया है-
- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी (शीर्ष निकाय)
- सुरक्षा महानिदेशालय (मुख्य जाँच शाखा)
- राज्य-स्तरीय अनुवीक्षण समितियां और स्थायी समिति (स्थानीय प्रकृति की शिकायत या मुद्दों की सवर्प्रथम इस स्तर पर जांच की जाएगी)

4.2. भारत के कर आधार का विस्तार

(Widening of India's Tax Base)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत का प्रत्यक्ष कर आधार पिछले कुछ वर्षों से विस्तारित हो रहा है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल करदाता आधार वित्तीय वर्ष 2013-14 (आधार वर्ष) के 3.79 करोड़ के स्तर से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **विगत तीन वर्षों में प्रत्यक्ष कर-सकल घरेलू उत्पाद (DT-GDP) अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है** और वित्त वर्ष 2017-18 में 5.98% का अनुपात पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ DT-GDP अनुपात है।

प्रत्यक्ष कर

- वे कर जिनका करदाता द्वारा **प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भुगतान किया जाता है**। प्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत, करापात (incidence) और कराघात (impact) एक ही इकाई पर होता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- इसे एक प्रगतिशील कर कहा जाता है क्योंकि कर देयता का अनुपात व्यक्ति/संस्था की आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है। **उदाहरण**: आय कर, निगम कर, लाभांश वितरण कर, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आदि।
- प्रत्यक्ष कराधान की प्रणाली **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** द्वारा शासित होती है। **यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है।**

अप्रत्यक्ष कर

- यह **उस ग्राहक से एक मध्यस्थ (जैसे- खुदरा स्टोर) द्वारा एकत्र किया गया कर है**, जो वास्तव में कर के आर्थिक भार को वहन कर रहा है। इस प्रकार, **करापात और कराघात विभिन्न इकाइयों पर होता है।**
- अप्रत्यक्ष कर केवल **कर योग्य लेनदेन किए जाने की स्थिति में** ही आरोपित किया जाता है।
- यद्यपि अप्रत्यक्ष कर का एक व्यापक आधार होता है और यह अपेक्षाकृत अधिक लोचदार है (अर्थात अल्प वृद्धि से बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है), तथापि इसकी **प्रकृति प्रतिगामी होती है** क्योंकि धनी और निर्धन व्यक्ति पर एक ही वस्तु के लिए समान रूप से कर आरोपित किए जाते हैं। इस प्रकार, निर्धन व्यक्ति को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के रूप में भुगतान करना पड़ता है।

कर संग्रह में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा की गई पहलें

- **आय घोषणा योजना:** यह कर बकाएदारों को IT अधिनियम के तहत अपनी आय को प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है।
- **आयकर सेतु:** यह उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष करों की विभिन्न बारीकियों को समझने, आयकर दाखिल करने, PAN के लिए आवेदन करने, TDS विवरण की जाँच करने आदि में सहायता प्रदान के लिए प्रारंभ की गई एक ऐप है।
- **प्रोजेक्ट इनसाइट:** यह करदाता की आय और व्यय के मध्य किसी भी विसंगति को ज्ञात करने हेतु **बिग डेटा एनालिटिक्स के उपयोग** के साथ उच्च मूल्य के लेनदेन की निगरानी करेगा।
- **ऑपरेशन क्लीन मनी** को अवैध धन के प्रकटीकरण हेतु IT विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए विमुद्रीकरण के दौरान बड़ी मात्रा में जमा की गई नकदी का ई-सत्यापन करना शामिल था।

VISION IAS

- **आधार को स्थायी खाता संख्या (PAN) और बैंक खातों** से जोड़कर निगरानी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
- नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए **अरबिंद मोदी** की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

4.3. ग्लोबल डिजिटल टैक्स रूल्स

(Global Digital Tax Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जुलाई 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों की एक बैठक में यूरोपीय वित्त नेताओं द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर के वैश्विक नियमों में प्रगति की मांग की गयी है।

ग्लोबल डिजिटल कराधान नियम की आवश्यकता

- **डिजिटलीकरण** अपेक्षाकृत अधिक पारंपरिक बिजनेस मॉडल (जैसे- ई-कॉमर्स) को उपभोक्ताओं के अधिकार क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति के बिना ही उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को किसी भी प्रकार की पारंपरिक बिक्री किए बिना ही आय सृजन करने के लिए उपयोगकर्ता सहभागिता पर आधारित नए बिजनेस मॉडल का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे-सोशल मीडिया व्यवसाय, जो विज्ञापन बिक्री के माध्यम से राजस्व सृजन करते हैं।
- वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतिम उपयोगकर्ता आधारित कराधान (end user based taxation) की बजाय कंपनियों की भौतिक उपस्थिति वाले अधिकार क्षेत्र में उन पर कर लगाने का प्रावधान करते हैं। हालांकि, डिजिटल बिजनेस किसी देश में बिना किसी महत्वपूर्ण भौतिक उपस्थिति के बाजारों से राजस्व प्राप्त करते हैं परन्तु वे उस देश में करों का भुगतान नहीं करते हैं।
- ये दुर्बलताएं आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण **(BEPS)** के लिए अवसर उत्पन्न करती हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि जहां आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं और मूल्य सृजन होता है वहाँ लाभ पर कर लगाया जाता है।

वैश्विक डिजिटल कराधान व्यवस्था में सुधार हेतु पहलें

- **OECD की 15 सूत्रीय योजना (OECD' 15 Point Plan):** आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (Base Erosion & Profit Shifting: BEPS) को रोकने हेतु OECD द्वारा 15 सूत्रीय योजना तैयार की गयी है ताकि MNCs उस देश में करों का भुगतान कर सकें, जहाँ से वे लाभ अर्जित करते हैं।
  - व्यवसायों द्वारा प्रत्येक देश में विभिन्न कर क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को दर्ज करना आवश्यक है।
- **2018 में यूरोपीय आयोग के** प्रस्तावित नियमों के तहत, यूरोप में महत्वपूर्ण डिजिटल राजस्व वाली बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं पर अपने टर्नओवर का 3% कर देना होगा।
- **2015-16** के **बजट** में, भारत सरकार ने विदेशी (नॉन-रेजिडेंट) इकाइयों द्वारा देश में दी जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर **6% की दर से समकारी कर (equalization tax)** आरोपित करने की घोषणा की (जैसे- गूगल टैक्स)।
- भारत ने डिजिटल व्यवसायों के ऊपर कर आरोपित करने हेतु एक स्थायी उपाय के रूप में बहुपक्षीय उपकरण (MLI) प्रावधानित किए हैं।
  - MLI वस्तुतः OECD के बहुपक्षीय सम्मेलन द्वारा **BEPS** से निपटने हेतु कर संधि संबंधी उपायों को क्रियान्वित करने हेतु निर्मित एक विशिष्ट साधन है।
- हाल ही में, फ्रांस द्वारा 1 जनवरी 2019 से अत्यधिक वार्षिक वैश्विक राजस्व वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों पर GAFA (Google Apple Facebook Amazon) टैक्स आरोपित किया गया है।

आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS)

- यह कर अपवंचन संबंधी रणनीतियों को संदर्भित करता है। इसके तहत कर नियमों में विद्यमान अंतरालों तथा असंतुलनों का फायदा उठाते हुए कंपनियां कृत्रिम रूप से अपने लाभों को कम या शून्य कर (नो टैक्स) वाले स्थानों में स्थानांतरित कर देती हैं।
- **विकासशील देशों के लिए BEPS का व्यापक महत्व है**, क्योंकि **ऐसे देश निगम कर, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) से प्राप्त कर पर अत्यधिक निर्भर होते हैं।**
- यह विशेष रूप से बृहत् डिजिटलीकृत व्यवसायों: (1) आबादी के बिना क्रॉस-जुरिस्डिक्शनल स्तर (2) अमूर्त परिसम्पत्तियों पर अत्यधिक निर्भरता (3) उपयोगकर्ता की भागीदारी एवं डेटा के महत्व, के संदर्भ में भी सही है।

VISION IAS

4.4 एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता

(Unilateral Advanced Pricing Agreement :UAPA))

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 200वें UAPA पर हस्ताक्षर किए गए है, जिससे अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (APAs) की कुल संख्या 220 हो गई है, जिसमें 20 द्विपक्षीय APAs शामिल हैं।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (APAs) के बारे में

- अग्रिम मूल्य समझौता (APA) **करदाताओं और कर प्राधिकरण के मध्य संपन्न एक भविष्य में किसी निश्चित तिथि पर होने वाला संभावित समझौता है,** जो भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाले विवादों से बचने हेतु करदाताओं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति और देनदारियों का निर्धारण करता है।
- करदाता अधिकांश आयकर संधियों में शामिल परस्पर समझौता प्रक्रिया (MAP) के माध्यम से एक से अधिक कर प्राधिकरण के साथ APAs हस्ताक्षरित कर सकते हैं - अर्थात, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय APAs।
- **एकपक्षीय APAs** के तहत केवल करदाता और एक सरकार के मध्य हुए समझौतों को शामिल किया जाता है।

4.5.एंजेल टैक्स

(Angel Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कई स्टार्ट-अप्स ने किसी इकाई (एंटिटी) द्वारा प्राप्त फंड पर कराधान का प्रावधान करने वाली **आयकर अधिनियम की धारा 56 (2)** के अंतर्गत उन्हें भेजे गए 'एंजेल टैक्स' नोटिस के बाद **एंजेल फंड के कराधान** के संबंध में चिंता जताई है।

एंजेल टैक्स के बारे में

- यह उन गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर आरोपित 30% की दर से आरोपित एक कर है, जो उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर अपने शेयरों की बिक्री के माध्यम से पूंजी जुटाती हैं। इस अतिरिक्त पूंजी को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में माना जाता है और इस पर कर आरोपित किया जाता है।
- **उचित मूल्य** वस्तुतः किसी वस्तु, सेवा या परिसंपत्ति के संभावित बाजार मूल्य का एक तर्कसंगत और निष्पक्ष अनुमान है। एंजेल निवेशकों द्वारा निवेश किए जाने के बाद **कर अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य का निर्धारण किया जाता है** और तदनुसार कर लगाया जाता है।
- असाधारण मूल्यांकन वाले गैर-सूचीबद्ध स्टार्ट-अप्स के शेयरों में पूँजी निवेश कर, काले धन को वैध बनाने की प्रथा से निपटने हेतु वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था।

एंजेल टैक्स से संबंधित नए नियम

- वैसी कंपनी जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है तथा जिसका टर्न-ओवर 100 करोड़ रूपये से कम है, वह एंजेल टैक्स के तहत छूट प्राप्ति हेतु पात्र है।
- 25 करोड़ रूपये तक के निवेश को एंजेल टैक्स से छूट प्राप्त है।
- 100 करोड़ रूपये से अधिक की निवल परिसम्पत्ति या 250 करोड़ रूपये से अधिक की टर्न-ओवर वाली सूचीबद्ध कंपनियों और NRIs द्वारा किए गए निवेश को एंजेल टैक्स के अंतर्गत पूर्ण रूप से छूट प्राप्त होगी।
- छूट प्राप्ति के पात्र होने के लिए, एक स्टार्ट-अप को अपने व्यवसाय के सामान्य संचालन के अतिरिक्त, अचल संपत्तियों, 10 लाख रुपये से अधिक वाले परिवहन वाहन, अन्य संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम राशि तथा पूंजी योगदान में निवेश नहीं करना चाहिए।
- सभी स्टार्ट-अप को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, **केरल स्टार्ट-अप मिशन (KSUM)** के तहत केरल में भारत के सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को स्थापित किया गया है।
- यूनिकॉर्न्स 1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक मूल्य के निजी स्वामित्व वाले स्टार्ट-अप्स होते हैं। हाल ही में, फ़ूड डिलीवरी एप्लिकेशन **स्विगी** भी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है।
- एक **एंजेल निवेशक** उच्च निवल संपत्ति धारक व्यक्ति होता है, जो अपने स्वयं के वित्त (पूँजी) को किसी स्टार्ट-अप के व्यापार के **प्रारंभिक चरणों** में ऋण या इक्विटी स्वामित्व के लिए सीड फंड के रूप में निवेश करता है।
- स्टार्ट-अप के विकास की गति को तीव्र करने, IPOs जारी करने अथवा विलय/अधिग्रहण के उद्देश्य से एक **वेंचर कैपिटलिस्ट** किसी स्टार्ट-अप में इक्विटी अथवा ऋण स्वामित्व को ग्रहण कर उसके विकास के **उत्तरवर्ती चरणों** में उससे (स्टार्ट-अप) जुड़ता है।

5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

5.1. व्यापार उपचार महानिदेशालय

(Directorate General of Trade Remedies)

सुर्खियों में क्यों?

भारत में व्यापक एवं त्वरित व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए एकीकृत **व्यापार उपचार महानिदेशालय** (DGTR) का गठन किया गया है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- यह एंटी डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, सुरक्षा महानिदेशालय (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स) तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के कुछ कार्यों को समाहित करेगा।
- यह एंटी-डंपिंग, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा सम्बन्धी उपायों समेत सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों के लिए **सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण** होगा। इसमें समस्त विशेषज्ञताएँ यथा कानूनी कौशल, लेखा-व्यवहार से सम्बंधित विशेषज्ञ, व्यापार विशेषज्ञ एवं राजस्व संबंधी मामलों के विशेषज्ञ आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।
- यह **वाणिज्य विभाग से संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करेगा।**

अतिरिक्त जानकारी

एंटी डंपिंग ड्यूटी

- ये विशेष आयात शुल्क हैं जिनका अधिरोपण उस स्थिति में किया जाता है जब जांच के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि किसी फर्म द्वारा आयात बाजार में किसी उत्पाद का विक्रय इस प्रकार किया गया है कि:
  - उसका मूल्य गृह बाजार में प्रभारित किए जाने वाले मूल्य से कम है; या
  - इसका विक्रय उत्पादन की लागत से कम मूल्य पर या उचित मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है; और
  - यह आयात देश में उत्पादकों के हितों को हानि पहुंचाता है।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिकारी शुल्क)

- यदि निर्यातक राष्ट्र अपने निर्यातों को निर्यात सब्सिडी प्रदान करता पाया जाता है, तो आयातक राष्ट्रों द्वारा आयातों पर प्रतिकारी शुल्क का अधिरोपण किया जाता है।

सेफ़गार्ड ड्यूटी (सुरक्षा शुल्क)

- जब किसी उत्पाद के आयात शुल्क, रियायतों या विश्व व्यापार संगठन की अन्य देयताओं के कारण अप्रत्याशित रूप से ऐसे बिन्दु तक बढ़ जाते हैं कि उनके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती है या ऐसी क्षति संभावना उत्पन्न हो जाती है, तो अस्थायी उपाय के रूप में सुरक्षा शुल्क का उपयोग किया जाता है।

5.2.भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(Export Import Bank of India)

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण बांड के माध्यम से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) में 6000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भारतीय एक्जिम बैंक के बारे में

- इसे 1982 में संसद के एक अधिनियम के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण, उसे सुविधा प्रदान करने और प्रोत्साहित करने हेतु शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसे RBI द्वारा विनियमित किया जाता है।
- इस बैंक द्वारा मुख्यतः भारत से होने वाले निर्यात हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही भारत से विकासात्मक एवं अवसंरचना परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात हेतु विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

संबंधित अन्य तथ्य

रियायती वित्त पोषण योजना (Concessional Finance Scheme: CFS)

- इसके तहत, एक्जिम बैंक द्वारा 2015-16 से विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं हेतु बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का सहयोग किया जा रहा है।

VISION IAS

- इस योजना के तहत एक्जिम बैंक द्वारा इस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी दर LIBOR (औसत छह माह) +100 bps से अधिक नहीं होती है। ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी विदेशी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत **विदेश मंत्रालय** द्वारा भारत के रणनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए परियोजना का चयन किया जाता है।

ग्रास रूट्स इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट (GRID) इनिशिएटिव:

- एक्जिम बैंक विशेष रूप से निर्यात संभावना वाले ग्रास रूट्स इनिशिएटिव/ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है और दस्तकारों/उत्पादक समूहों/क्लस्टरों/लघु उद्यमों/गैर-सरकारी संगठनों को उनके उत्पादों पर लाभकारी प्रतिफल प्राप्त करने में सहायता करता हैं और इन इकाइयों के निर्यात को प्रोत्साहित करता है।

पुनर्पूंजीकरण बांड (Recapitalization Bonds)

- एक सरकारी बांड, परिपक्वता तिथि और आवधिक ब्याज पर अंकित मूल्य चुकाने के वादे के साथ बाजार से धन प्राप्त करने का एक उपकरण है। पुनर्पूंजीकरण के उद्देश्य के लिए जारी किए गए एक बांड को पुनर्पूंजीकरण बांड कहा जाता है।

पुनर्पूंजीकरण बांड किस प्रकार कार्य करते हैं?

- सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण बांड जारी किया जाता है, जिसे बैंको द्वारा ख़रीदा जाता है और इसे अपने रिकार्ड में निवेश के रूप में दर्ज किया जाता है। बॉन्ड की खरीद पर बैंकों द्वारा सरकार को धन उधार दिया जाता है।
- इन बांडों के माध्यम से सरकार द्वारा एकत्रित किया गया धन बैंकों के पास पूंजी के रूप में पुनः वापस चला जाता है। यह बैंकों की बैलेंस-शीट को शीघ्र ही सुदृढ़ता प्रदान करता और पूंजी-पर्याप्तता को प्रदर्शित करता है।
- चूंकि सरकार के पास परिसंपत्तियां सदैव देयताओं की अपेक्षा अधिक होती हैं इसलिए सरकार को पुनर्पूंजी बांड को खरीदने हेतु उधार दिया गया धन बैड लोन के रूप में परिवर्तित नहीं होता है।

5.3. निर्यात ऋण गारंटी निगम

[Export Credit Guarantee Corporation (ECGC)]

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) को सुदृढ़ करने के लिए 2000 करोड़ के पूंजी निवेश को स्वीकृति प्रदान की है।

ECGC के बारे में

- ECGC लिमिटेड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा की सहायता प्रदान करती है और इसे **वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।**

कार्य

- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में नुकसान के लिए निर्यातकों को क्रेडिट जोखिम बीमा कवर प्रदान करता है।
- निर्यातकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करता है।
- इक्विटी या ऋण और अग्रिम के रूप में विदेशों में संयुक्त उद्यमों में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश बीमा प्रदान करता है।

5.4. विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)

(World Customs Organization)

- हाल ही में, भारत में **विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)** की **पॉलिसी कमीशन मीटिंग** के 80वें सत्र का आयोजन किया गया।

विवरण

- **WCO को 1952 में** सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) के रूप में स्थापित किया गया था। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है जिसका मिशन **सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता में वृद्धि करना है।**
- यह **एकमात्र वैश्विक संगठन** है जो सीमा पर कस्टम क्लियरेन्स के लिए वैश्विक मानकों और प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन को परिभाषित करता है।
- **सदस्यता:** 180 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। भारत 1971 से इसका सदस्य है।
- जुलाई, 2018 में, भारत दो वर्ष की अवधि के लिए WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का **उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय प्रमुख)** बन गया है।

VISION IAS

6. रोजगार एवं कौशल विकास (Employment and Skill Development)

6.1 तय अवधि के रोजगार

(Fixed Term Employment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से सभी उद्योगों में तय अवधि के रोजगार (FTE) की अनुमति सम्बन्धी आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- **औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018** ने सभी उद्योगों को एक निश्चित कार्यकाल (पहले केवल परिधान और जूते निर्माण तक सीमित) के साथ अनुबंध पर श्रमिकों को रखने की अनुमति दी थी।
- **श्रम, समवर्ती सूची का एक विषय है** और संसदीय अनुसमर्थन के बिना, राज्य वास्तव में इन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

तय अवधि के रोजगार क्या है?

- तय अवधि के रोजगार के तहत कर्मचारियों को कंपनी के स्थायी कर्मचारी के सामान सभी वैधानिक सुविधाएं मिलती हैं (वेतन, कार्य करने के घंटे, इत्यादि)। हालांकि ऐसे कर्मचारी कंपनी के पे-रोल पर नहीं होते हैं और इनका अनुबंध कुछ निश्चित आधारों पर समाप्त किया जा सकता है।
- यह श्रमिकों के लिए निश्चित मजदूरी और बेहतर काम की स्थिति प्रदान करेगा और नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
- व्यवसायों के लिए, यह कंपनियों को अतिरिक्त विधायी बोझ के बिना उनकी आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिकों को काम पर रखने और हटाने की अनुमति देता है। यह लचीलापन उनकी वाणिज्यिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने में मदद करेगा।
- हालांकि, इससे ट्रेड यूनियनों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता प्रभावित हो सकती है और रोजगार नियमन में कमी आ सकती है। यह कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 द्वारा प्रस्तावित रक्षोपायों को भी कमजोर कर सकता है।

सम्बंधित जानकारी

गिग (GIG) अर्थव्यवस्था में, अस्थायी, लोचशील रोजगार एक सामान्य सी बात है और कंपनियों का झुकाव पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय **स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों** (स्वतन्त्र रूप से काम करने वालों) को काम पर रखने की ओर होता है। एक गिग इकॉनमी पूर्णकालिक श्रमिकों की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करती है जो शायद ही कभी अपने रोजगार को बदलते हैं और बजाय इसके वे जीवन पर्यंत चलने वाले कैरियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अनुमान के अनुसार, गिग इकोनॉमी भारत में 56% रोजगार उत्पन्न कर रही है और जिसके प्रतिवर्ष 25-30% तक बढ़ने के आशा है।

6.2. आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (PLFS)

[Periodic Labour Force Survey (PLFS)]

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण (PLFS) की प्रथम मसौदा रिपोर्ट जारी की गयी है।

आवधिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण ?

- **PLFS का शुभारम्भ 2017** में NSSO द्वारा किया गया था। इसे पूर्ववर्ती प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए आरंभ किया गया था, जिसमें ऐसे आंकड़े प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात ही उपलब्ध हो पाते थे।
- यह शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में **त्रैमासिक आधार पर** तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पर **ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आधार पर विभिन्न श्रमशक्ति संकेतकों का अनुमान संबंधी नियमित सर्वेक्षण है।**
- इससे **न केवल औपचारिक क्षेत्रकों बल्कि अनौपचारिक क्षेत्रों** के लिए भी आंकड़े उपलब्ध होंगे।
- PLFS को दो दृष्टिकोणों का उपयोग कर श्रम बाज़ार संबंधी परिचालनों के संकेतकों के सृजन हेतु डिज़ाइन किया गया है:

VISION IAS

- **सामान्य स्थिति दृष्टिकोण (Usual Status approach):** इस पद्धति में कार्य के इच्छुक एवं कार्य हेतु उपलब्ध केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार के रूप में दर्ज किया जाता है जो सर्वेक्षण की तिथि के पूर्व तक पूरे वर्ष के **365 दिनों** तक किसी भी लाभकारी रोज़गार से वंचित रहे हों। इस प्रकार, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के आधार पर प्राप्त बेरोज़गारी के आकलन के आधार पर **दीर्घकालीन सार्वजनिक बेरोजगारी** पर नियंत्रण करने की उम्मीद है।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) दृष्टिकोण:** इस पद्धति में सर्वेक्षण के पूर्व के सप्ताह से संबंधित वर्तमान क्रिया-कलाप से सम्बद्ध स्थिति को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कार्य के इच्छुक या कार्य हेतु उपलब्ध उन व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें एक दिन में एक घंटे के लिए भी लाभप्रद रोज़गार उपलब्ध नही होता है। इस प्रकार, साप्ताहिक स्थिति प्रणाली के दायरे में केवल **खुली दीर्घकालीन स्थायी बेरोजगारी** नहीं आती है बल्कि **सामयिक बेरोजगारी** भी शामिल होती है।
- इस सर्वेक्षण में आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग(CAPI) प्रणाली को अपनाया गया है।

6.3. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना

(National Apprenticeship Promotion Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS)** को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) प्रणाली में निष्पादित करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS)

- इसका उद्देश्य प्रशिक्षु प्रशिक्षण को बढ़ावा देना तथा उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है जो प्रशिक्षुओं (apprentices) को नियुक्त करना चाहते हैं।
- यह **निर्धारित वेतन के 25%** की प्रतिपूर्ति (जो प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह होगा) सुनिश्चित करती है। इसमें 2018-2019 में 15 लाख प्रशिक्षुओं व **2019-20 में 20 लाख प्रशिक्षुओं** को संलग्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इसमें स्नातक, टेक्नीशियन तथा टेक्नीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं (जो MHRD द्वारा प्रशासित योजना में शामिल किये गए हैं) के अतिरिक्त शेष **सभी प्रशिक्षुओं को शामिल** किया गया है।
- यह प्रशिक्षण की **दोहरी-अध्ययन प्रणाली** को भी बढ़ावा देता है जिसके अंतर्गत ITI's में सैद्धांतिक अनुदेश (Instructions) दिए जाते हैं जबकि व्यावहारिक अनुदेश प्रशिक्षण उद्योग में दिए जाते हैं। इस प्रकार यह उद्योग तथा ITI's के मध्य संबंध में सुधार करता है।
- राज्य शिक्षुता सलाहकार (SAAs) और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय (RDATs) अपने संबंधित राज्य/क्षेत्रों में कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे।

6.4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद

(National Council for Vocational Education & Training)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया मिशन के परिणामों में सुधार के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) को मिलाकर **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET)** की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

NCVET के बारे में

- यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में संलग्न इकाइयों के **कार्यों को नियंत्रित करेगी** और ऐसी संस्थाओं के कार्यों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करेगी।

NCVET के विभिन्न कार्यों में सम्मिलित हैं:

- अधिनिर्णायक निकायों (awarding bodies), मूल्यांकन निकायों और कौशल से संबंधित सूचना प्रदाताओं की **मान्यता और विनियमन**।
- अधिनिर्णायक निकायों और क्षेत्रक कौशल परिषदों (Sector Skill Councils: SSCs) द्वारा विकसित **अर्हताओं का अनुमोदन करना।**
- अधिनिर्णायक निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से **व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन।**
- शोध और सूचना का प्रसार।
- शिकायत निवारण।

VISION IAS

कौशल विकास के लिए हाल ही में की गईं अन्य सरकारी पहलें

- **भारतीय कौशल संस्थान (Indian Institute of Skills):** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत देश भर में विभिन्न स्थानों पर भारतीय कौशल संस्थानों (IISs) की स्थापना को स्वीकृति दी है।
- **ग्लोबल स्किल पार्क:** यह एक अंतर्राष्ट्रीय कौशल संस्थान है जो विद्यार्थियों को विश्व स्तर की मशीनरी, औजारों और उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने **मध्य प्रदेश में पहला ग्लोबल स्किल पार्क** स्थापित करने के लिए 150 मिलियन डालर के ऋण की मंजूरी दी है।
- **राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमशीलता जागरूकता अभियान 'उद्यम अभिलाषा':** इसे SIDBI द्वारा लांच किया गया। इसका उद्देश्य आकांक्षी युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 800 प्रशिक्षकों का एक कैडर तैयार करना है। सिडबी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्पेशल पर्पज व्हेकिल (SPV) "कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड" के साथ साझेदारी की गयी है।
- **जन शिक्षण संस्थान:** न्यूनतम लागत और अवसंरचनाओं के साथ लाभार्थियों के नजदीकी स्थानों पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (कटाई, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, वेल्डिंग, पाइपलाइन आदि से संबंधित)।

क्षेत्र कौशल परिषदें (SSCs)

- इन्हें कौशल विकास और प्रशिक्षण के परिचालन हेतु **राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (NSDC) के तहत** एक स्वायत्त **उद्योग-आधारित निकायों** के रूप में स्थापित किया गया है। इन्हें धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी या एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
- इनका उद्देश्य कौशल अंतराल की पहचान करना, कौशल/योग्यता मानकों को निर्धारित करना, प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, श्रम बाजार के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान करना और एक सुदृढ़ प्रशिक्षण वितरण तंत्र का विकास करना है।
- **शारदा प्रसाद समिति (2016)** द्वारा इनकी अतिव्यापी भूमिकाओं के कारण मौजूदा परिषदों को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है तथा इन परिषदों में हितों के टकराव को भी उजागर किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

- इसकी स्थापना 2009 में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी के रूप में, उभरते हुए कौशल अंतराल को कम करने के उद्देश्य से की गई थी।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के माध्यम से इसमें भारत सरकार का वर्तमान हिस्सेदारी 49% है, जबकि शेष 51% निजी क्षेत्र के अंतर्गत है।
- यह उन लोगों को **पुनः कौशल प्रदान करने** और उनके कौशल उन्नयन से संबंधित है जो पहले से ही औपचारिक मानव संसाधन का एक भाग हैं।

6.5. प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना

PM Shram-Yogi Maandhan Yojana (PMSYM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के रूप में एक पेंशन योजना प्रारम्भ की है।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पर्याप्त लचीलेपन और निकासी विकल्पों के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।	• असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रूपए प्रति माह या उससे कम है और जो **18-40 वर्ष की आयु वर्ग** के अंतर्गत आते हैं, इसके पात्र होंगे। • जो नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना या कर्मचारी	• 60 वर्ष की आयु के पश्चात **न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक** की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। • लाभार्थी को इसमें शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान करना आवश्यक है। • PMSYM, 50:50 पर आधारित एक **स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना** है, **जिसमें सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जायेगा।** • पेंशन-प्राप्ति के दौरान मृत्यु हो जाने पर, पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% राशि प्राप्त होगी।

VISION IAS

	भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत कवर नहीं किये जाते हैं। • आयकर दाता नहीं होना चाहिए।	• **60 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु होने पर,** उसकी/उसके पत्नी/पति इस योजना में शामिल होने और उसे जारी रखने या योजना से बाहर होने के लिए हकदार होंगे।

अटल पेंशन योजना और PMSYM की तुलना:

- APY भी असंगठित क्षेत्र को लक्षित करती है और इसकी प्रकृति भी सह-अंशदान की ही है किन्तु यह न्यूनतम **1000 से 5000 रुपये** के बीच पेंशन का वचन देती है, वहीं PMSYM में पेंशन सीमा मात्र 3000 रुपये प्रतिमाह की है।
- PMSYM केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी **मासिक आय 15000 रुपये तक है,** वहीं APY में ऐसी **कोई आय सीमा नहीं** है।
- APY में **मासिक, त्रैमासिक या अर्द्ध-वर्षीय** अंशदान का विकल्प चुना जा सकता है, जो असंगठित क्षेत्र के अनियमित आय वाले लोगों के लिए सहायक है। PMSYM केवल **मासिक** अंशदान की ही अनुमति देती है।
- APY में **अंशदानकर्ता की मृत्यु पर** उसके पति/पत्नी उसके द्वारा जमा राशि को एकमुश्त प्राप्त कर योजना से बाहर आ सकते हैं। PMYSM में कर्मचारी को केवल पेंशन ही प्राप्त होती है और उसके परिवार को उसकी जमा राशि प्राप्त नहीं होती है। PMSYM के अंतर्गत उसकी या उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी जमा राशि जब्त हो जाती है।
- PMSYM का प्रबन्धन प्रत्यक्ष रूप से **सरकार द्वारा** किया जाता है, जबकि APY को **पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण** (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है।

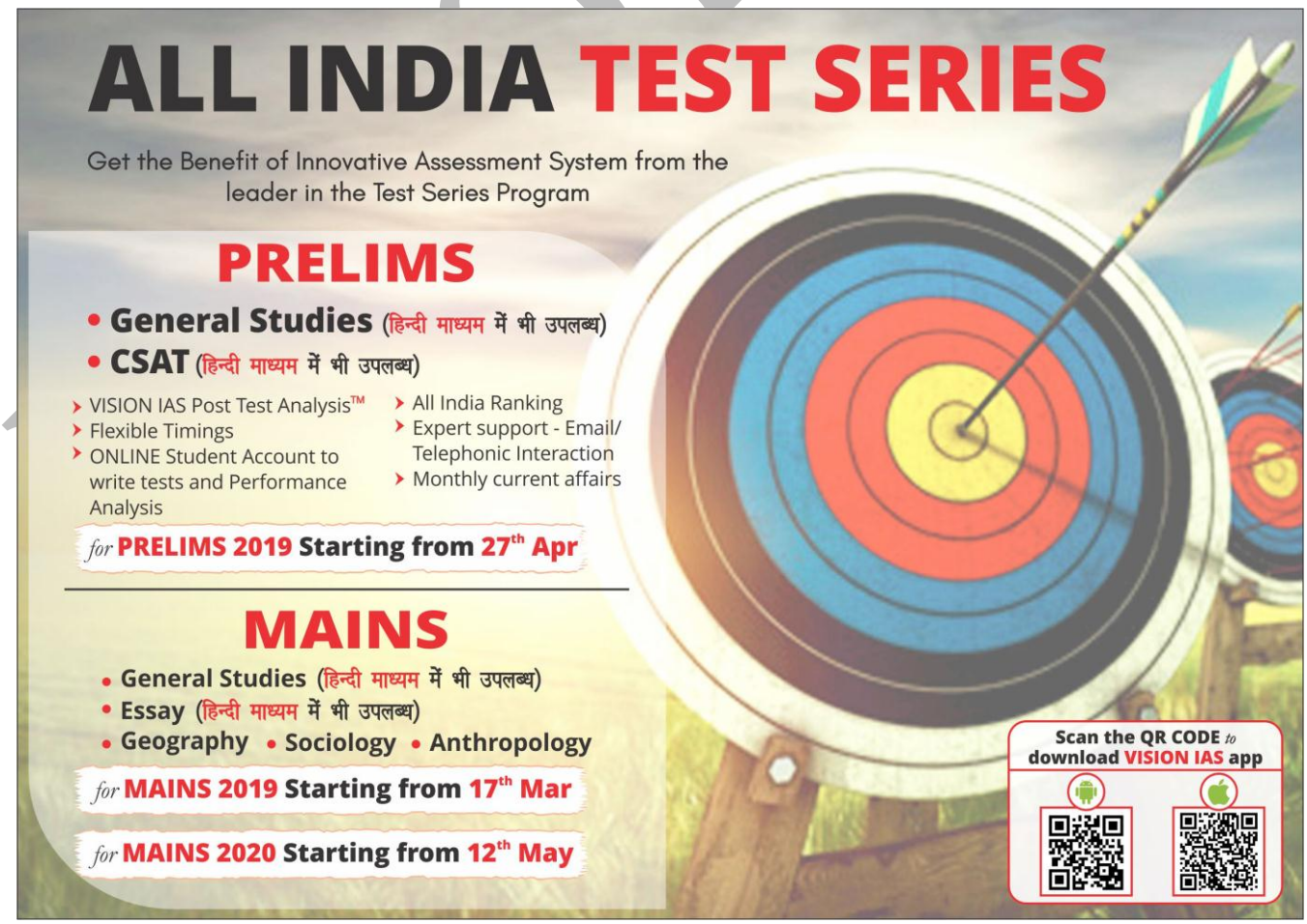

7. कृषि (Agriculture)

7.1. सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विकास

(Developments in Irrigation Projects)

7.1.1. सूक्ष्म सिंचाई कोष

(Corpus for Micro Irrigation Fund)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ एक समर्पित **सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)** की स्थापना की गयी है, ताकि राज्यों को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

NABARD

- NABARD की स्थापना **1981 के NABARD अधिनियम** के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के संवर्द्धन और विकास के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना और उनका विनियमन करना है।
- यह राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCRDB), राज्य सहकारी बैंक (SCB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) एवं वाणिज्यिक बैंक (CBS) जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण करने वाले **वित्तीय संस्थानों का पुनर्वित्तपोषण करता** है।
- यह सूक्ष्मवित्त नवाचार को मुख्यधारा में लाने के लिए **SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम** को बढ़ावा देता है और अन्य बैंकों को SHG को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- 2016-17 के बजट के दौरान NABARD में PMKSY के एक भाग के रूप में **20,000 करोड़ रुपये** के प्रारंभिक कोष के साथ **दीर्घकालिक सिंचाई कोष** (LTIF) की स्थापना की गई थी। इसे 2017-18 के बजट में दोगुना कर दिया गया है।

सूक्ष्म-सिंचाई

- इसका तात्पर्य सर्फेस ड्रिप, सबसर्फेस ड्रिप, बबलर और माइक्रो-स्प्रिंकलर प्रणाली द्वारा मृदा के ऊपर या नीचे, मंदगति से जल पहुँचाने से है। इससे फसलों की उपज एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- वर्ष 2012, 2015 और 2016 में बारम्बार पड़ने वाले सूखे के कारण, सूक्ष्म सिंचाई PMKSY के **'प्रति बूँद अधिक फसल (पर ड्राप मोर क्रॉप)'** घटक के रूप में भारत में नीतिगत प्राथमिकता बन चुकी है।
- भारत में सूक्ष्म सिंचाई का औसतन विस्तार **5.5%** है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- इसका उद्देश्य स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्रीय अनुप्रयोग और विस्तार संबंधी गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण (एंड टू एंड) समाधान के साथ केंद्रित तरीके से सिंचाई की पहुंच का विस्तार करते हुए 'हर खेत को जल' और जल उपयोग दक्षता 'प्रति बूँद अधिक फसल' में सुधार लाना है।
- इसकी देखरेख और निगरानी सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ PM के अधीन अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) का गठन किया जाएगा।
- PMKSY को निम्नलिखित मौजूदा योजनाओं को समामेलित कर तैयार किया गया है:
  - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP);
  - एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP); तथा
  - खेत के स्तर पर जल प्रबंधन (OFWM) जोकि राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA) का घटक है।
- इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों अर्थात घरेलू, कृषि और उद्योगों के लिए जल प्रबंधन की रुपरेखा या जल बजट तैयार किया जाता है।

VISION IAS

7.1.2. क्रिसिल ड्रिप इंडेक्स

(Crisildrip Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, क्रिसिल द्वारा रेनफॉल पैरामीटर इंडेक्स जारी किया गया। **इसे DRIP (डेफिसेंट रेनफॉल इंपैक्ट पैरामीटर)** इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है।

विवरण

- ड्रिप इंडेक्स केवल वर्षा के आयतन संबंधी डेटा को मापने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुभेद्यता (सिंचाई) और मौसम संबंधी आघातों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष के मध्य अंत:क्रिया का भी अध्ययन करता है।
- क्रिसिल ड्रिप स्कोर जितना उच्च होगा, कम वर्षा (deficient rains) का प्रभाव उतना ही अधिक प्रतिकूल होगा।

7.1.3. वर्षा-आधारित कृषि

(Rain-Fed Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वर्षा-आधारित कृषि एटलस** जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत यह रेखांकित किया गया कि सरकार की नीतियों में वर्षा-आधारित कृषि के विरुद्ध पक्षपात किया जाता है।

रिवाइटलाइज़िंग रेन-फेड एग्रीकल्चर नेटवर्क

- इसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था, यह 600 से अधिक सदस्यों वाला एक अखिल भारतीय नेटवर्क है, इसके सदस्यों में प्रख्यात शिक्षाविद्, नीति निर्माता, किसान और सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन शामिल हैं जो उत्पादक, समृद्ध और लचीली वर्षा-आधारित कृषि के लिए सार्वजनिक प्रणालियों, नीति और निवेश को प्रभावित करने का कार्य करते हैं।
- यह **वर्षा आधारित कृषि एटलस प्रकाशित करता है।**

वर्षा-आधारित कृषि के बारे में

- एक क्षेत्र को वर्षा आधारित क्षेत्र के रूप में तभी वर्गीकृत किया जा सकता है, यदि उसमें 40% से कम शुद्ध सिंचित क्षेत्र मौजूद हो।
- भारत में लगभग 180 जिलों के अंतर्गत वर्षा-आधारित क्षेत्र हैं और ये सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में मौजूद हैं, परंतु इनमें से अधिकांश शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
- भारत के लगभग 61% किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं और 55% सकल फसल क्षेत्र वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत आता है।
- वर्षा-आधारित क्षेत्रों द्वारा देश के खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से योगदान दिया जाता है। यह देश में **दालों (88%) एवं चावल (40%) के उत्पादन तथा मवेशियों की 64% आबादी को समर्थन** प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण सरकारी पहल

- **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) -** यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक के रूप में परिकल्पित है। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि विशेषतः एकीकृत कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्षा आधारित क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है।
  - **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास-** यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से संबंधित जोखिमों में कटौती करने हेतु **एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS)** पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रणाली के तहत, फसलों / फसल प्रणाली को विभिन्न गतिविधियों जैसे- बागवानी, पशुधन, मत्स्य, कृषि-वानिकी, कृषि इत्यादि के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि किसानों को न केवल आजीविका को बनाए रखने हेतु कृषि संबंधी लाभों में वृद्धि करने बल्कि सूखे, बाढ़ या अन्य विनाशकारी मौसमी परिघटनाओं से निपटने के साथ-साथ फसल क्षति के दौरान संबद्ध गतिविधियों द्वारा आय प्राप्ति के अवसरों के सृजन के लिए सक्षम बनाया जा सके।

VISION IAS

7.2. कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन और विपणन

(Storage, Transport & Marketing of Agricultural Product)

7.2.1. कृषि उत्पाद बाजार समिति

(Agricultural Produce Market Committee)

सुर्खियों में क्यों?

महाराष्ट्र कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) के एकाधिकार को समाप्त करने और थोक बाजारों (मंडियों) के बाहर पशुधन सहित कृषि वस्तुओं में व्यापार के लिए अनुमति प्रदान वाला **बिहार के बाद दूसरा राज्य बन गया है।**

APMCs के बारे में

- वर्तमान में, कृषि वस्तुओं का विपणन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है।
- इसके दायरे में अधिसूचित कृषि जिंसों के साथ-साथ पशुधन को भी शामिल किया गया है।
- किसानों द्वारा कटाई-पश्चात फसलों की पहली बिक्री केवल नीलामी के माध्यम से APMC अधिकृत मंडियों (फार्म गेट पर नहीं) में हो सकती है।
- कृषि बाजारों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने मॉडल APMC अधिनियम, 2003 तथा उसके पश्चात कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 प्रस्तावित किया है।
- **मॉडल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 (APLM अधिनियम):** यह प्रगतिशील कृषि विपणन सुधारों का प्रावधान करता है, जिसमें निजी क्षेत्र में बाजार स्थापित करना, प्रत्यक्ष विपणन, किसान-उपभोक्ता बाजार, फलों और सब्जियों का अविनियमन, ई-ट्रेडिंग, बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी, राज्य में एकीकृत एकल व्यापार लाइसेंस जारी करना, वेयरहाउस / साइलो / कोल्ड स्टोरेज को मार्केट सब-यार्ड और मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस (MNI) घोषित करना, को शामिल किया गया है ताकि किसानों को बेहतर कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए अधिक बाजार उपलब्ध हों।

मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस (MNI)

- **कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम, 2017** में MNI की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है। सकल प्रवाह क्षमता (निर्धारित अवधि में किया गया गणन कार्य अथवा उत्पादन), मूल्य, अपस्ट्रीम कैचमेंट क्षेत्र, सेवित उपभोक्ताओं की डाउन-स्ट्रीम संख्या तथा विशेष अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकताओं जैसे पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् ऐसा प्रस्ताव किया गया है।
- वर्तमान में, आजादपुर, दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा कृषि बाजार देश में एकमात्र राष्ट्रीय महत्व का बाजार (MNI) है।
- विभिन्न राज्य अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु इस प्रकार के बाजार बनाने के लिए अपने संबंधित APMC अधिनियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में हैं।

7.2.2. ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम)

(Grameen Agricultural Markets: GRAMS)

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्र ने पहले चरण में ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम) कार्यक्रम के तहत आधुनिकीकरण और अवसंरचना के विकास के लिए 1,878 ग्रामीण हाटों की पहचान की है।

ग्राम के बारे में

- इसका उद्देश्य मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग कर भौतिक अवसंरचना (जैसे सड़क संपर्क, भंडारण क्षमता आदि) को सुदृढ़ करके मौजूदा **22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम) के रूप में विकसित और उन्नत करना है।**
- ग्राम APMC अधिनियम विनियमन से बाहर होंगे तथा e-NAMs से संबद्ध होंगे।

VISION IAS

- यह कदम **किसानों की आय को दोगुना करने के लिए गठित अशोक दलवई समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है,** जिसने प्राथमिक ग्रामीण कृषि बाजारों को स्थापित करने के लिए **ग्रामीण हाटों के उपलब्ध अवसंरचना पर निर्माण करने की अनुशंसा की** जहां छोटे और मध्यम किसान प्रतिस्पर्धी कीमतों को प्राप्त कर सकते हैं।
- हाल ही में, सरकार ने **2000 करोड़ रुपए की निधि के साथ कृषि-बाज़ार अवसंरचना कोष (Agri-Market Infrastructure Fund-AMIF)** स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस कोष की स्थापना ग्रामीण कृषि बाजारों और विनियमित थोक बाजारों में कृषि विपणन संबंधी अवसंरचना के विकास और उन्नयन के लिए नाबार्ड के सहयोग से की गई।

ग्रामीण हाट

- **बहु-वस्तु बाजार** जो किसान-उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य संपर्क के प्रथम बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। इसमें पशुधन के साथ-साथ गैर-कृषि उत्पादों की बिक्री भी शामिल है।

7.2.3. ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए दिशा-निर्देश

(Guidelines for Operations Greens)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने **ऑपरेशन ग्रीन्स** की परिचालन रणनीति को स्वीकृति दे दी है।

योजना के बारे में

- **यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है तथा टमाटर, प्याज** और **आलू (TOP)** की आपूर्ति को स्थिर करने हेतु 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ TOP फसलों की सम्पूर्ण देश में मूल्य अस्थिरता के बिना उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गयी थी।

ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए रणनीति

- **अल्पावधिक मूल्य स्थिरीकरण उपाय: राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAEFD)** मूल्य स्थिरीकरण उपायों के कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था का कार्य करेगी। MoFPI निम्नलिखित दो घटकों पर 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी:
  - TOP फसलों के उत्पादन स्थल से भंडारण स्थल तक परिवहन;
  - TOP फसलों के लिए यथोचित भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेना।
- **दीर्घावधिक एकीकृत मूल्य शृंखला विकास परियोजनाएँ,** जैसे- FPOs और उनके संघ की क्षमता का निर्माण, गुणवत्तायुक्त उत्पादन, फसल कटाई के पश्चात् प्रसंस्करण सुविधाएँ, एग्रो लॉजिस्टिक्स, विपणन/उपभोग बिंदु और TOP फसलों की मांग एवं आपूर्ति प्रबन्धन के लिए एक ई-प्लेटफार्म का निर्माण और प्रबन्धन करना।
- सहायता के प्रतिरूप में सभी क्षेत्रों में **पात्र परियोजना लागत के 50% की दर पर सहायता अनुदान** सम्मिलित होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रूपये प्रति परियोजना होगी (FPO के लिए सहायता राशि 70% की दर से होगी)।
- पात्र संगठनों में राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, किसान उत्पादक संघ (FPO), सहकारी समितियां, कम्पनियां, स्वयं-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, सेवा प्रदाता, आपूर्ति शृंखला संचालक, खुदरा और थोक शृंखलाएं तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकारें और उनकी वे संस्थाएं / संगठन सम्मिलित होंगे जो इन कार्यक्रमों में भाग लेने और **वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र** होंगे।
- इस योजना के तहत पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक को मंत्रालय के संपदा (SAMPADA) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

"ऑपरेशन ग्रीन्स" के प्रमुख उद्देश्य:

- **TOP उत्पादन संकुलों (क्लस्टर)** और उनके किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सुदृढ़ करने तथा उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा TOP उत्पादक किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना।
- उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण करना।
- फसल कटाई के पश्चात् होने वाली क्षति को कम करना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना तथा TOP मूल्य-शृंखला में मूल्यवर्द्धन करना।
- बाजार आसूचना तन्त्र की स्थापना करना और TOP फसलों की मांग एवं आपूर्ति के रियल टाइम आंकड़ों को एकत्र करना और उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना।

VISION IAS

7.2.4. अनुबंध कृषि

(Contract Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि मंत्री द्वारा **'मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध कृषि एवं सेवा (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018'** जारी किया गया है।

अनुबन्ध कृषि के बारे में:

- इसके अंतर्गत, खरीदार एवं उत्पादकों के मध्य हुए **प्री-हार्वेस्ट अग्रीमेंट** के आधार पर कृषि उत्पादन (पशुधन और मुर्गी पालन सहित) किया जाता है।
- इसका लक्ष्य किसानों की उपज हेतु एक **सुनिश्चित बाज़ार** का निर्माण कर उनके **जोखिमों को कम करना** है, साथ ही **उत्पादकता एवं लागत प्रभाविता में वृद्धि के माध्यम से कृषि संबंधी एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को निवेशों हेतु प्रोत्साहित करना**।
- इसे संविधान की **7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में** शामिल किया गया था; वर्तमान में कृषि राज्य सूची का एक विषय है।
- **मॉडल कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम, 2003** के तहत अनुबंध कृषि हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 20 राज्यों द्वारा अनुबंध कृषि के लिए अपने APMC अधिनियमों के अंतर्गत संशोधन किए गए, जबकि पंजाब में अनुबंध कृषि पर एक पृथक कानून मौजूद है।

मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: यह एक संवर्द्धन और सरलीकरण संबंधी अधिनियम है, यह संरचनात्मक रूप से **विनियामक नहीं** है।

- अनुबंधों को पंजीकृत कर उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर **अनुबंध कृषि (विकास एवं संवर्द्धन) प्राधिकरण** तथा स्थानीय स्तर पर "पंजीकरण एवं अग्रीमेंट रिकॉर्डिंग" समितियों को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- यह त्वरित एवं आवश्यकता आधारित निर्णय लेने के लिए गाँव/पंचायत स्तर पर अनुबंध कृषि सुविधा समूह (CFFG) के गठन का प्रावधान करता है।
- विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए संभवतया निचले स्तर पर विवाद निपटान तंत्र का गठन करना।
- उत्पादन-पूर्व, उत्पादन के दौरान तथा उत्पादन-पश्चात सेवाओं सहित मूल्य शृंखला में सभी सेवा अनुबंधों को सम्मिलित करना।
- सभी उत्पादों का मौजूदा कृषि बीमा योजनाओं के तहत बीमा किया जाएगा।
- यह अनुबंध कृषि को APMC अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान करता है।
- यह किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रावधान करता है, ताकि छोटे एवं सीमांत किसानों को संगठित किया जा सके।

7.2.5. कृषि निर्यात नीति, 2018

(Agriculture Export Policy, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने तथा 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने के उद्देश्य से** भारत सरकार ने हाल ही में कृषि निर्यात नीति, 2018 प्रस्तुत की है।

संबंधित समाचार

UAE और सऊदी अरब ने अपनी **खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को एक आधार के रूप में उपयोग** करने का निर्णय किया था। कृषि निर्यात नीति के अनुरूप, फार्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट (खेत-से-पत्तन तक की परियोजना) विशेष आर्थिक क्षेत्र की परियोजना के समान ही होगी परंतु यह केवल निगमित खेतों की शैली में होगा जिसमें फसलों को एक विशिष्ट बाज़ार को ध्यान में रखते हुए उत्पादित किया जाएगा।

कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य

- 2022 तक **कृषि निर्यात को दोगुना करना** और इसे वर्तमान के 30+ बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 60 बिलियन डॉलर से अधिक करना तथा उसके बाद अगले कुछ वर्षों में स्थिर व्यापार नीति के साथ इसे 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना।

VISION IAS

- अपनी **निर्यात बास्केट तथा निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने** के साथ ही शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान देते हुए उच्च मूल्य और मूल्य वर्द्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना।
- नवीन, देशज, जैविक, स्थानिक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को **बढ़ावा** देना।
- बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने, बाधाओं से निपटने और सैनिटरी तथा फाइटोसैनिटरी मुद्दों से निपटने के लिए **संस्थागत तंत्र** प्रदान करना।
- यथासंभव शीघ्रतापूर्वक वैश्विक मूल्य शृंखला के साथ एकीकृत करके विश्व **कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी को दोगुना करने** का प्रयास करना।
- विदेशी बाजार में **निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने** लिए किसानों को सक्षम बनाना।

कृषि निर्यात नीति फ्रेमवर्क (ढांचे) के तत्व

इन नीतिगत अनुशंसाओं को निम्नलिखित दो व्यापक श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है:

रणनीतिक अनुशंसाओं के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था
- **APMC अधिनियम में सुधार तथा मंडी शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना**
- **अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स समर्थन प्रदान करना,** जिसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्लस्टरों की पहचान करना आदि शामिल है।
- **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) जैसे संगठनों को शामिल करके** तथा **सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी (SPS) एवं टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड (TBS)** हेतु समग्र प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए **निर्यात को बढ़ावा देने हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाना।**
- राज्य सरकारों की भागीदारी तथा राज्य निर्यात नीति में कृषिगत निर्यातों को सम्मिलित करना।
- **परिचालन संबंधी अनुशंसाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
  - उपजों के संग्रहण हेतु ब्लॉक स्तर पर गाँवों के कलस्टरों पर ध्यान केंद्रित करना तथा इन कलस्टरों से कृषि निर्यात क्षेत्रों (AEZs) में संक्रमण;
  - देशज उत्पादों एवं जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर मूल्य संवर्द्धन निर्यातों को प्रोत्साहन देना;
  - **"ब्रांड इंडिया" की मार्केटिंग और बढ़ावा;**
  - **एग्री-स्टार्टअप फंड का सृजन:** इसके माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु नए उद्यम आरंभ करने के लिए उद्यमियों को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
  - **निजी निवेश को आकर्षित करना**
  - **सुदृढ़ गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था**

- **कृषि निर्यात क्षेत्र (एग्री एक्सपोर्ट जोन: AEZ):**कच्चे माल के विकास और उसकी प्राप्ति तथा प्रसंस्करण/पैकेजिंग के उद्देश्य से निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित विशिष्ट उपज/उत्पाद के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने हेतु (ताकि अंतिम निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके) 1997-2001 के आयात-निर्यात नीति के माध्यम से वर्ष 2001 में कृषि निर्यात क्षेत्र (एग्री एक्सपोर्ट जोन: AEZ) की अवधारणा की शुरुआत की गयी।
- मूल्य शृंखला के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय एवं नीतिगत हस्तक्षेपों की देखभाल के लिए AEZ का मुख्य फोकस केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा **योजनाओं के समेकन** पर है।
- सरकार द्वारा सभी **60 कृषि निर्यात क्षेत्रों (AEZ)** को 2004-05 तक ही अधिसूचित कर दिया गया था। वर्ष **2004 के पश्चात् नए AEZs की स्थापना नहीं** की गई है। सभी अधिसूचित AEZs द्वारा 5 वर्षीय निर्धारित अवधि (intended span) को पूरा कर लिया गया है और अब ये बंद कर दिए गए हैं।

7.2.6. एगमार्क

(AGMARK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा कृषि उत्पादों हेतु गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न 'एगमार्क' से संबंधित आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया है।

VISION IAS

एगमार्क के बारे में

- एगमार्क एक प्रमाणन चिह्न है, यह कृषि उत्पादों द्वारा कुछ निर्धारित मानकों की एक श्रृंखला की अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
- यह **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विपणन और निरीक्षण निदेशालय** द्वारा प्रदान किया जाता है।
- वर्तमान **एगमार्क** मानकों के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे दाल, अनाज, एसेंशियल ऑयल, वनस्पति तेल, फल एवं सब्जियां तथा अर्द्ध -प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे सेंवई (वर्मिसेली) हेतु गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देश सम्मिलित हैं।

7.3. फसल मूल्य निर्धारण एवं कृषक आय

(Crop Pricing and Farmer Income)

7.3.1. गन्ना मूल्य निर्धारण

(Sugarcane Pricing)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने चालू सत्र 2017-18 में चीनी मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने के लिए 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता देने हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

गन्ना मूल्य निर्धारण नीति

- भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण नीति का उद्देश्य गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मूल्य, उद्योग के लिए पर्याप्त प्रतिफल और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- गन्ने का मूल्य निर्धारण अनिवार्य वस्तु अधिनियम (**ECA**), **1955** के अंतर्गत जारी किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, **1966** के सांविधिक प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
- **भारत में दोहरी गन्ना मूल्य निर्धारण प्रणाली है।**
  - **उचित और लाभकारी मूल्य (Fair & Remunerative Price: FRP)** यह राज्य सरकारों और चीनी उद्योग के संघों से परामर्श करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य है।
  - **राज्य परामर्शित मूल्य (State Advised Price: SAP)** राज्य सरकारों द्वारा घोषित किया जाता है। यह प्रायः FRP से अधिक होता है।
- SAP में हुई लोकलुभावन वृद्धि के परिणामस्वरूप गन्ने के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण चीनी की आपूर्ति भी बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप मिल मालिकों पर किसानों के बकाये में अत्यधिक वृद्धि हुयी है।
- सरकार ने चीनी मूल्यों में गिरावट को रोकने और चीनी मिलों की तरलता की स्थिति में सुधार लाने के लिए पहले से ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- चीनी पर आयात शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना
- चीनी मिलों पर दो महीने तक स्टॉक होल्डिंग सीमा आरोपित करना
- न्यूनतम संकेतक निर्यात कोटा (MIEQ) नियत करना और
- विदेशी बाजारों में अधिशेष उत्पादन हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए चीनी के निर्यात से सीमा शुल्क हटाना।

7.3.2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

[Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)]

सुर्खियों में क्यों?

अनेक राज्यों ने कृषकों हेतु आय सहायता योजनाओं की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)** के शुभारंभ की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के बारे में

- **उद्देश्य:**
  - कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले सभी लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को **आय सहायता** प्रदान करना।
  - अनुमानित कृषि आय के अनुरूप, बेहतर फसल और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि संबंधी इनपुट्स (आदानों) की खरीद में **किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरकता प्रदान करना।**

VISION IAS

- **लाभ:** इस योजना के अंतर्गत, देश भर के सभी लघु एवं सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को निम्नलिखित वित्तीय लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे:
  - **2 हेक्टेयर तक** कुल कृषियोग्य भूमि जोत वाले किसान परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष **6,000 रूपये का लाभ** प्रदान किया जाएगा। यह लाभ तीन समान किस्तों में देय होगा जो प्रत्येक चार माह में प्रदान की जाएंगी।
  - पात्रता निर्धारित करने के लिए एकल परिवार द्वारा धारित **अनेक भू-खंडों** (चाहे प्रत्येक 2 हेक्टेयर से कम हो) को समग्र रूप से एक माना जाएगा।
  - **यहां तक कि 10 हेक्टेयर से बड़ी जोतें** भी, यदि कई परिवारों के स्वामित्व में हों तो वे इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे (जैसे- यदि पांच भाई संयुक्त रूप से 10 हेक्टेयर की एक जोत के स्वामी हैं, तो उनमें से प्रत्येक योजना के लिए पात्र होगा)।
- योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र भूमि धारक किसान परिवार की **पहचान करने का उत्तरदायित्व राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का होगा।**
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **ग्राम स्तर पर** पात्र लाभार्थियों की सूचियाँ प्रकाशित की जाएँगी।
- **अपवर्जन: उच्च आर्थिक स्थिति** वाले लाभार्थियों की कुछ श्रेणियाँ, जैसे- संस्थागत भूमि धारक, पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पद धारक, विगत वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आदि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगें।
- अपवर्जन के उद्देश्य से **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार लाभार्थियों द्वारा की गयी स्व-घोषणा के आधार पर** लाभार्थी की पात्रता को **प्रमाणित कर सकती** है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए एक **समर्पित प्रधानमंत्री किसान पोर्टल** लॉन्च किया जाएगा।
- यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और इसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।**
- **इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया है।**

लघु एवं सीमांत भूमिधारक किसान की परिभाषा

- एक लघु एवं सीमांत भूमिधारक किसान परिवार "पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों को सम्मिलित करने वाला वैसा परिवार है जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि का संयुक्त रूप से स्वामित्व धारण करता हो।"
- लाभ के परिकलन हेतु लाभार्थियों की पहचान के लिए वर्तमान भूमि स्वामित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा।

विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित आय सहायता योजनाएं:

- **रायथु बंधु: तेलंगाना**
- **कालिया (आजीविका और आय संवर्द्धन के लिए कृषक सहायता) योजना: ओडिशा {KALIA (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation) Scheme : Odisha}**
- **मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना: झारखंड**
- **कृषक बंधु योजना: पश्चिम बंगाल**

7.3.3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)

(Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना –'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (PM-AASHA) को स्वीकृति प्रदान की है।

योजना के बारे में

इसमें MSP पर धान, गेहूं एवं अन्य अनाजों तथा मोटे अनाजों की सरकारी खरीद के लिए खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग की वर्तमान योजनाओं के पूरक के रूप निम्नलिखित तीन घटक विद्यमान हैं:

- **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** इसके तहत दालों, तिलहन तथा खोपरा (नारियल गिरी) की भौतिक खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अतिरिक्त, FCI भी PSS के अंतर्गत फसलों की ख़रीद करेगा। खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS):** इसके अंतर्गत उन सभी तिलहन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा MSP एवं वास्तविक बिक्री/ मॉडल मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। अधिसूचित अवधि के भीतर निर्धारित मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।
- **निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट पायलट योजना (Pilot of Private Procurement and Stockiest Scheme- PPSS)**: तिलहनों के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PPSS आरंभ कर सकते हैं जहाँ कोई निजी अभिकर्ता बाज़ार मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है। उस निजी अभिकर्ता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- PM-AASHA खरीद मूल्य एवं क्षतिपूर्ति में विद्यमान अंतराल को कम करने के साथ-साथ गेहूं, धान और गन्ने के पक्ष में फसल संबंधी पूर्वाग्रह को कम करेगी तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी। यह केंद्र को भंडारण लागत में बचत करने एवं अत्यधिक अपव्यय और लीकेज को कम करने में भी सहायता करेगी।

7.4. कृषि शिक्षा एवं विस्तार

(Agriculture Education & Extention)

7.4.1. कृषि शिक्षा के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना

(3-Year Action Plan for Agricultural Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैबिनेट ने कृषि शिक्षा प्रभाग और ICAR संस्थानों के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना (2017-2020) को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

योजना के बारे में

इस योजना का उद्देश्य संकाय की कमी के मुद्दों को संबोधित करना, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, पूर्व छात्रों की भागीदारी, नवाचारों और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा को बढ़ावा देना, पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप और वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के बारे में

- यह कृषि और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के **समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन** के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।
- रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत और **16 जुलाई, 1929** को स्थापित इस सोसाइटी का नाम पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था।
- **वर्तमान में,** यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन** है।

7.4.2. राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना

(National Agricultural Higher Education Project: NAHEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ICAR ने हाल ही में देश में **उच्च कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने एवं प्रतिभाओं को इस ओर आकर्षित करने हेतु** 1100 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (**NAHEP**) को आरंभ किया है।

NAHEP के संबंध में:

- **वित्तपोषण:** इसे विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को अधिक प्रांसगिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AU) और ICAR को सहायता प्रदान करना।
- **इसके घटकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
  - नवाचार को बढ़ावा देने, अधिगम परिणामों में सुधार आदि के लिए चयनित कृषि विश्वविद्यालयों (AU) को **अनुदान प्रदान करना।**

VISION IAS

- शिक्षा प्रभाग/भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) द्वारा गतिविधियों की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु एक निगरानी एवं मूल्यांकन (M&E) प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।

7.4.3. कृषि कल्याण अभियान

(Krishi Kalyan Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **कृषि कल्याण अभियान** प्रारम्भ किया गया है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी कृषि तकनीकों में सुधार करने तथा अपनी आय में वृद्धि करने हेतु सहायता और परामर्श प्रदान करना है।

विवरण:

- कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लिखित गतिविधियाँ हैं –
  - सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण
  - प्रत्येक गांव में खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) से बचाव के लिए सौ प्रतिशत बोवाइन टीकाकरण
  - पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (PPR) का उन्मूलन करने के लिए भेड़ और बकरियों को 100% कवर प्रदान करना
  - कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना
  - सूक्ष्म सिंचाई और एकीकृत फसल पद्धतियों आदि से संबद्ध प्रदर्शन कार्यक्रम।
- इसे नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से चिन्हित आकांक्षी जिलों में स्थित 1000 से अधिक आबादी वाले 25 गांवों में संचालित किया जाएगा।
- इसका समग्र समन्वय एवं कार्यान्वयन **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** द्वारा किया जाएगा। KVK,राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) का एक अभिन्न भाग है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिष्कार और प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करना है।

7.5. कृषि से संबद्ध गतिविधियां

(Allied Activities in Agriculture)

7.5.1. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष

(Dairy Processing & Infrastructure Development Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2028-29 तक की अवधि के दौरान 10881 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **"डेयरी प्रसंस्करण और अवसरंचना विकास कोष" (DIDF)** को स्वीकृति प्रदान की है।

विवरण

- बजट 2017-18 में की गई घोषणा के अनुसार, इस परियोजना के अंतर्गत प्रभावी दुग्ध खरीद प्रणाली की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इलेक्ट्रॉनिक मिल्क अडल्ट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट की स्थापना, प्रसंस्करण / आधुनिकीकरण / प्रसंस्करण संबंधी अवसंरचना के विस्तार और दुग्ध संघों/दुग्ध उत्पादक कंपनियों हेतु मूल्य वर्द्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाओं के सृजन के माध्यम से इसे संपन्न किया जाएगा।
- NABARD द्वारा इस कोष में 8,000 करोड़ का योगदान दिया जाएगा और शेष राशि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), अंतिम उधारकर्ताओं और कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
- DIDF के तहत, NABARD द्वारा NDDB एवं NCDC को ऋण प्रदान किया जाएगा, जो बाद में अंतिम उधारकर्ताओं जैसे कि दुग्ध संघों, राज्य डेयरी संघों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों आदि के माध्यम से परियोजना को प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित करेंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- **NDDB:** प्रारंभ में यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत था, बाद में NDDB अधिनियम, 1987 के तहत भारतीय डेयरी निगम में विलय कर दिया गया था, जो 12 अक्टूबर 1987 से प्रभावी हुआ। इस नए कॉर्पोरेट निकाय को इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया।
- **NCDC:** इसकी स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी।

VISION IAS

7.5.2. मत्स्यपालन और जलकृषि अवसरंचना विकास निधि

(Fisheries & Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय सिमति (CCEA) ने विशेष मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है।

भारत में मत्स्यपालन क्षेत्रक

- भारत में अंतर्देशीय जल संसाधनों के अतिरिक्त लगभग 8,118 किलोमीटर लंबे समुद्र तट और 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट है कि यहाँ मत्स्यपालन की **व्यापक संभावना** विद्यमान है।
- भारत विश्व में मछलियों और अलवणीय जल की मछलियों का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है।
- भारत में अनुमानित मछली उत्पादन 11.4 मिलियन टन है। इसमें से 68% अंतर्देशीय मत्स्यपालन क्षेत्रक से और शेष 32% समुद्री क्षेत्रक से दर्ज़ किया गया है।
- यह क्षेत्रक **वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 6.3%,** GDP में 1.1% और कृषि GDP में 5.15% का योगदान देता है।

FIDF के बारे में:

- इस फंड का अनुमानित आकार 7,522 करोड़ रुपया है। ऋण देने वाले निकायों (नोडल लोनिंग एंटिटीज़), जैसे- NABARD, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक तथा लाभार्थियों के योगदान एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय सहायता इत्यादि से संग्रहित राशि से मिलकर यह कोष गठित हुआ है।
- यह राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य संस्थाओं, सहकारी समितियों, व्यक्तियों एवं उद्यमियों आदि को मत्स्य पालन विकास हेतु निवेश गतिविधियों के संचालन हेतु रियायती वित्त प्रदान करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देगा तथा मत्स्यन एवं संबद्ध गतिविधियों में उद्यमशीलता में वृद्धि करेगा। साथ ही यह **ओपन केज फिशिंग** जैसी नई तकनीकों को अपनाने को सुविधाजनक बनाएगा।

ओपन केज फिशिंग

ओपन सी केज कल्चर के अंतर्गत समुद्र में मत्स्य पालन, शेलटर्ड बेज़ और लैगून शामिल होते हैं, जो एक जाल रुपी पिंजरे में संलग्न होते हैं, जिससे जल का मुक्त प्रवाह होता है।

7.5.3. ब्लू इकोनॉमी

(Blue Economy)

सुर्खियों में क्यों?

केन्या के नैरोबी में हाल ही में सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कांफ्रेंस का आयोजन किया गया।

सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कांफ्रेंस

- यह संधारणीय ब्लू इकोनॉमी पर आयोजित पहला वैश्विक सम्मेलन है।
- इसे केन्या द्वारा आयोजित किया गया था और कनाडा व जापान ने इसमें सह-मेजबानी की थी।

ब्लू इकोनॉमी: एक परिचय

- विश्व बैंक के अनुसार, ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित रखते हुए आर्थिक संवृद्धि, बेहतर आजीविका और काम-काज (जॉब) के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग करने से है।
- इसमें महासागरों के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अनेक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे- मत्स्यपालन, खनिज, नौवहन व बंदरगाह अवसंरचना, समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी, समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, समुद्री प्रशासन एवं शिक्षा आदि।

भारत एक ब्लू इकोनॉमी के रूप में:

- **सागरमाला परियोजना**: सागरमाला पहल विकास के तीन आधारों पर केंद्रित है:
  (a) उचित नीति और संस्थागत हस्तक्षेप के माध्यम से बंदरगाह आधारित विकास का समर्थन करना और इसे सक्षम बनाना।
  (b) आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों की स्थापना समेत बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि।
  (c) परिवहन हेतु नई लाइनें/लिंकेज विकसित करके आंतरिक क्षेत्रों तक और वहां से कुशल निकासी।

VISION IAS

- **तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ):** सभी समुद्र तटवर्ती राज्यों को सम्मिलित करते हुए सागरमाला पहल के अंतर्गत 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।
- **संसाधन अन्वेषण:** भारत पहला देश है जिसे वर्ष 1987 में एक अग्रणी निवेशक का दर्जा प्रदान किया गया और पॉली-मेटैलिक नोड्यूल्स (PMNs) के अन्वेषण एवं उपयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) द्वारा 75,000 वर्ग किमी का एक विशेष क्षेत्र भी आबंटित किया गया था। मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में सीबेड (समुद्र-तल) से PMN के अन्वेषण के लिए भारत के अनन्य अधिकारों को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा:** भारत हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ सहयोग कर रहा है और एक सुरक्षित, संरक्षित व स्थिर हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को 'निवल सुरक्षा प्रदाता' के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत IOR में अमेरिका, जापान जैसी अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी सहयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर, QUAD इत्यादि।

7.5.4. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

(Nutrient Based Subsidy Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) और सिटी कम्पोस्ट योजना को 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।

पोषण तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) के बारे में

- इस योजना के अंतर्गत उर्वरक विनिर्माताओं **(यूरिया विनिर्माता कंपनी के अतिरिक्त)** को उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक तौर पर एक नियत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत फॉस्फेट और पोटाश (P&K) युक्त उर्वरकों के न्यूनतम खुदरा मूल्य (MRP) को मुक्त रहने दिया गया है तथा विनिर्माताओं/आयातकों/विपणकों को P&K उर्वरकों के MRP को उचित स्तर पर नियत करने की अनुमति दी गई है।
    - MRP का निर्धारण P&K उर्वरकों के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों, विनिमय दर और देश में भंडार के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
    - इस योजना का उद्देश्य किसानों को वैधानिक रूप से नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है जिससे कि इसका अंतिम-उपयोग संतुलित तरीके से हो। यह कृषि उत्पादकता में सुधार, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को प्रोत्साहन और सब्सिडी बोझ को कम करने में सहायता करेगा।

सिटी कम्पोस्ट योजना के बारे में

- इस योजना के अंतर्गत उत्पादन एवं उपभोग का पैमाना विस्तृत करने के लिए 1,500 रूपये प्रति टन सिटी कम्पोस्ट की दर से **बाजार विकास सहायता** प्रदान की जा रही है।
- **उर्वरक कंपनियां और विपणन संस्थाएं** अपने डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के साथ सिटी कम्पोस्ट का भी सह-विपणन करेंगी।
- गोद लेने के प्रावधान के तहत, कंपनियां कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गांवों को भी गोद लेंगी।
- **उपयुक्त BIS मानक/इको-मार्क** किसानों तक पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तापरक उत्पादों की पहुँच को सुनिश्चित करता है।

7.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ

(Other Important News)

7.6.1. कृषि जनगणना

(Agriculture Census)

सुर्खियों में क्यों?

कृषि मंत्रालय द्वारा 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 जारी की गई।

2010-11 की कृषि जनगणना की तुलना में 2015-16 की अस्थायी कृषि जनगणना के प्रमुख निष्कर्ष

विवरण	2015-16	2010-11	टिप्पणियाँ
कृषि जोतों (ऑपरेशनल होल्डिंग) की कुल संख्या	146 मिलियन	138 मिलियन	5.33% की वृद्धि (हिस्सेदारी: SC- 11.91%, ST- 8.72%)
कुल कृषि (जोत) क्षेत्र	157.14 मिलियन हेक्टेयर	159.59 मिलियन हेक्टेयर	1.53% की कमी
कृषि जोतों का औसत आकार	1.08 हेक्टेयर	1.15 हेक्टेयर	कृषि जोत क्षेत्र के औसत आकार में कमी
कृषि जोतों में महिलाओं की हिस्सेदारी	13.87 %	12.79 %	महिला भागीदारी में वृद्धि
छोटे (Small) और सीमांत (Marginal) जोत (0-2 हेक्टेयर)	86.21 %	84.97 %	कृषि जोत के बढ़ते विभाजन से खेती के अन्य मुद्दों के साथ-साथ किसानों में बढ़ता संकट
लघु-मध्यम (Small-medium) और मध्यम (Medium) कृषि जोत (2-10 हेक्टेयर)	13.22 %	14.29%	
बड़े (Large) जोत (10 हेक्टेयर तथा इससे अधिक)	0.57%	0.71%	
कृषि क्षेत्र में हिस्सा			
छोटे और सीमांत जोत (0-2 हेक्टेयर)	47.34%	44.31%	• कुल कृषि जोतों में बड़े जोतों का हिस्सा कम हुआ है जबकि छोटे-छोटे जोतों का हिस्सा बढ़ा है। • सामाजिक समूहों के अनुसार, SC का हिस्सा-8.61%, ST का हिस्सा-11.4% • कृषि जोत में महिलाओं का हिस्सा बढ़ रहा है जो एक सकारात्मक संकेत है।
लघु-मध्यम और मध्यम कृषि जोत (2-10 हेक्टेयर)	43.61%	44.82%	
बड़े जोत (10 हेक्टेयर तथा इससे अधिक)	9.04%	10.59%	
महिलाएँ	11.57%	10.36%	

कृषि जनगणना क्या है?

- कृषि जोतों के संरचनात्मक पहलुओं पर डेटा एकत्र करने के लिए प्रत्येक **पाँच वर्ष के अंतराल** पर भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। डेटा एकत्र करने के लिए मूल सांख्यिकीय इकाई 'कृषि जोत' (ऑपरेशनल होल्डिंग्स) है।
- ऐसी पहली जनगणना 1970-71 में की गई थी, जो इसका आधार वर्ष भी है। अब तक, 9 जनगणनाएँ सम्पन्न की जा चुकी हैं और यह 10वीं जनगणना है।
- यह **प्रक्रिया तीन चरणों** में पूर्ण की जाती है: जनगणना के **पहले चरण** में प्राथमिक विशेषताओं, जैसे- विभिन्न आकार वर्गों (छोटे, सीमांत, लघु-मध्यम, मध्यम और बड़े), सामाजिक समूहों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य), लिंग (महिला/पुरुष), जोतों के प्रकार इत्यादि के आधार पर कृषि जोतों की संख्या और कृषि (जोत) क्षेत्र से संबंधित डेटा एकत्रित किए जाते हैं।
- जनगणना के **दूसरे चरण** में, प्रत्येक तहसील में 20 प्रतिशत गांवों के नमूनों के आधार पर कृषि जोतों की विशेषताओं, जैसे- भूमि उपयोग, सिंचाई की स्थिति, पट्टेदारी विवरण आदि पर विस्तृत डेटा एकत्रित किया जाता है।
- **जबकि तीसरे और अंतिम चरण में**, कृषि जोतों में आगतों (इनपुट) के उपयोग के तरीकों पर डेटा एकत्र किया जाता है। इसे आगत सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है।

कृषि जोतों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कुल भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही भूमि के अधिकार, वैधता, आकार या अवस्थिति पर विचार न करते हुए, इसे किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ एक तकनीकी इकाई के रूप में संचालित किया जाता है।

कुल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जोते गए (cultivated) एवं बिना जोते गए दोनों प्रकार के खेतों को सम्मिलित किया जाता है। बिना जोते गए भू-क्षेत्रों को तभी शामिल किया जाता है जब संदर्भ अवधि के दौरान इन्हें कृषि उत्पादन के लिए रखा गया हो।

VISION IAS

7.6.2. अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष

(International Year of Millets)

- भारत के प्रस्ताव पर कार्य करते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation: FAO) द्वारा वर्ष **2023** को **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष** के रूप में मनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में, वर्ष **2018** को **'राष्ट्रीय मिलेट वर्ष'** के रूप में मनाया गया, जिसने जागरूकता बढ़ाने में सहायता की।
- मोटा अनाज (मिलेट) ग्रामीण परिवारों से संबद्ध लघु बीज वाली कठोर फसलें होती हैं, जिन्हें शुष्क भूमि क्षेत्रों और निम्न मृदा उर्वरता वाली परिस्थितियों में आसानी से उगाया जा सकता है। **भारत समस्त विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक (लगभग 17 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष)** देश है।
- प्रायः मिलेटस को मोटा अनाज कहा जाता है, यद्यपि इनमें पोषणता की अधिकता के कारण इन्हें **'पोषण युक्त मिलेटस/पोषण युक्त अनाज'** भी कहा जाता है।

7.6.3. पोक्कली धान

(Pokkali Paddy)

- पोक्कली धान केरल के अलप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों के तटीय क्षेत्रों में **खारे जल के प्रति सहिष्णु धान की एक किस्म है।**पोक्कली की खेती तटीय क्षेत्रों में प्रचलित चावल-मछली के फसल चक्रीकरण की एक पारंपरिक स्वदेशी विधि है।
- **भौगोलिक संकेतक** प्राप्त यह धान एक **एकल-मौसम फसल** (एक वर्ष में केवल एक उपज) है जो जून और नवंबर के बीच खारे जल के खेतों में उगाया जाता है और इसके बाद मछली पालन का मौसम आता है। फसल के बाद खेतों में धान की पराली झींगा और अन्य छोटी मछलियों के लिए भोजन और आश्रय का कार्य करती है।

7.6.4. इंश्योर पोर्टल

(Ensure Portal)

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सब्सिडी हस्तांतरण प्रक्रिया को त्वरित और तीव्र करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन- उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन (Entrepreneurship Development and Employment Generation: EDEG) के **ऑनलाइन पोर्टल "ENSURE"** का शुभारम्भ किया है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन** के घटक **EDEG,** के अंतर्गत कुक्कुट, जुगाली करने वाले छोटे पशु, सुअर इत्यादि से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।
- इस नवीन प्रक्रिया के अनुसार बैंक का नियंत्रण अधिकारी/शाखा प्रबंधक, प्रस्ताव की जांच पड़ताल और अनुमोदन करने के पश्चात् पोर्टल में सब्सिडी का दावा अपलोड करेगा। जिससे अब से सब्सिडी, ऋण के अनुमोदन की तिथि से मात्र 30 दिनों के अंदर लाभार्थी के खाते में जमा हो जाएगी।
- यह पोर्टल **नाबार्ड द्वारा विकसित** किया गया है और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के तहत संचालित होता है।

7.6.5. इंडस फूड 2019

(Indus Food 2019)

- हाल ही में इंडिया एक्सपो मार्ट में इंडस फूड- II (INDUS FOOD-2) का आयोजन किया गया, ध्यातव्य है कि इसकी थीम 'वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट' थी।
- इंडस फूड एक वैश्विक मंच है जहां भारत के खाद्य एवं पेय उद्योग के शीर्ष निर्यातक भाग लेंगे तथा इसमें विश्व भर के विक्रेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।
- इसे भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से **भारतीय व्यापार संवर्द्धन परिषद** (Trade Promotion Council of India: TCPI) द्वारा आयोजित किया गया है।

VISION IAS

TCPI के बारे में:

- TCPI **विदेशी व्यापार नीति में अधिसूचित** एक शीर्ष व्यापार तथा निवेश संवर्द्धन संगठन है।
- TPCI को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता और समर्थन प्राप्त है।

7.6.6. स्मार्ट फूड एग्जीक्यूटिव कॉउन्सिल

(Smart Food Executive Council)

- हाल ही में, स्मार्ट फूड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन **इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द सेमी-एरीड-ट्रॉपिक्स (ICRISAT)** द्वारा स्थापित **स्मार्ट फूड इनिशिएटिव** के तत्वावधान में किया गया।
- इसका उद्देश्य ऐसी खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना है जिनके द्वारा ऐसा भोजन प्राप्त हो सके, जो हमारे लिए (अत्यधिक पौष्टिक), पृथ्वी के लिए, तथा छोटे किसानों के लिए बेहतर हो।
- ICRISAT ने स्मार्ट फूड इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य ऐसी खाद्य प्रणालियों (फूड सिस्टम) का सृजन करना है जो लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक (उच्च पौष्टिक), ग्रह के पर्यावरण के अनुकूल और छोटे भू-धराक किसानों के लिए लाभदायक हों।

ICRISAT के बारे में

- यह एक **गैर-लाभकारी एवं गैर-राजनीतिक संगठन** है, जो **एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों के विकास में वृद्धि करने के लिए** कृषि संबंधी अनुसंधान करता है।
- **ICRISAT का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में अवस्थित** है, जिसके दो क्षेत्रीय केंद्र नैरोबी (केन्या) और बमाको (माली) में भी स्थित हैं।

7.6.7. विश्व खाद्य कार्यक्रम

(World Food Program)

- FAO परिषद ने वर्ष 2020 और 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्यता को स्वीकृति प्रदान की है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता शाखा है और यह अग्रणी मानवीय संगठन है जो जीवन को बचाने और जीवन स्तर में भी परिवर्तन कर रहा है, साथ ही **आपात स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान कर रहा है तथा पोषण में सुधार और सुनम्य बनाने के लिए समुदायों के साथ कार्य कर रहा है।**
- इसकी स्थापना वर्ष 1961की गई, इसका मुख्यालय रोम में है तथा यह **36-सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड** द्वारा शासित है। यह रोम स्थित अपने दो अनुषंगी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ मिलकर कार्य करता है।
- WFP पूर्ण रूप से स्वैच्छिक अनुदान द्वारा वित्त पोषित है तथा इसमें 1,000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (NGOs) की भागीदारी है। यह खाद्य सहायता और भूख के अंतर्निहित कारणों से निपटने के लिए कार्य करता है।

7.6.8 अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान

(International Rice Research Institute)

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में छठवें अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (IRRI SARC) का उद्घाटन किया।
- **अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI)** एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी।
- यह विश्व का प्रमुख अनुसंधान संगठन है जो चावल विज्ञान के माध्यम से गरीबी और भुखमरी में कमी करने, चावल उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य बेहतर करने तथा खुशहाली बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए चावल पैदावार हेतु अनुकूल परिवेश बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

VISION IAS

- इस संस्थान का मुख्यालय लॉस बानोस, फिलीपींस में है।
- IRRI को 1960 के दशक में हरित क्रांति में योगदान देने वाले चावल की किस्मों को विकसित करने में अपने कार्य के लिए जाना जाता है।

7.6.9 फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार

(Future Policy Gold Award)

- विश्व के प्रथम पूर्ण रूप से "**जैविक कृषि राज्य**" बनने की उपलब्धि के लिए **सिक्किम** को **संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** के फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- यह पहला पुरस्कार है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **लोगों के स्थान पर ऐसी नीतियों को सम्मानित करता है** जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के जीवन यापन हेतु बेहतर परिस्थितियों का सृजन करती हैं।

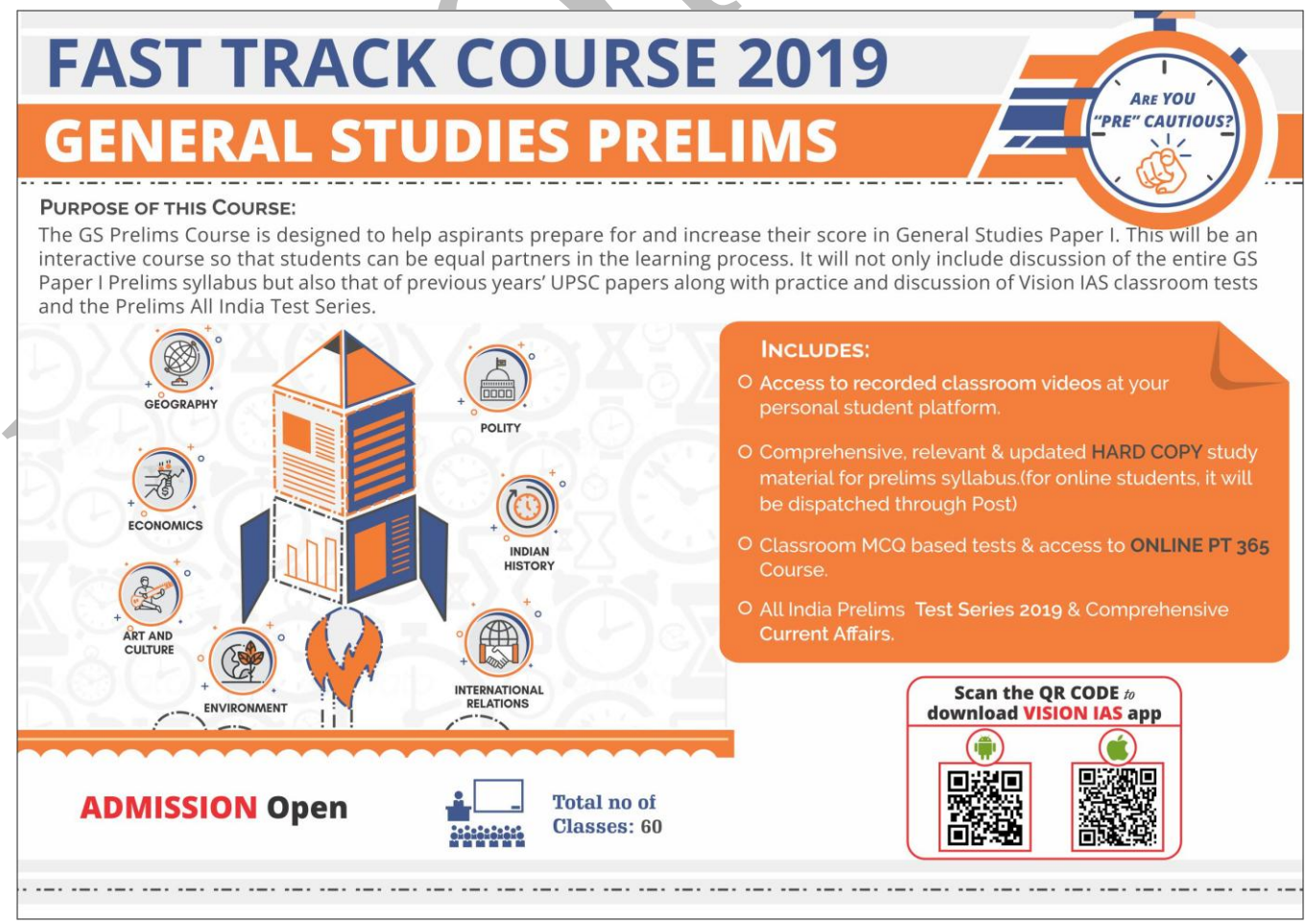

8 .औद्योगिक नीति और संबद्ध मुद्दे (Industrial Policy and Associated Issues)

8.1. ई-कॉमर्स उद्योग

(E-Commerce Industry)

8.1.1. ई-कॉमर्स के लिए नए नियम

(New Rules for E-Commerce)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **ई-कॉमर्स मानदंडों में परिवर्तन** किया है। ये परिवर्तन पुराने मानदंडों को ही सुस्पष्ट करते हैं। ये कोई नए प्रतिबंध नहीं हैं।

नए नियमों द्वारा किए गए परिवर्तन

- 1 फरवरी 2019 से, मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म चलाने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां, जैसे- अमेज़न और फ्लिपकार्ट उन **कंपनियों के माध्यम से और उन कंपनियों के उत्पाद नहीं बेच सकती हैं, जिनमें वे इक्विटी स्टेक (शेयरधारिता) रखते हैं।**
- यह **मार्केटप्लेस इकाई या उसकी समूह कंपनियों द्वारा किसी एकल विक्रेता से बेचे जा सकने वाले स्टॉक पर 25% की सीमा आरोपित करता है।**
- **किसी भी विक्रेता** को उसके उत्पादों को किसी विशेष **मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म पर ही बेचने के लिए विवश नहीं** किया जा सकता है। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सभी विक्रेताओं को "निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण" तरीके से सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। सेवाओं में अन्य के साथ-साथ पूर्ति, लॉजिस्टिक्स, भण्डारण, विज्ञापन, नकदी की वापसी, भुगतान और वित्तपोषण सम्मिलित हैं।
- ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई को प्रति वर्ष 30 सितंबर तक **भारतीय रिज़र्व बैंक के पास** पिछले वित्तीय वर्ष के लिए **सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत** करना होगा जो दिशा-निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करता हो।
- ई-कॉमर्स इकाइयों को **निष्पक्षता और गैर-भेदभाव बनाए रखना** होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय मूल्य को प्रभावित न करें।

ई-कॉमर्स के मॉडल

मार्केटप्लेस मॉडल

- ई-कॉमर्स कंपनी उत्पादों के भंडारण के बिना खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर IT प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।
- यह विभिन्न खुदरा विक्रेताओं/ब्रांडों को संयुक्त करता है और उन्हें बिक्री चैनल (शिपमेंट, कॉल सेंटर, वितरण और भुगतान सेवाएं) प्रदान करता है लेकिन स्टॉक (वस्तु-सूची) के स्वामित्व का उपयोग नहीं कर सकता है।
- यह श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा अनुभव को संभव बनाता है, क्योंकि अब कई छोटे ब्रांडों को अधिक आउटरीच प्राप्त हो पाती है (उनकी पूर्ति प्रक्रियाओं सम्बन्धी सेवाएं ई-बे/शॉपक्लूज जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेसेज़ द्वारा प्रदान कर दिये जाने के कारण)।
- ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में 100% FDI की अनुमति है।

इन्वेंटरी मॉडल

- उत्पाद ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के स्वामित्वाधीन होते हैं। उत्पाद की खरीद से आरंभ करके, भंडारण और उत्पाद प्रेषण के साथ समाप्त होने वाली पूरी प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाता है।
- यह त्वरित वितरण, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण, बेहतर ग्राहक अनुभव और विश्वास की अनुमति देता है। लेकिन यह नकदी के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है और इसका मापन करना मुश्किल है।
- ई-कॉमर्स रिटेल (B2C) सहित मल्टी-ब्रांड रिटेल में FDI प्रतिबंधित है।
- जैसे- जबॉन्ग (Jabong), येपमी (YepMe) आदि।

VISION IAS

8.2. सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति

(National Policy for Software Products)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **'सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति'** को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका उद्देश्य भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में स्थापित करना तथा वर्ष 2025 तक 3.5 मिलियन नौकरियों का सृजन करना है।

पृष्ठभूमि

पहली सॉफ्टवेयर नीति को वर्ष 1986 जारी की गयी थी। इसके परिणामस्वरुप वर्ष 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) योजना की शुरुआत हुई।

रणनीति

- 'इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री' का सृजन कर सॉफ्टवेयर उत्पादों के व्यावसायिक परिवेश को बढ़ावा देना।
- इनक्यूबेशन के माध्यम से उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना, क्षेत्र विशिष्ट भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कलस्टर्स (समूहों) का निर्माण करना, उत्कृष्टता केंद्रों का विकास करना और समर्पित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (SPDF) का सृजन करना।
- भावी कौशल कार्यक्रम के माध्यम से कौशल और मानव संसाधन विकास करना।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री को एकीकृत करके घरेलू बाजार तक पहुंच में सुधार करना; हैकथॉन के माध्यम से भारतीय उत्पाद स्टार्ट-अप/MSMEs को प्रोत्साहित करना तथा सरकारी खरीद में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद का अधिमान्य समावेश करना।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया

- यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी है।
- इसका उद्देश्य IT सक्षम सेवाओं सहित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना है।
- यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, BPO संवर्द्धन योजना आदि की क्रियान्वयन एजेंसी है।

सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (SPDF)

- फंड ऑफ फंड्स के रूप 1,000 करोड़ रुपये की निधि का सृजन किया जाएगा। SPDF द्वारा जोखिम पूंजी प्रदान करने हेतु वेंचर फंड के तौर पर कार्य किया जाएगा ताकि बाजार के लिए तैयार सॉफ्टवेयर उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- SEBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार SPDF को एक वित्तीय संस्थान/एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा वित्तीय रूप से प्रबंधित किया जाएगा।

8.3. चौथी औद्योगिक क्रांति

(Fourth Industrial Revolution)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) द्वारा महाराष्ट्र (भारत) में **चौथी औद्योगिक क्रांति हेतु एक केंद्र की** शुरुआत की गयी है। इस केंद्र द्वारा पहली तीन परियोजनाओं के रूप में **ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और ब्लॉकचेन** का चयन किया गया है।

अन्य सबंधित तथ्य

- मुंबई में स्थित यह केंद्र; सैनफ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग के पश्चात् विश्व का चौथा ऐसा केंद्र है।
- इस केंद्र को नीति आयोग के माध्यम से भारत सरकार की साझेदारी में विकसित किया गया है।

चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव

- **चौथी औद्योगिक क्रांति'** पद का सृजन 2016 में **क्लाउस श्वाब** द्वारा किया गया था। यह डिजिटल, जैविक और भौतिक प्रणालियों के संयोजन को संदर्भित करता है ताकि मनुष्यों और मशीनों के मध्य होने वाली अंतर्क्रिया को पूर्ण से रूपांतरित किया जा सके और अनुकूलतम प्रक्रियाओं का विकास किया जा सके।
- इसे बिग डेटा, AI, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (जैसे- चालक रहित कारें, स्मार्ट रोबोटिक्स, कठोर सामग्री, 3D प्रिंटिंग आदि) जैसे उपकरणों का उपयोग कर प्रथम तीन औद्योगिक क्रांतियों (वाष्प शक्ति और यांत्रिक उत्पादन; असेंबली लाइन्स और विद्युतीकरण; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग) के अगले चरण के रूप में स्थान प्रदान किया गया है।

VISION IAS

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)

- WEF को 1971 में एक **गैर-लाभकारी फाउंडेशन** के रूप में स्थापित किया गया था। इसका **मुख्यालय जिनेवा,** स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- यह सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है। यह मंच वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडे को आकार प्रदान करने हेतु समाज के प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और अन्य नेताओं को एक साथ लाता है।

8.4. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग

(Electronics Industry in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति' 2018 (NPE 2018) का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक $400 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग और 1 करोड़ रोजगारों के सृजन करना है।

इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS)

- इससे तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है, जहां विनिर्मित वस्तुओं पर आयात शुल्क कच्चे माल, जिसका उपयोग विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है पर आयात शुल्क की तुलना में कम होता है।
- IDS का मुद्दा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं के लिए विदेशी विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन बनाता है, विदेशी विनिर्माता कच्चे माल और अन्य घटकों सहित दोनों को कम कीमतों पर प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र के लिए की गई पहलें:

- **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (Electronics Manufacturing Clusters: EMC):** अपर्याप्त अवसंरचना के कारण होने वाली क्षतियों को कम करने के लिए, EMC स्थापित किए गए है, जो संस्थाओं को एक क्लस्टर के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सरकार क्रमशः ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्लस्टर में अवसंरचना के विकास की लागत का 50% और 75% प्रदान करती है।
- **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (Modified Special Incentive Package scheme: M-SIPS):** घरेलू विनिर्माण में नुकसान की भरपाई के लिए, M-SIPS विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए 25% और SEZ क्षेत्रों के लिए 20% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है।
- **अधिमान्य बाजार पहुंच (Preferential Market Access: PMA):** यह सरकारी परियोजनाओं के लिए खरीद (न्यूनतम 30%) के दौरान स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को वरीयता दिए जाने को गारंटी प्रदान करने वाली योजना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (Electronics Development Fund: EDF):** EDF फंड ऑफ फंड्स (वेंचर फंड्स में निवेश, जो उद्यमों में निवेश करता है) है, इसे स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा देने और वर्ष 2020 तक 'नेट ज़ीरो इम्पोर्ट्स' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (Phased Manufacturing Programme: PMP):** PMP का उद्देश्य मोबाइल हैंडसेट और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में घरेलू मूल्य संवर्द्धन को उत्तरोत्तर बढ़ाना है।
- **भारत से वस्तु निर्यात योजना (Merchandise Export from India Scheme: MEIS):** स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों जैसे रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट कंप्रेशर्स, पूर्णतः ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन और कलर टेलीविज़न सेट पर अधिकतम 2 से 5% तक का प्रोत्साहन।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019:

- इलेक्ट्रॉनिक्स के उप-क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ESDM क्षेत्र के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करना-
  - रक्षा क्षेत्र आदि के लिए आवश्यक रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
  - कंपोनेंट डिजाइन
  - सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन उदाहरण- फैबलेस डिज़ाइन
  - औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स उदाहरण- स्मार्ट एनर्जी मीटर
  - स्मार्ट कार्ड, माइक्रो-एटीएम।

VISION IAS

- **प्रोत्साहन योजनाएं**
  - **ऋण अनुदान योजना (इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम)** प्लांट एंड मशीनरी हेतु 1000 करोड़ तक के ऋण के लिए 4% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।
  - **क्रेडिट डिफॉल्ट गारंटी फंड,** बैंकों को प्लांट और मशीनरी पर 75% तक डिफ़ॉल्ट गारंटी प्रदान करेगा।
- चिप् एवं चिप कंपोनेंट के लिए IPs के विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने हेतु एक **सॉवरेन पेटेंट फंड** गठित करना प्रस्तावित है।
- 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा,मशीन लर्निंग (ML), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आदि जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्ट अप को समर्थन प्रदान करना।

8.5. भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

[Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) in India]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार, **विनिर्माण इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में उनके निवेश** के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

सूक्ष्म उद्यम: 25 लाख रूपए से कम

लघु उद्यम: 25 लाख से 5 करोड़ रूपए तक

मध्यम उद्यम: 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपए तक

संसद में प्रस्तुत किये गए **'MSME विकास (संशोधन) विधेयक 2018'** के माध्यम से विनिर्माण / सेवा प्रदान करने वाले उद्यमों के मध्य समानता स्थापित करने हेतु **वार्षिक कारोबार** के आधार पर इकाइयों का नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, यह विधेयक पारित नहीं हो सका।

8.5.1. MSME आउटरीच कार्यक्रम

(MSME Outreach Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने 12-बिंदु कार्य योजना के साथ MSME आउटरीच कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ताकि इस क्षेत्र के अंतर्गत वृहत्तर सहक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

विशेषताएं

- एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट की समयावधि के भीतर 1 करोड़ रूपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- सभी GST पंजीकृत सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए 2% का **ब्याज अनुदान**।
- 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को **TReDS प्लेटफॉर्म** (RBI की एक पहल) पर पंजीकृत होना आवश्यक है ताकि उद्यमी अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
- सभी सार्वजनिक उपक्रमों को अनिवार्य रूप से **MSMEs से** अपनी कुल खरीद के 20% के बजाय **25% की खरीद** करनी होगी।
- MSMEs हेतु अनिवार्य 25% खरीद में से 3% **महिला उद्यमियों** के लिए आरक्षित होगी।
- सभी CPSUs को अनिवार्य रूप से **सरकार के ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल** द्वारा खरीद करनी होगी।
- 6000 करोड़ रुपये की लागत वाले **100 प्रौद्योगिकी केंद्रों** की स्थापना की जाएगी।
- भारत सरकार द्वारा **फार्मा क्लस्टर** की स्थापना के लिए लागत के 70% का वहन किया जाएगा।
- 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय विनियमों के तहत रिटर्न को वर्ष में एक बार भरना होगा।
- एक निरीक्षक द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसका निर्धारण **कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन** के माध्यम से किया जाएगा।
- वायु और जल प्रदूषण कानूनों के अंतर्गत एकल अनुमति प्रदान की जाएगी। इन रिटर्न को स्व-प्रमाणन के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा और केवल 10% MSME इकाइयों का ही निरीक्षण किया जाएगा।
- कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघनों के लिए, उद्यमियों को अब न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे इन्हें सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं ठीक कर सकते हैं।

VISION IAS

MSMEs की सहायता हेतु अन्य पहलें

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)** एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों एवं बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना** के अंतर्गत प्रति इकाई हेतु 2 करोड़ रूपये तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (सावधि ऋण और / या कार्यशील पूंजी) प्रदान की गई है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुविधाजनक बनाने के लिए **ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी योजना (CLCSS)**;
- सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों से संबंधित विकास एवं पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना**;
- **ASPIRE (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना)** के अंतर्गत प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क और व्यापार संबंधी विचारों के इन्क्यूबेशन तथा व्यावसायीकरण के माध्यम से स्टार्ट-अप संवर्द्धन हेतु एक संरचना का निर्माण करना।
- **पारंपरिक इंडस्ट्रीज के उत्थान के लिए फंड की स्कीम (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries: SFURTI)** ताकि पारम्परिक उद्योगों एवं शिल्पकारों को क्लस्टर के अंतर्गत संगठित कर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके;
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE- CDP)** के लिए योजना।
- खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **बाजार संवर्द्धन विकास सहायता (MPDA)**।
- **MSME विलंबित भुगतान पोर्टल- MSME समाधन** व्यक्तिगत / CPSEs / केंद्रीय मंत्रालयों / राज्य सरकार आदि के साथ MSE के लंबित भुगतान के बारे में सार्वजनिक डोमेन के अंतर्गत जानकारी प्रदान करेगा।
- MSMEs हेतु सार्वजनिक खरीद पोर्टल- **MSME संबंध**
- **संपर्क पोर्टल-** इसे MSME मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह नौकरी चाहने वालों को भर्ती करने वालों से जोड़ने का एक डिजिटल मंच है।
- **ZED (जीरो डिफेक्ट, जीरो इफ़ेक्ट) प्रमाणन के अंतर्गत MSMEs को वित्तीय सहायता** प्रदान करना ताकि MSMEs द्वारा पर्यावरणीय रूप से संधारणीय उच्च-गुणवत्ता युक्त उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसका क्रियान्वयन **भारतीय गुणवत्ता परिषद्** (QCI) द्वारा किया जाएगा।
- **सौर चरखा मिशन-** इस योजना के तहत, सोलर चरखा क्लस्टर (जहाँ खादी का उत्पादन सौर-ऊर्जा द्वारा संचालित चरखों के माध्यम से किया जाएगा) की स्थापना हेतु पूंजी सब्सिडी तथा ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

MSME क्षेत्र का महत्व

- **6.3 करोड़ से अधिक इकाइयों** के माध्यम से **11.1 करोड़ लोगों** (लगभग **40%** कार्यबल) को रोजगार प्रदान किया जाता है।
- MSMEs द्वारा देश की कुल GDP में 30% योगदान दिया जाता है।
- MSMEs द्वारा भारत के विनिर्माण में **33.4%** और निर्यात में **40%** का योगदान दिया जाता है।
- लगभग **66%** MSME सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों (SC / ST / OBC) के स्वामित्व में हैं। इसमें सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की है।
- लगभग **31%** MSMEs **विनिर्माण क्षेत्र** में तथा **69% व्यापार और अन्य सेवाओं में संलग्न** हैं।
- **उत्तर प्रदेश** (लगभग 14.2%) में MSME की सर्वाधिक संख्या मौजूद है, इसके पश्चात पश्चिम बंगाल (लगभग 14%) का स्थान आता है।
- हाल ही में, **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यू.के. सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो MSME क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक समाधानों का सुझाव देगी।**

8.5.2. क्रिसिडेक्स सूचकांक

(Crisidex Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रथम मनोभाव सूचकांक क्रिसिडेक्स (CriSidEx) को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSMEs) हेतु प्रारंभ किया गया।

VISION IAS

क्रिसिडेक्स के बारे में

- क्रिसिडेक्स एक सम्मिश्रित इंडेक्स है, जिसे CRISIL एवं SIDBI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जो 8 भिन्न-भिन्न सूचकांकों को मिलाकर तैयार किया गया है और यह लघु एवं मध्यम क्षेत्र के बारे में व्यापारिक सोच को 0 (बिलकुल ही नकारात्मक) से 200 (पूर्ण रूप से सकारात्मक) के पैमाने पर मापता है।

लाभ:

- क्रिसिडेक्स द्वारा प्राप्त हुई जानकारी किसी संभावित कठिनाई और उत्पादन शृंखला में परिवर्तन के बारे में सूचना देगी, जिससे बाजार की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।
- इसके अतिरिक्त आयातकों और निर्यातकों की सोच के बारे में जानकारी एकत्रित कर, यह विदेशी व्यापार के संबंध में कदम उठाने के लिये आवश्यक संकेतक भी मुहैया करायेगा।

8.6. SEZ नीति रिपोर्ट

(SEZ Policy Report)

सुर्खियों में क्यों?

भारत की वर्तमान **SEZ नीति** का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित **बाबा कल्याणी समिति** ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बारे में:

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विशेष रूप से निरूपित शुल्क मुक्त विदेशी अंत:क्षेत्र हैं और व्यापार परिचालनों तथा शुल्कों एवं प्रशुल्कों के प्रयोजन से विदेशी क्षेत्र माने जाते हैं।

भारत की **SEZ** नीति 1 अप्रैल, **2000** से कार्यान्वित की जा रही है। इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, **2005** का निर्माण किया गया जो **SEZ** नियम **2006** द्वारा समर्थित है।

SEZ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा **सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में अनुमोदन बोर्ड** का गठन किया गया है।

SEZ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन
- रोजगार अवसरों का सृजन
- अवस्थापना सुविधाओं का विकास

8.7. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा (NPCC – Miniratna)

- नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NPCC) को भारत सरकार द्वारा **मिनी रत्न: श्रेणी-I** का दर्जा प्रदान किया गया है।

NPCC के बारे में: यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कंपनी है। जिसका प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास हेतु सिंचाई और जल संसाधन, विद्युत और भारी उद्योगों के प्रमुख क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करना है।

महारत्न	नवरत्न	मिनीरत्न
• बड़े CPSEs को अपने परिचालन में विस्तार करने तथा वैश्विक दिग्गज के तौर पर उभरने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2009 में इसे प्रारंभ किया गया था; • महारत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता: ○ इन कंपनियों के पास पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होता है। ○ ये SEBI विनियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक	• बेहतर प्रदर्शन करने वाले PSEs को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1997 में प्रारम्भ किया गया था। • वे कंपनियां जिन्हें **मिनीरत्न श्रेणी-I** और **अनुसूची 'A'** CPSEs (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम) का दर्जा प्राप्त है और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से तीन वर्षों में समझौता ज्ञापन	• ऐसी CPSEs जिन्होंने विगत 3 वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया है तथा जिनके पास सकारात्मक नेट वर्थ मौजूद है, उन्हें मिनीरत्न के दर्जे हेतु पात्र माना जाता है।

एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती हैं।
- विगत 3 वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिए।
- विगत 3 वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक नेट वर्थ 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।
- विगत 3 वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक निवल लाभ (कर जमा करने के पश्चात्) 5,000 करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिए।
- उल्लेखनीय रूप से वैश्विक स्तर पर मौजूदगी/अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में संलग्न होना चाहिए।

वर्तमान में 8 महारत्न कंपनियां हैं:

- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)
- GAIL (इंडिया)
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)
- तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)
- भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (SAIL)
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)

(MoU) प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है।

- नवरत्न CPSEs के बोर्डों को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रत्यायोजित शक्तियां प्राप्त हैं:
  - पूंजीगत व्यय करने;
  - संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनियों में निवेश करने;
  - विलय और अधिग्रहण करने; और
  - मानव संसाधन प्रबंधन करने, आदि।

8.8. सेवा क्षेत्र का मानकीकरण

(Standardisation of Service Sector)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा दूरसंचार, विमानन, ई-कॉमर्स और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता के मापन हेतु मानक निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

अन्य संबन्धित तथ्य

- इसके तहत प्रारंभिक रूप से सरकार द्वारा पहचाने गए **12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों** पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा: इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (IT & ITeS), पर्यटन और आतिथ्य सेवाएँ, चिकित्सा मूल्यांकन भ्रमण, परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएं, लेखा और वित्त सेवाएं, दृश्य श्रव्य सेवाएं, विधिक सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और उससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरण सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा सेवाएं शामिल हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards: BSI) के बारे में

- यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है।
- यह **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम 2016** द्वारा शासित होता है
- यह विभिन्न प्रमाणन चिह्न प्रदान करता है जैसे:
  - स्वर्ण और चांदी के आभूषणों की शुद्धता बेंचमार्किंग के लिए **BIS हॉलमार्क।**
  - जिन उत्पादों का पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव होता उन्हें मानकों के एक समुच्चय के अनुरूप **इकोमार्क** प्रदान करना।
  - औद्योगिक उत्पादों को **ISI मार्क** प्रदान करना। यह विद्युत उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायरिंग केबल, हीटर, रसोईघर के उपकरण, पोर्टलैंड सीमेंट, LPG वाल्व, LPG सिलेंडर, वाहनों के टायर जैसे उत्पादों के लिए अनिवार्य है।

VISION IAS

8.9. विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018

[Specific Relief (Amendment) Act 2018]

सुर्खियों में क्यों?

- विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के प्रावधानों में संशोधन करते हुए विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लागू किया गया है। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य **अनुबंधों की प्रवर्तनीयता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग में सुधार करना है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- समान्यतः, इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य विशेष न्यायालयों और मामलों के लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करते हुए अनुबंधों की प्रवर्तनीयता के संबंध में विलंबित मामलों का समाधान करना है।
- यह उन पक्षकारों को अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है, जिनके अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग वाले मामलों में न्यायालयों के विवेकाधिकार को कम करके संविदात्मक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तथा साथ अवसंरचना परियोजनाओं के विरुद्ध मुक़दमा दायर करने में न्यायालयों को निषेधाज्ञा जारी करने से रोकता है।

8.10. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर राष्ट्रीय मिशन

(National Mission on Government E-Marketplace)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर राष्ट्रीय मिशन को प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा GeM को अपनाने और उसके उपयोग में तेजी लाने हेतु लॉन्च किया गया था।

GeM के बारे में

- इसकी परिकल्पना भारत सरकार ने **राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल** के रूप में की है।
- यह पूर्णतः कागज रहित, कैशलेस और प्रणाली द्वारा संचालित ई-मार्केट प्लेस है जो **न्यूनतम मानव इंटरफेस** के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में ई-साइन (e-sign) का उपयोग किया जाता है, जो पूर्ण सुरक्षा विशेषताओं से युक्त होने के कारण इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाता है।
- GeM SPV, कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसने आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (DGS & D) को प्रतिस्थापित किया है) की **धारा 8** (गैर-लाभकारी) के तहत पंजीकृत कंपनी है। इसके पास इस पोर्टल का पूर्ण स्वामित्व है और इसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है।
- इसकी निगरानी सीधे **प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)** द्वारा की जा रही है।
- **GeM 3.0** को पिछले वर्ष आरंभ किया गया था। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत उपयोगकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग, ई-अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (e-EMD), ई-परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (e-PBG शामिल है)।

8.11. विश्व व्यापार संगठन का सूचना प्रौद्योगिकी समझौता

(WTO's Information Technology Agreement:ITA)

सुर्खियों में क्यों?

अमेरिका और चीन ने भारत द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उत्पादों पर आरोपित सीमा शुल्क पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत, WTO के ITA के तहत प्रतिबद्धताओं का अनुपालन नहीं कर रहा है।

ITA के संबंध में

- सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA) विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा लागू किया गया एक बहुपक्षीय समझौता है और यह 1996 में संपन्न हुआ।
- इसका उद्देश्य सांकेतिक दलों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और शुल्कों को पूर्णतः समाप्त करना है।
- भारत ITA का हस्ताक्षरकर्ता है।

VISION IAS

8.12. तकनीकी वस्त्र

(Technical Textiles)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, वस्त्र मंत्रालय द्वारा मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

तकनीकी वस्त्र क्या हैं?

- ये सौंदर्यपरक और सजावटी विशेषताओं के बजाय मुख्य रूप से **तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक गुणों के लिए विनिर्मित वस्त्र सामग्रियां और उत्पाद हैं।**
- ये बुने हुए या गैर-बुने हुए या दोनों का संयोजन हो सकते हैं। इन्हें एकल या बहु-परत के रूप में बनाया जा सकता है और इन्हे मिश्रित या लेपित सामग्री के रूप में उत्पादित किया जा सकता है।
- इनका न केवल वस्त्र, बल्कि कृषि, चिकित्सा, अवसंरचना, मोटर वाहन, एयरोस्पेस, खेल-कूद, रक्षा और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में भी अनुप्रयोग है।

8.13. उद्योग तथा आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)

[Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग (DIPP) का नाम परिवर्तित करके उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) कर दिया गया है। इस विभाग को स्टार्ट-अप्स से जुड़े मुद्दों से निपटने एवं अन्य अधिदेशों के साथ-साथ व्यवसायों के लिए व्यापार करने की सुगमता बढाने सम्बन्धी अधिदेश प्राप्त प्राप्त है।

संबंधित तथ्य

- DIPP (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत) की स्थापना वर्ष 1955 में की गयी थी तथा वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के साथ विलय करके इसे पुनर्गठित किया गया।
- **इसके द्वारा पूर्व में विदेशी व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जाता था और** आंतरिक व्यापार (खुदरा व्यापार, व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण सहित) से संबंधित मामलें **उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय** के अधिकार क्षेत्र के तहत आते थे।
- इस कदम के साथ **इस विभाग के माध्यम से एक ही मंत्रालय, यथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय आतंरिक तथा बाह्य व्यापार दोनों का प्रबंधन करेगा।**
- इस निकाय के अन्य कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं
  - **औद्योगिक नीति और रणनीतियों का निर्माण करना**
  - औद्योगिक विकास की निगरानी करना।
  - FDI संबंधी नीति का निर्माण तथा उसकी निगरानी।
  - विविध IPR's से संबंधित नीतियों का निर्माण।
  - UN औद्योगिक विकास संगठन के साथ समन्वय।
  - निम्नलिखित कानूनों का कार्यान्वयन– विस्फोटक अधिनियम, 1984; नमक उपकर अधनियम, 1953; पेटेंट अधनियम, 1970; बायलर अधिनियम, 1923 इत्यादि।

8.14. सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा घोषित किए गए मुद्रण प्रेस

(Printing Presses Declared as Public Utility)

सुर्खियों में क्यों?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** के अंतर्गत मुद्रा मुद्रण प्रेसों और टकसालों का **'सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा'** के रूप में वर्गीकरण करने की अधिसूचना जारी की है।

- **महत्व:** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, **सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति नियोक्ता को नोटिस दिए बिना अनुबंध का उल्लंघन करते हुए हड़ताल पर नहीं जाएगा।**

जनोपयोगी सेवा क्या है?

- वे **व्यावसायिक उपक्रम** जनोपयोगी सेवाएँ हैं जो आम जनता के लिए दैनिक आवश्यकता की **आवश्यक वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए हैं।**

VISION IAS

- उन्हें इस प्रकार भी परिभाषित किया गया है:
  - कोई भी रेलमार्ग सेवा (या वायुमार्ग से यात्रियों या माल की ढुलाई करने वाली कोई भी परिवहन सेवा) या किसी भी प्रमुख पत्तन या गोदी (डॉक) के कामकाज से संबंधित कोई भी सेवा।
  - औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी भाग जिसके कामकाज पर प्रतिष्ठान या उसमें कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा निर्भर करती है।
  - कोई भी डाक, टेलीग्राफ या दूरभाष सेवा।
  - आम जनता को विद्युत, प्रकाश या पानी की आपूर्ति करने वाला कोई भी उद्योग।
  - सार्वजनिक सफाई-व्यवस्था या स्वच्छता की कोई भी प्रणाली।
  - औद्योगिक विवाद अधिनियम की (पहली अनुसूची) में निर्दिष्ट कोई भी उद्योग।
  - "सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा" में अस्पताल या औषधालय की और बीमा सेवाएं भी शामिल हैं।

भारत में हड़ताल का अधिकार

- भारत में, **विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 19** के अंतर्गत एक **मूल अधिकार** है।
- हालांकि, **हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं** है, बल्कि **कानूनी अधिकार** है और इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सांविधिक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है।
- **आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम** आवश्यक सेवा के प्रमुख कर्मचारियों के लिए हड़ताल करना पूरी तरह से निषिद्ध करता है।

आवश्यक सेवाएं प्रबंधन अधिनियम, 1968

- **कुछ विशेष सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए** यह अधिनियम बनाया गया था, जिनके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा।
- यह **राज्यों** (जम्मू-कश्मीर तथा इस अधिनियम के प्रावधान जिस सीमा तक संघ के कर्मचारियों से संबंधित हैं, को छोड़कर) को उन **आवश्यक सेवाओं का चयन** करने की अनुमति प्रदान करता है, जिन पर यह अधिनियम लागू किया जाना है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

- यह **कुछ विशेष वस्तुओं या उत्पादों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए** अधिनियमित किया गया था, जिसकी आपूर्ति में जमाखोरी या कालाबाजारी के कारण बाधा पड़ने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा।
- इसमें खाद्य पदार्थ, दवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद आदि सम्मिलित हैं।

8.15. औषधियों का कीमत निर्धारण

(Pricing of Drugs)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एक संसदीय स्थायी समिति ने "औषध (कीमत निर्धारण) आदेश, 2013 के संदर्भ में औषधियों का कीमत निर्धारण" विषय पर अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत की।

भारत में मूल्य नियंत्रण पद्धति का विकास

- **अनिवार्य उत्पाद अधिनियम 1955** के अंतर्गत विदित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश [DPCO] का उद्देश्य थोक औषधियों को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए उनकी कीमतों को और उनके निरूपण को विनियमित करना है।
- **राष्ट्रीय औषध (फार्मास्युटिकल) कीमत निर्धारण नीति 2012** ने औषधियों की कीमत निर्धारण के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया ताकि उचित मूल्य पर आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही इस उद्योग-क्षेत्र की वृद्धि के लिए आवश्यक नवाचार व प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा सके।
  - वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, स्वास्थ्य मंत्रालय **आवश्यक औषधियों की एक राष्ट्रीय सूची (NLEM)** तैयार करता है।
  - **NLEM 2015** के अंतर्गत, कुल 376 दवाएं कीमत नियंत्रण के अधीन आती हैं।
- NLEM के आधार पर, **राष्ट्रीय औषध कीमत निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)** DPCO के प्रावधानों का उपयोग करके निरूपण की कीमतों का निर्धारण करता है और इसके अनुपालन की निगरानी करता है।

NPPP की विशेषताएं

- **कीमत निर्धारण की पद्धति**: आवश्यक औषधियों की उच्चतम कीमतों का निर्धारण, दवा के उन सभी ब्रांडों (एक विशेष चिकित्सीय खंड) की कीमतों के सरल औसत के आधार पर किया जाता है, जिनकी बाजार में कम से कम 1 प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है।

- **कीमतों में संशोधन**: अनुसूचित औषधियों की उच्चतम कीमतों में वार्षिक वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के अनुसार की जाती है।
- **गैर-अनुसूचित निरूपण** : गैर-अनुसूचित औषधियों की कीमतों में प्रति वर्ष केवल 10% की वृद्धि की जाती है, ताकि औषधियों की समग्र कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।
- **आयातित औषधियों के लिए कोई अलग मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है** (यदि DPCO की पहली अनुसूची में उल्लिखित है)।

राष्ट्रीय औषध कीमत निर्धारण एजेंसी

- **यह 1997 में गठित रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र, कार्यकारी निकाय है।**
- इसका मुख्य कार्य ड्रग्स (कीमत नियंत्रण) आदेश (DPCO) के अंतर्गत अनुसूचित निरूपण की कीमतों को तय करना और उन्हें संशोधित करना है।
- यह बाजार की निगरानी के माध्यम से अनुसूचित दवाओं की कीमतों की जाँच और प्रवर्तन भी करती है।
- कीमत की सीमाओं का पालन करने में विफल कंपनियां NPPA को अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होती है।
- NPPA दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित औषध नीति व मुद्दों पर सरकार को निविष्टियाँ प्रदान करती है।

9. अवसंरचना (Infrastructure)

9.1. सड़क

(Road)

9.1.1. सड़क सुरक्षा

(Road Safety)

सुर्खियों में क्यों?

सरकारी आंकड़ों से यह प्रदर्शित हुआ है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है।

सड़क सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- सरकार द्वारा **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति** को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा से संबंधित नीतिगत पहलों को रेखांकित किया गया है। **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (NRSC),** सड़क सुरक्षा के मामलों से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने वाली एक शीर्ष निकाय है।
  - NRSC द्वारा मौजूदा अथवा भावी सड़क या चौराहो की सुरक्षा प्रदर्शन के परीक्षण का आंकलन करने हेतु **रोड सेफ्टी ऑडिट (RSA)** का संचालन भी किया जाता है।
- वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं की संख्या को कम करने के उद्देश्य से एक **राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा** तैयार किया गया है।
- सरकार ने 2015 में **ब्रासीलिया घोषणापत्र (सड़क सुरक्षा पर) पर हस्ताक्षर किए थे**। यह घोषणा सड़क दुर्घटनाओं और मृत्युओं की संख्या में 50 फीसदी कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **सुखद यात्रा ऐप** सड़क गुणवत्ता से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है, साथ ही यह राजमार्गों पर होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना या गड्ढों के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु एक मंच भी प्रदान करता है।
- **टोल-फ्री इमरजेंसी नंबर (1033)** का उपयोग किसी भी आपातकालीन स्थिति, राजमार्गों के संबंध में फीडबैक दर्ज करने अथवा एंबुलेंस सेवाओं तक पहुँच स्थापित करने हेतु किया जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों (भारत सहित) द्वारा **स्वैच्छिक वैश्विक सड़क सुरक्षा लक्ष्यों** के एक व्यापक समुच्चय (सेट) को अपनाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है। इसके अंतर्गत 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सड़क सुरक्षा (SDG 3.6 और SDG 11.2) से संबंधित दो विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं, ताकि सरकारों की सड़क सुरक्षा के संबंध में उपाय करने और उन्हें प्रबंधित करने में सहायता की जा सके।

9.2. रेलवे

(Railways)

9.2.1. माल भाड़ा गलियारों का परिचालन शीघ्र

(Freight Corridors To Be Operational Soon)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के कई खंडों (stretches) का शीघ्र ही परिचालन आरंभ हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है।

DFC परियोजना के संबंध में

- DFC परियोजना का कार्यान्वयन रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- आरंभ में पूर्वी और पश्चिमी DFC का निर्माण किया जा रहा है।
- वर्ष 2006 में, भारत सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित संस्था के रूप में, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (DFCCIL)** की स्थापना की थी। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

VISION IAS

- पश्चिमी गलियारे के निर्माण का पूरा वित्तपोषण **जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी** द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा सॉफ्ट ऋण के रूप में 33,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। पूर्वी गलियारे का वित्तपोषण आंशिक रूप **से विश्व बैंक** द्वारा किया जा रहा है।

9.2.2. सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ अन्य पहलें

(Other Recent Initiatives of Government)

भारतीय रेलवे ई-खरीद प्रणाली (IREPS)	• यह **भारतीय रेलवे का** ई-टेंडरिंग, ई-ऑक्शनिंग या रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से वस्तुओं की खरीद, कार्य एवं सेवाओं, सामग्रियों की बिक्री तथा संपत्ति को पट्टे (leasing) पर देने के लिए प्रारंभ **एक आधिकारिक पोर्टल** है। • इसका विकास एवं रख-रखाव **रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)** द्वारा किया जाता है। • यह **सबसे बड़ा G2B पोर्टल** है। • केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसे **'सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2017'** से सम्मानित किया गया। • हाल ही में, इसका मोबाइल एप्लिकेशन **आपूर्ति (Aapoorti)** लॉन्च किया गया था।
रेल मदद (Rail MADAD)	• **यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण** के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने 'रेल मदद' नामक नया एप्लीकेशन प्रारंभ किया है। • यह **यात्रियों को न्यूनतम इनपुट के साथ शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान** करता है और उनकी शिकायतों के निवारण की स्थिति पर रियल-टाइम फीडबैक प्रदान करता है। • यह डेटा के आधार पर किसी चयनित ट्रेन या रेलवे स्टेशन के **प्रदर्शन मापदंडों संबंधी रुख** दिखाएगा।
भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय	• हाल ही में, इसे **वड़ोदरा (गुजरात)** में राष्ट्र को समर्पित किया गया। • रूस एवं चीन के पश्चात् रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला **भारत विश्व तीसरा देश बन गया है।** यह संस्थान **नेशनल अकादमी ऑफ़ इंडियन रेलवे** में स्थित है।

रेल सहयोग पोर्टल	• इसे भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह **कॉर्पोरेट एवं सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (PSUs)** को **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व फण्ड** के माध्यम से विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर या उनके निकट जन सुविधाओं की स्थापना में योगदान करने हेतु एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा।

9.3. विमानन क्षेत्र

(Aviation)

9.3.1. नभ (भारत के लिए अगली पीढ़ी के विमान पत्तन) निर्माण पहल

[NABH (Nextgen Airports For Bharat) Nirman Initiative]

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने नभ (NABH) निर्माण पहल के एक भाग के रूप में **विमान पत्तनों (एयरपोर्ट्स) की क्षमता बढ़ाने** का निर्णय लिया है।

नभ निर्माण पहल के संबंध में

- बजट (2018) में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य **प्रति वर्ष एक अरब यात्राएँ** संभालने के लिए विमान पत्तनों की क्षमता में **5 गुना से अधिक** विस्तार करना है।
- इसका उद्देश्य **4 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 15 वर्षों में लगभग 100 विमान पत्तन** को स्थापित करना है और इसके निवेश का एक बड़ा प्रतिशत निजी क्षेत्र से आएगा।
- नभ निर्माण के प्रमुख पहलू हैं- -
  - उचित और न्यायसंगत **भूमि अधिग्रहण।**
  - विमान पत्तन एवं क्षेत्रीय विकास के लिए **दीर्घकालिक मास्टर प्लान** और
  - सभी हितधारकों के लिए **संतुलित अर्थशास्त्र।**
- यह छोटे **कस्बों एवं शहरों को जोड़ने** और पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायता करेगा।

9.3.2. उड़ान 3.0 (उड़े देश का आम नागरिक योजना) / क्षेत्रीय संपर्क योजना

(UDAN 3.0 (Ude Desh Ka Aam Naagrik Scheme) / Regional Connectivity Scheme: RCS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा योजना के तीसरे चरण के तहत एयरलाइंस का रूट निर्धारित किया गया है।

सम्बन्धित विवरण

- पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय के माध्यम से **पर्यटन मार्गों का समावेश।**
- जल हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए **सीप्लेन (Seaplanes) का समावेश।**
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई मार्गों** को 'उड़ान' के अंतर्गत लाना।
- उड़ान-III की बिडिंग के अंतर्गत **हेलीकाप्टर मार्गों पर विचार नहीं किया गया है।**
- **इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम (IACS-Udan)** के तहत गुवाहाटी से 2 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ की गईं हैं (इसके तहत निधियों/कीमतों पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, ये उड़ानें बाजार संचालित होंगी)

'उड़ान' योजना के बारें में

- यह एक क्षेत्रीय विमानपत्तन विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) है जिसका उद्देश्य वहनीय हवाई यात्रा उपलब्ध करना है।
- यह **नागर विमानन मंत्रालय** के अधीन संचालित है और **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** इसके लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण है।
- यह **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति** का एक प्रमुख घटक है।

9.3.3. जलीय विमानपत्तन

(Water Aerodrome)

सुर्खियों में क्यों?

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में जलीय विमानपत्तनों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

VISION IAS

संबंधित विवरण

- **जल हवाई-अड्डा** जल पर एक ऐसा निर्धारित क्षेत्र है (जिसमें भवन, प्रतिष्ठान और उपकरण भी सम्मिलित हैं), जिसे पूर्ण या आंशिक रूप से विमान के आगमन, प्रस्थान और आवाजाही के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ट्रैफिक की मात्रा के आधार पर, जलीय विमानपत्तन में तटों या जलबंधक (jetty) (जहां विमानों को डॉक किया जा सकता है) और खाड़ियों (bay) (जहां विमानों को पार्क किया जा सकता है) पर एक टर्मिनल बिल्डिंग विद्यमान हो सकती है।
- **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 5 राज्यों** अर्थात् ओडिशा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की पहचान की है, जहाँ जल हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
- इन्हें **पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थानों के निकट** विकसित करना प्रस्तावित किया गया है।
- अपने पहले चरण में, जल हवाई अड्डों की स्थापना ओडिशा में चिल्का झील पर, एवं गुजरात में सरदार सरोवर बांध और साबरमती रिवर फ्रंट पर की जाएगी।

9.4. पत्तन एवं जलमार्ग

(Ports and Waterways)

9.4.1. अंतर्देशीय जलमार्ग पर पहला मल्टी-मॉडल टर्मिनल

(First Multi-Modal Terminal on Inland Waterways)

सुर्खियों में क्यों?

- वाराणसी में प्रधानमंत्री ने **अंतर्देशीय जलमार्ग पर भारत के पहले मल्टी-मॉडल टर्मिनल** का उद्घाटन किया। यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की विश्व बैंक समर्थित **जल मार्ग विकास परियोजना** के भाग के रूप में **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर बनाया जा रहा** पहला मल्टी-मॉडल टर्मिनल है।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग

- संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के तहत, केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलमार्गों पर शिपिंग और नेविगेशन के संबंध में कानून बना सकती है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-I (NW-I) पर **'जल मार्ग विकास परियोजना'**, वाराणसी और हल्दिया के बीच आंरभ की गई है। यह एक वृहत एकीकृत IWT परियोजना है, जो 5369 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर 1380 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है।
- NW-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) पर, जुलाई-2017 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के पोत पर धुबरी और हतसिंगीमारी के मध्य **रो-रो सेवाओं** का शुभारंभ किया गया।

जल मार्ग विकास परियोजना

- यह परियोजना **इलाहाबाद और हल्दिया के बीच** गंगा नदी पर 1620 किमी की दूरी को कवर करने वाले **जलमार्ग** के विकास (वाणिज्यिक नौपरिवहन के लिए) का प्रावधान करती है।
- इस परियोजना को **विश्व बैंक** की तकनीकी सहायता और निवेश सहायता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल को शामिल करती है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर 4 मल्टी-मोडल टर्मिनलों के निर्माण की योजना बनाई गई है: वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर।
- इस परियोजना के तहत भारत में पहली बार जलीय परिवहन के संसाधन प्रबंधन को अनुकूलतम बनाने हेतु नदी सूचना प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधारित प्रणाली को अपनाया गया है।

9.4.2. प्रथम फ्रेट विलेज

(First Freight Village)

सुर्खियों में क्यों?

भारत का प्रथम फ्रेट विलेज वाराणसी में विकसित किया जा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **इस परियोजना का उद्देश्य** वाराणसी में **मल्टीमॉडल टर्मिनल** के परिक्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना एवं पूर्वी परिवहन गलियारे पर एवं इसके प्रभाव क्षेत्र में लॉजिस्टिक लागत को कम करना है।

VISION IAS

- इसका **वित्त-पोषण विश्व बैंक द्वारा** किया जा रहा है और इसका कार्यान्वयन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

फ्रेट विलेज क्या है?

'फ्रेट विलेज' एक निर्धारित क्षेत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न संचालकों द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार के पारगमन हेतु परिवहन, लॉजिस्टिक और माल के वितरण से संबंधित समस्त गतिविधियों को संचालित किया जाता है।

9.4.3. नदी सूचना प्रणाली

(River Information System)

सुर्खियों में क्यों ?

केंद्रीय नौवहन मंत्री ने हाल में ही **फरक्का और पटना (410 किलोमीटर) के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग – 1 (गंगा नदी) पर नदी सूचना प्रणाली के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।**

नदी सूचना प्रणाली के विषय में

- यह **पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (vessel traffic management system)** का एक प्रकार है, जिसमें ट्रैफ़िक को उपयुक्त बनाने और पोतों के मध्य रियल टाइम सूचना के आदान-प्रदान हेतु डिज़ाइन किए गए विशेषीकृत सॉफ़्टवेयर सहित ट्रैकिंग और मौसम संबंधी उपकरणों के संयोजन का उपयोग किया जा रहा है।

संबंधित समाचार

- हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने राष्ट्रीय जलमार्गों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक नया पोर्टल लेडिस (LADIS)– न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली **(लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इनफार्मेशन सिस्टम)** लॉन्च किया।
- यह जहाज/नौका संचालन के लिए **न्यूनतम उपलब्ध गहराई** पर रियल टाइम डेटा प्रदान करेगा

9.4.4. तटीय व्यापार कानून

(Cabotage Law)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, नौवहन मंत्रालय ने विदेशी जहाजों की आवाजाही पर तटीय व्यापार सीमाओं को शिथिल किया।

यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को देश के समुद्र तट पर स्थित भारतीय पत्तनों के मध्य निर्यात-आयात कंटेनरों को स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान करेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

भारतीय पत्तन अब विदेशी पत्तनों से आने वाले या विदेशी पत्तनों को जाने वाले कार्गो को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे भारतीय पत्तन प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बन सकेंगे। यह आपूर्ति शृंखला के समय अंतराल को कम करेगा और भारतीय निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करेगा।

तटीय व्यापार (Cabotage) के विषय में

- तटीय व्यापार का आशय विदेशी समुद्री पत्तनों के मध्य तटीय मार्गों का उपयोग कर नौवहन करने तथा एक विशेष देश के भीतर समुद्री पत्तनों के मध्य जहाजों के संचालन पर प्रतिबंध से है।
- इसे मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, (MSA), 1958 द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- इसका लक्ष्य घरेलू नौवहन उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित करना और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य पूरा करना है।
- वर्तमान में भारत के जहाजों की गैर-उपलब्धता की स्थित में, विदेशी-ध्वज धारण करने वाले जहाज लाइसेंस प्राप्त करने के बाद देश के भीतर कार्गो परिवहन कर सकते हैं।

9.5. विद्युत

(Electricity)

9.5.1. वेयरहाउसिंग तथा पुनर्सुधार के माध्यम से विद्युत परिसंपत्तियों का पुनरुद्धार

(Power asset Revival Through Warehousing and Rehabilitation: Pariwartan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) ने विद्युत क्षेत्र की अत्यधिक दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु 'परिवर्तन' नामक एक योजना को अंतिम रूप प्रदान किया है।

परिवर्तन योजना

- इस योजना के तहत, REC द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण हेतु पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बैंकों की सहायता से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) अर्थात् एक अनुषंगी कंपनी की स्थापना की जाए, जिसकी निगरानी एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा की जाएगी।
- परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, नेट बुक वैल्यू पर लगभग 40,000 मेगावाट क्षमता वाली परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में सक्षम होगी तथा इस योजना के तहत विद्युत परियोजनाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (NIIF) से 4-5% इक्विटी को प्राप्त कर सकती है।
- इस योजना का लक्ष्य **इन विद्युत परिसंपत्तियों को अपने वर्तमान ऋण की पूर्ति के लिए संचालित करना है** और ऋणदाताओं द्वारा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा विक्रय का निर्णय लेने से पूर्व इसे हानि रहित बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- यह योजना **SAMADHAN (परिसंपत्ति प्रबंधन तथा ऋण परिवर्तन संरचना योजना)** के सदृश है जिसमें SBI के नेतृत्व वाले बैंकरों के कंसोर्टियम ने दबावग्रस्त विद्युत संयंत्रों को परिसमापन से बचाने के लिए उनके असंधारणीय ऋणों की ज़िम्मेदारी ली है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

- यह ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक नवरत्न कंपनी है।
- इसे भारत सरकार द्वारा सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) तथा DDUGIY (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- यह UDAY (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) को लागू करने हेतु एक समन्वयक एजेंसी है।

9.5.2. स्मार्ट मीटर

(Smart Meters)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 01 अप्रैल 2019 से आरम्भ करते हुए अगले 3 वर्षों में सभी मीटरों को 'स्मार्ट प्रीपेड' बनाने की योजना बनाई है।

स्मार्ट मीटर के बारे में

- स्मार्ट मीटर उस उन्नत मीटरिंग अवसंरचना समाधान के भाग हैं जो दिन के **अलग-अलग समयों पर विद्युत् की खपत को मापता है, उसे रिकॉर्ड करता है और** यह सूचना ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं को भेजता है।
- स्मार्ट मीटर विद्युत आपूर्तिकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के मध्य **द्विपक्षीय संवाद** को संभव बनाते हैं। स्मार्ट मीटर, वितरण कंपनियों की **परिचालन लागत को कम करने**, दूरस्थ क्षेत्रों में मीटरिंग को सक्षम बनाने, बिजली चोरी को रोकने और बेहतर लोड प्रबंधन को सक्षम बनाने में मदद कर सकते हैं।

VISION IAS

अन्य संबंधित निर्णय

- विद्युत (संशोधन) विधेयक के मसौदे में स्मार्ट ग्रिड को परिभाषित किया गया है तथा सुझाव दिया गया है कि उपभोग के उचित मापन हेतु प्रत्येक स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने चाहिए।
- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत सरकार ने 2019 तक 35 मिलियन स्मार्ट मीटर्स लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) के स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम (SMNP)** के अंतर्गत देश भर में 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने का कार्य किया जा रहा है।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY)

- इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गयी है। इसे भारत की विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) की वित्तीय स्थिति को सुधारने एवं उनके पुनरुत्थान हेतु आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य विद्युत् वितरण से संबंधित वित्तीय समस्याओं का स्थायी समाधान प्राप्त करना है।
- यह योजना केवल राज्य के स्वामित्व वाली DISCOMs पर ही लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 30 सितंबर 2015 तक इन कंपनियों के ऋणों का 75 प्रतिशत हिस्सा अधिग्रहित किया जाना था तथा बॉन्ड के विक्रय के माध्यम से ऋणदाताओं को पुनर्भुगतान करना था। शेष 25 प्रतिशत ऋणों के लिए DISCOMs द्वारा बॉन्ड जारी किये जाने थे।

समग्र तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षति {Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses}

- यह प्रणाली (सिस्टम) के अंदर एनर्जी इनपुट यूनिट्स तथा उन यूनिट्स जिनके लिए भुगतान संग्रहित किया जाता है, के बीच का अंतर है।
- इसके दो घटक होते हैं:
  - **तकनीकी क्षति:** पारेषण एवं वितरण प्रणाली में अपने प्रवाह के दौरान काफी विद्युत व्यर्थ हो जाती है, जिसे तकनीकी क्षति कहा जाता है। भारतीय नेटवर्कों को देखते हुए यह क्षति औसतन 8 से 12% की सीमा में रहनी चाहिए।
  - **व्यावसायिक क्षति:** विद्युत की चोरी, मीटरिंग संबंधी दोषों, राजस्व उगाही के सन्दर्भ में उपभोक्ता श्रेणियों के दुरुपयोग आदि के कारण व्यावसायिक क्षति होती है।

9.5.3. प्राप्ति ऐप

(PRAAPTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 'प्राप्ति' (भुगतान पुष्टि और उत्पादकों के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद विश्लेषण) नामक एक वेब पोर्टल तथा ऐप का शुभारम्भ किया गया है।

प्राप्ति (PRAAPTI) से संबंधित तथ्य

- यह विद्युत उत्पादकों से विभिन्न दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों (PPAs) के लिए चालान और भुगतान डाटा (Invoicing and payment data) का संकलन करेगा।
- यह निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:
  - यह बकाया भुगतानों का निस्तारण करवाने, **पारदर्शिता बढ़ाने** और विद्युत खरीद लेन-देन में सर्वोत्तम प्रणालियों को प्रोत्साहित करने में DISCOMs और GENCOs (उत्पादक कंपनियों) की सहायता भी करेगा।
  - यह ऐप उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन (विद्युत उत्पादक कंपनी को किए गए भुगतान के सन्दर्भ में) करने में सक्षम बनाएगा।

9.6. लॉजिस्टिक क्षेत्रक

(Logistic Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2018 जारी किया।

VISION IAS

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (Logistic Performance Index: LPI) 2018 के मुख्य बिंदु

- भारत की LPI रैंकिंग **2016 के 35वें स्थान से घटकर 2018 में 44वीं** हो गई है।
- सभी छह LPI पैरामीटर के लिए भारत का स्कोर काफी कम हुआ है।
- LPI 2018 में जर्मनी प्रथम स्थान पर और स्वीडन द्वितीय स्थान पर रहा।

लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) 2018 के बारे में

- **विश्व बैंक** द्वारा इसे **वर्ष में दो बार** जारी किया जाता है। इसके तहत **160 देशों** की लॉजिस्टिक क्षेत्रक के प्रदर्शन के आधार पर तुलना की जाती है।
- इस सूचकांक के अंतर्गत **1 से 5 तक** के स्कोर दिए जाते है। उच्च स्कोर बेहतर प्रदर्शन को इंगित करता है |
- लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) छह संकेतकों के माध्यम से देशों का विश्लेषण करता है:
  - कस्टम
  - अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट
  - माल की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग
  - अवसंरचना
  - लॉजिस्टिक क्षमता
  - प्रेषित माल की समयबद्धता

लॉजिस्टिक क्या है?

लॉजिस्टिक उन सेवाओं का एक नेटवर्क है जो वस्तुओं के भौतिक आवागमन, सीमाओं के पार और सीमाओं के भीतर व्यापार का समर्थन करते हैं। लॉजिस्टिक में परिवहन से इतर कई गतिविधियों की एक शृंखला शामिल है, जिसमें वेयरहाउसिंग, ब्रोकरेज, एक्सप्रेस डिलीवरी, और टर्मिनलों जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं शामिल हैं।

लॉजिस्टिक क्षेत्रक हेतु सरकारी प्रयास

- **अवसंरचना का दर्जा:** लॉजिस्टिक सेक्टर को 2017 में अवसंरचना (infrastructure) का दर्जा दिया गया जो लॉन्ग टेंडर फण्ड (दीर्घ अवधि निधि), बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा साथ ही प्रतिस्पर्धी दरों पर मौजूदा ऋणों की पुनर्वित्तीयन में मदद करेगा।
- एशियाई विकास बैंक की सहायता से सरकार ने **असम में मल्टीमाडल लॉजिस्टिक हब** का प्रस्ताव किया है।
- राज्य स्तर पर लॉजिस्टिकस दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सरकार ने **लॉजिस्टिक ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS)** नामक सूचकांक लॉन्च किया है।
- **लॉजिस्टिक दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रम-** यह कार्यक्रम लॉजिस्टिक पार्क के प्रबंधन और विकास लिए और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए शुरू किया गया था।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल** को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो EXIM और घरेलू व्यापार के सभी हितधारकों को एक मंच से जोड़ेगा। पोर्टल को 3 चरणों में योजनाबद्ध किया जा रहा है: (i) एक लॉजिस्टिक ई-मार्केटप्लेस विकसित करना (ii) 81 प्राधिकरणों को इंटरलिंक करते हुए सिंगल विंडो सर्टिफिकेशन प्रदान करना (iii) वित्तीय सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना।
- हाल ही में **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्रारूप 2018** जारी किया गया।

प्रौद्योगिकी पहल: वेयरहाउस एवं परिवहन क्षेत्र में स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली (ASRS), बार कोड के स्थान पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) इसके अतिरिक्त रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)।

वर्तमान में, अवसंरचनात्मक उप-क्षेत्रकों की **सुगमता सूची में पाँच व्यापक श्रेणियां** शामिल की गयी हैं -

- परिवहन और लाजिस्टिक्स,
- ऊर्जा,
- पानी और स्वच्छता,
- संचार
- सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढाँचा।

VISION IAS

9.7. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

(National Digital Communications Policy- 2018)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति - 2018 (NDCP-2018)** तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम **"डिजिटल संचार आयोग"** प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

तीन मिशनों के लिए रणनीतियां

1. **कनेक्ट इंडिया**

- सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुंच सुनिश्चित करने हेतु 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन - राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान' की नींव रखना जिसे USOF और सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से वित्त पोषित की जाएगा।
  - **भारतनेट** - ग्राम पंचायतों को 1 Gbps स्पीड का नेटवर्क प्रदान करना जिसको 10 Gbps तक अपग्रेड किया जा सके।
  - **ग्रामनेट** - सभी प्रमुख ग्रामीण विकास संस्थानों को 10 Mbps की स्पीड वाले नेटवर्क के साथ जोड़ना जिसको 100 Mbps तक अपग्रेड किया जा सकेगा।
  - **नगरनेट** - शहरी क्षेत्रों में दस लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की स्थापना करना।
  - **जनवाईफाई** - ग्रामीण क्षेत्रों में बीस लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की स्थापना करना
- श्रेणी I, II और III के शहरों और ग्रामीण समूहों में घरों तक, उद्यमों तक और महत्वपूर्ण विकास संस्थानों तक फाइबर ले जाने हेतु **'फाइबर फर्स्ट पहल'** कार्यान्वित करना।
- **राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण** का गठन कर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना; विनियामकीय फ्रेमवर्क को पुनर्संरचित कर IT, दूरसंचार और प्रसारण अवसंरचना का समेकन; राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों हेतु एक **ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स** तैयार करना; मोबाइल टॉवर अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाना, इत्यादि।
  - **स्पेक्ट्रम को जनहित के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता प्रदान करना।**
  - **भारत में उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों का सुदृढ़ीकरण।**

2. प्रोपेल इंडिया: दूरसंचार अवसंरचना को महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवसंरचना का दर्जा प्रदान करके, निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने हेतु लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था में सुधार लाकर डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए निवेश को बढ़ाना। उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु रोडमैप तैयार करना तथा स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना एवं मूल्य संवर्द्धन करना।

3. सिक्योर इंडिया

- एक मजबूत, लचीली और सुदृढ डाटा संरक्षण प्रणाली की स्थापना करना, एन्क्रिप्शन और डेटा प्रतिधारण पर नीति तैयार कर डिजिटल संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, खंड-वार साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (Cyber Security Incidence Response System: CSIRT) को स्थापित करना,इत्यादि।
- सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (PPDR) हेतु अखिल भारतीय नेटवर्क की स्थापना करना। आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अनुसरण की जाने वाली मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को तैयार और प्रवर्तित करना।

9.8. अवसंरचना वित्तपोषण

(Infrastructure Financing)

9.8.1.INVITS और REITS

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु प्रयासरत है। अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों में रेल लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग और विद्युत पारेषण लाइनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ब्लैकस्टोन ग्रुप ने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) संबंधी भारत प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा विवरण प्रस्तुत किया है।

VISION IAS

InvITs क्या हैं?

- अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trusts: InvITs) **म्यूचुअल फंड जैसे संस्थान हैं** जो अवसंरचना संबंधी क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए बड़ी संख्या में व्यक्तिगत निवेशकों से छोटे-छोटे अंशो में राशि प्राप्त करते हैं। InvITs द्वारा आय का एक भाग लाभांश के रूप में अंश धारकों को वापस कर दिया जाता है।
- InvITs को कम लागत वाली दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका मूल उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली पर वित्तीयन के दबाव को कम करने के साथ-साथ अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए नई इक्विटी पूंजी प्राप्त करना है।
- InvITs एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किए गए हैं और इन्हें SEBI द्वारा पंजीकृत किया जाता है।
- वर्तमान नियमों के अनुसार, **छोटे और खुदरा निवेशकों को InvIT में निवेश की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है**। InvIT अंशों में न्यूनतम निवेश की सीमा **10 लाख रुपये** है। मुख्य निवेशक विदेशी संस्थागत निवेशक, बीमा एवं पेंशन फंड और घरेलू संस्थागत निवेशक (जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक) और अत्यधिक धनी व्यक्ति भी हो सकते हैं।

REITS क्या हैं ?

- यह आय-सृजक रियल एस्टेट का स्वामित्व धारण करने, संचालन या वित्तीयन करने वाली कंपनी है।
- यह बड़ी संख्या में निवेशकों से वित्त जुटाता है और प्रत्यक्ष रूप से आय-सृजक रियल एस्टेट में निवेश करता है। ट्रस्ट, शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होते हैं, ताकि निवेशक ट्रस्ट में अंशों का क्रय कर सके।
- ये **SEBI द्वारा विनियमित** किए जाते हैं।
- REIT द्वारा विकसित परियोजनाओं को रेरा (RERA) के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016

- **राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण किया जायेगा** जिसमे एक अध्यक्ष और शहरी नियोजन, कानून और वाणिज्य आदि में अनुभव रखने वाले कम से कम दो पूर्णकालिक सदस्य शामिल होंगे।
- सभी आवासीय परियोजनाओं का RERA में **पंजीकरण अनिवार्य** है।
- **रेरा के खिलाफ अपील (समय-बद्ध) सुनवाई के लिए रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्माण।**
- प्रस्तावकों के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए एक 'पृथक खाता' रखना अनिवार्य है।
- प्रस्तावकों को **समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करना होता** है और यदि प्रस्तावक संपत्ति पर कब्ज़ा देने में विफल रहता है, तो उस संपत्ति के लिए ली गई अग्रिम राशि खरीदार को वापस करनी होगा।
- कब्जे (possession) की तिथि से 5 साल के लिए **निर्माण की गुणवत्ता और सेवाओं के प्रावधान के संदर्भ** में **खरीदारों को संरक्षण** प्रदान किया जायेगा।

9.8.2. क्रेडिट एनहांसमेंट फण्ड

(Credit Enhancement Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा बीमा और पेंशन फंडों द्वारा अवसंरचना संबंधी निवेश प्राप्त करने के लिए 500 करोड़ **क्रेडिट एनहांसमेंट फण्ड** (CEF) की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गयी है।

फंड के बारे में

- IIFCL (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी) द्वारा प्रायोजित फंड की प्रारंभिक राशि 500 करोड़ होगी, और यह एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करेगा।
- यह **अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए साख संवर्द्धन (Credit enhancement)** प्रदान करेगा जो अवसंरचना क्षेत्रक की कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि करने में सहायक होगा। साथ ही यह पेंशन और बीमा फंड जैसे निवेशकों से निवेश प्राप्ति को सुगम बनाएगा।

VISION IAS

9.8.3. राष्ट्रीय आवास बैंक

(National Housing Bank: NHB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु 1,450 करोड़ रूपए के भुगतान को अनुमोदन प्रदान किया है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य:

- NHB में RBI की 100% अंशधारिता है। NHB में RBI की अंशधारिता के सरकार को हस्तांतरण हेतु वित्त विधेयक 2018 ने राष्ट्रीय आवास बैंक,1987 में संशोधन किया है।
- **RBI से सरकार को स्वामित्व में परिवर्तन** बैंकिंग विनियामक और NHB के स्वामी के रूप में RBI की भूमिका को पृथक कर देगा।

NHB

- यह एक **सांविधिक निकाय** है, जिसकी स्थापना स्थानीय और प्रादेशिक दोनों स्तरों पर भारत में **आवास वित्तीयन संस्थाओं के संवर्धन एवं विनियमन हेतु प्रमुख अभिकरण के रूप में** परिचालन हेतु की गई है।
- **इसने वर्ष 2007 में एक NHB रेसिडेक्स (Residex) भी लॉन्च किया था।** यह प्रथम आवासीय आवास मूल्य सूचकांक है।

10. ऊर्जा (Energy)

10.1. रणनीतिक तेल रिजर्व

(Strategic Oil Reserves)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में भारत को मंगलौर में स्थित भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खेप प्राप्त हुई है।

रणनीतिक तेल रिजर्व के संबंध में

- कच्चे तेल के भंडारण को रणनीतिक तेल रिजर्व के तौर संदर्भित किया जाता है जो बाह्य आपूर्ति में किसी भी प्रकार के व्यवधान या आपूर्ति-मांग में असंतुलन के दौरान आपातकालीन भंडार के रूप में कार्य करता है।
- कच्चे तेल के भंडारण का निर्माण **भूमिगत चट्टानी गुफाओं** में किया जाता है। भारत में ये रिजर्व देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। इन्हें भूतल भंडारण की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है और इसके फलस्वरूप वाष्पीकरण क्षति भी कम होती है।
- इन भंडारण सुविधाओं का निर्माण एवं रख-रखाव **भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड** (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड का एक SPV) द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में, ये रणनीतिक रिजर्व विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मंगलौर (कर्नाटक), और पडुर (कर्नाटक) में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य रिजर्व का निर्माण अभी प्रक्रियाधीन है, ये हैं: चंडीखोल (उड़ीसा), बीकानेर (राजस्थान) और राजकोट (गुजरात)।
- हाल ही में, **विशाखापट्टनम रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR)** सुविधा का परिचालन आरंभ किया गया।

भारत में तेल एवं गैस परिदृश्य

- तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश;
- जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के पश्चात् चौथा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयातक देश;
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार वर्ष 2020 तक, भारत विश्व में सबसे बड़ा तेल आयातक देश होगा; एवं
- इसके अतिरिक्त, IEA द्वारा निर्धारित रणनीतिक तेल रिजर्व के लिए वैश्विक मानक और भारत की एकीकृत ऊर्जा नीति, 2006 में अनुशंसा की गयी है कि **देश को 90 दिनों के तेल आयात के बराबर रिजर्व बनाए रखना चाहिए।**

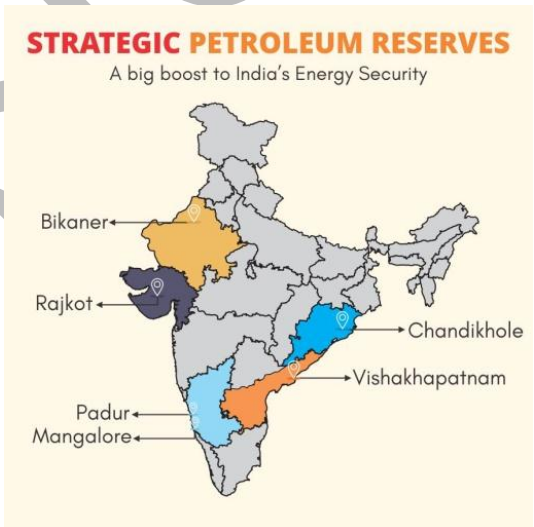

10.2. अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन

(Unconventional Hydrocarbons)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्तमान उत्पादन साझाकरण अनुबंधों (Production Sharing Contracts: PSC), CBM अनुबंध और नामांकन क्षेत्रों (Nomination fields) के तहत **शेल ऑयल/गैस, कोल बेड मीथेन (CBM)** जैसे अपरंपरागत हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण एवं दोहन की अनुमति देने संबंधी नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

VISION IAS

कोल बेड मीथेन (CBM) के बारे में

- यह कोयला संस्तरों में अधिशोषित प्राकृतिक गैस का अपरंपरागत रूप है। इसका निर्माण पादप पदार्थों के कोयले में रूपांतरण, **कोयलाकरण (coalification)** की प्रक्रिया के दौरान होता है।
- इसे खनन कार्य से पूर्व, दौरान अथवा पश्चात् **भूमिगत कोयले से प्राप्त किया जा सकता है।** इसे **"गैर-खनन योग्य" कोयला संस्तरों से भी निष्कर्षित किया जा सकता है,** जो अपेक्षाकृत गहन अथवा निम्नस्तरीय/असंगत गुणवत्ता वाला होता है।
- यह कोयला या फर्नेस ऑयल की तुलना में एक स्वच्छ और अधिक ऊर्जा दक्ष ईंधन है।
- पारंपरिक तेल और गैस के विपरीत CBM में उत्पादन उच्चतम बिंदु तक पहुंचने से पूर्व क्रमशः बढ़ता है। इसलिए, यह छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जिन्हें कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है।
- CBM के भंडार निम्नलिखित **12 राज्यों के कोयला संस्तर वाले क्षेत्रों** में पाए गए हैं, ये हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल।

POLICY CATEGORY	HELP	Pre-HELP
Types of hydrocarbon	Covers all conventional and unconventional oil and gas	NELP covered only conventional oil and gas; Coal Bed Methane Policy covered coal bed methane
License	A single license for exploration and extraction of all types of oil and gas	Separate license required for conventional oil and gas, coal bed methane, shale oil and gas, and gas hydrates
Revenue model	Revenue-sharing model under which revenue will be shared with the government in the ratio submitted by bidders	Production/profit-sharing model under which government received a share in the profits
Coverage	Open acreage policy under which exploration companies and can apply to explore any block not under exploration	Exploration was restricted to blocks opened for bidding by the government
Oil and gas pricing	Companies have the freedom to sell their production domestically without government intervention	Crude oil price was based on import parity; gas price was fixed by the government

शेल गैस (Shale Gas) के बारे में

- यह **शेल चट्टानों के मध्य फंसी (ट्रैप) एक प्रकार की प्राकृतिक गैस** है।
- एक वेलबोर के माध्यम से उपयुक्त द्रव प्रवाह के लिए ये **अपर्याप्त पारगम्य** होते हैं। अधिकांश शेल प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक स्रोत नहीं होते हैं, क्योंकि वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन करने के लिए फ्रैक्चरिंग की आवश्यकता होती है।
- हाल के वर्षों में **हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (फ्रैकिंग) में आधुनिक तकनीक** के कारण शेल गैस उत्पादन में तीव्रता आई है।
- 21वीं शताब्दी में अमेरिका **शेल क्रांति** का साक्षी रहा है। यह शेल निष्कर्षण के कारण प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है।
- **भारत ने शेल गैस अन्वेषण क्षेत्रों के रूप में 6 बेसिन की पहचान की है:** कैम्बे (गुजरात), असम-अराकान (उत्तर-पूर्व), गोंडवाना (मध्य भारत), कृष्णा-गोदावरी ऑनशोर/तट (पूर्वी तट), कावेरी ऑनशोर/तट और सिंधु-गंगा बेसिन।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) बनाम नवीन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (NELP)

संबंधित तथ्य

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात् **भारत में दूसरा सबसे बड़ा गैस हाइड्रेट भंडार** विद्यमान है।

गैस हाइड्रेट क्या हैं?

- प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स प्राकृतिक रूप से, महासागरों और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बर्फ सदृश प्राकृतिक गैस और जल के संयोजन हैं।
- इन्हें प्राकृतिक गैस के व्यापक संसाधनों के रूप में चिन्हित किया जाता है (सभी ज्ञात पारंपरिक गैस संसाधनों की मात्रा से भी अधिक होने का अनुमान)। ये महाद्वीपीय शेल्फ मार्जिन पर समुद्री अवसादों में पाए जाते हैं।
- अधिकांश गैस हाइड्रेट्स कृष्ण-गोदावरी और कावेरी बेसिन में मोटे कणों वाली बालू-समृद्ध निक्षेपण प्रणाली में पाए जाते हैं।

10.3. 'पेट्रोलियम' की परिभाषा में संशोधन

(Amendment In The Definition of 'Petroleum')

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में संशोधन कर 'पेट्रोलियम' को पुनः परिभाषित किया है।

नई परिभाषा में परिवर्तन

- पेट्रोलियम का अर्थ "प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला हाइड्रोकार्बन है, जो प्राकृतिक गैस के रूप में या तरल, चिपचिपे या ठोस रूप में, या इसके मिश्रण होते हैं, लेकिन इसमें पेट्रोलियम या कोयला या शेल के साथ प्राप्त होने वाला कोयला, लिग्नाइट और हीलियम शामिल नहीं हैं।"
- पुरानी परिभाषा में "मुक्त अवस्था" शब्दावली का उल्लेख था, जिसमें निजी अभिकर्ताओं द्वारा शेल के अन्वेषण पर प्रतिबंध लगाया गया था, यह केवल ONGC जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए आरक्षित था। 'मुक्त' शब्द को हटाकर, अब यह अवशोषित अवस्था वाले हाइड्रोकार्बन जैसे- शेल के अन्वेषण की भी अनुमति प्रदान करती है।

निहितार्थ

- यह संशोधन एक ही फील्ड में परंपरागत तेल एवं गैस, शेल, कोल बेड मीथेन एवं हाइड्रेट सहित सभी हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण की अनुमति प्रदान करेगा। यह नई **हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP)** के अनुरूप है।
- इससे हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा प्राप्त होगा, ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो और आयात को कम किया जा सके।

10.4. पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र

(Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Region)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने सूचित किया कि भारत में **पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र** (PCPIRs) ने औद्योगिक विकास के लिए निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

PCPIRs के बारे में

- PCPIR पेट्रोलियम, रसायनों व पेट्रो रसायनों की घरेलू उपभोग और निर्यात के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने हेतु समूह-आधारित विकास मॉडल पर आधारित है।
- क्लस्टर वस्तुतः उत्पादन इकाइयों, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, पर्यावरण संरक्षण-तंत्र और सामाजिक अवसंरचना का संयोजन होता है।

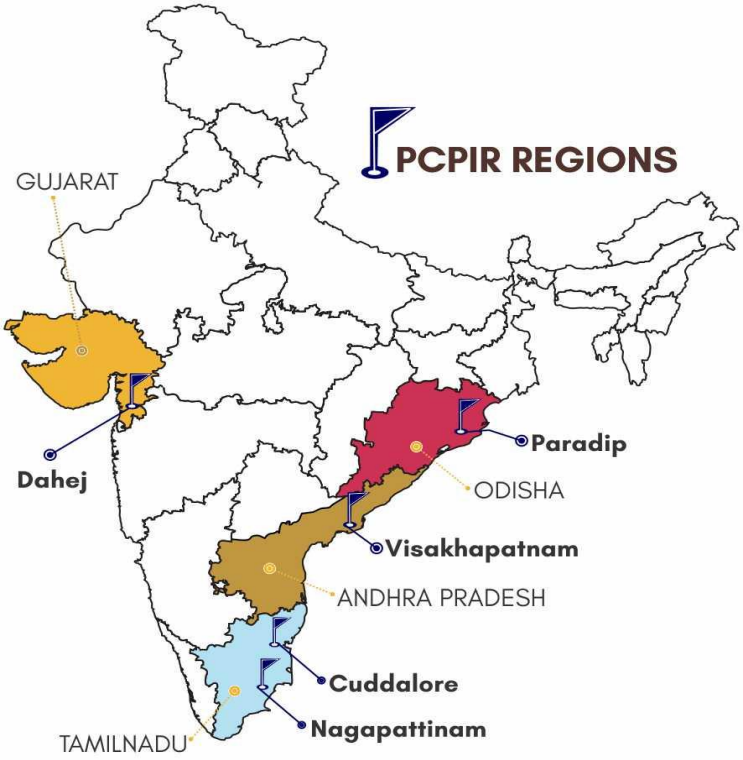

10.5. कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMSMS)

(Coal Mine Surveillance & Management System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (CMSMS) तथा 'खान प्रहरी' मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गयी है।

कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (CMSMS)

- CMSMS का मूल उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग, निगरानी और उपयुक्त कार्रवाई करना है।
- यह एक वेब आधारित GIS एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से अनधिकृत खनन हेतु साइटों की अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है।
- सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मुख्य प्लेटफार्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) का मानचित्र है जो ग्राम स्तर की सूचना प्रदान करता है।
- सिस्टम द्वारा उपग्रह डेटा का उपयोग उन परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया जाएगा, जिनके द्वारा आवंटित पट्टे क्षेत्र से बाहर की अनधिकृत खनन गतिविधि का पता लगाया जा सके और उन पर उचित कार्रवाई की जा सके।

खान प्रहरी

- यह अवैध कोयला खनन जैसे- रैट होल माईनिंग, कोयले की चोरी आदि से संबंधित किसी भी गतिविधि की रिपोर्टिंग हेतु एक साधन है।
- कोई भी व्यक्ति इन घटनाओं से संबंधित जिओ-टैग्ड तस्वीरों को टेक्स्ट सूचना के साथ सीधे सिस्टम पर अपलोड कर सकता है।

10.6. उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम

(Advanced Motor Fuels Technology Collaboration Programme: AMF-TCP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम** में एक सदस्य के रूप में भारत के शामिल होने के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया।

AMF-TCP के बारे में

- यह **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी** (IEA) का परिवहन से संबंधित एक प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम है।
- इसका लक्ष्य एक ऐसी **संधारणीय परिवहन प्रणाली** की स्थापना करना है जो उन्नत, वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ईंधनों का उपयोग करे तथा उत्सर्जनों को कम करने के साथ ही स्थानीय व वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों एवं वस्तुओं की गतिशीलता (आवागमन) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे।
- अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, चिली, इजराइल, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया आदि AMF-TCP के अन्य सदस्य देश हैं।

संबंधित तथ्य

कोयला स्वैपिंग योजना

- इसे निजी विद्युत उत्पादकों और गैर-विनियमित सीमेंट तथा इस्पात क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है।
- कोल इंडिया स्वैपिंग व्यवस्था के लिए नोडल एजेंसी होगी।
- कोयले की स्वैपिंग से कोयले की आपूर्ति लागत में कमी आएगी, जिससे सस्ती विद्युत का उत्पादन होगा।

VISION IAS

10.7. अन्य संबंधित जानकारी

(Other Related News)

10.7.1. शक्ति (भारत में पारदर्शिता के साथ कोयले के दोहन और आबंटन संबंधी योजना) योजना

(Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India: SHAKTI)

- यह कोयला लिंकेज की **नीलामी और आवंटन हेतु एक परिवर्तनकारी नीति** है। इस नीति के तहत, उन कोयला संयंत्रों जिनके पास पहले से ही आश्वासन-पत्र (LoAs) है, उन्हें ईंधन आपूर्ति समझौता (FSA) प्रदान किया जायेगा।
- कोयला लिंकेज राज्य-स्वामित्वाधीन विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को आबंटित किए जाएंगे।
- इनके द्वारा इसके बदले में आबंटन के माध्यम से राज्य या केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों को तथा नीलामी के माध्यम से निजी इकाइयों को लिंकेज प्रदान किये जायेंगे।
- नीलामी में भाग लेने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPPs) द्वारा विद्यमान प्रशुल्कों पर छूट प्राप्त करने हेतु बोली लगायी जाएगी तथा इसे सकल कोयला बिलों से समायोजित किया जाएगा।

10.7.2. उत्तम (अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाई थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल) ऐप

[UTTAM (Unlocking Transparency by Third Party Assessment of Mined Coal) App]

- इस ऐप का उद्देश्य **कोयले की गुणवत्ता की निगरानी प्रक्रिया** में पारदर्शिता और क्षमता सुनिश्चित करना है। उत्तम का अर्थ है – पारदर्शिता लाने हेतु खनन द्वारा प्राप्त कोयले का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन।
- यह ऐप तीसरे पक्ष की सैम्पलिंग को कवरेज प्रदान करती है,जिसमें कोयले के उत्पादन, प्रेषण और नमूने के रूप में प्रयुक्त मात्रा से संबंधित सूचना शामिल होती है।
- यह गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर खनन किए गए कोयले से संबंधित सूचना प्रदान करेगा जैसे कि घोषित सकल ऊष्मीय मान (Gross calorific value: GCV),विश्लेषित GCV तथा अवस्थिति और नमूने की मात्रा जैसे कवरेज मानदंड।

10.7.3. पतरातू सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट

(Patratu Super Thermal Power Project)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने झारखंड में **पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट** के पहले चरण की आधारशिला रखी।

- सुपर थर्मल पावर प्लांट्स 1,000 मेगावॉट और उससे अधिक की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट्स की एक शृंखला है।
- अल्ट्रा-मेगावॉट पावर प्रोजेक्ट्स 4,000 मेगावॉट या उससे अधिक की क्षमता वाले पावर प्रोजेक्ट्स हैं।

10.7.4. राष्ट्रीय गैस ग्रिड

(National Gas Grid)

- राष्ट्रीय गैस ग्रिड का लक्ष्य **पाइपलाइन अवसंरचना के नेटवर्क** का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य गैस स्रोत केन्द्रों को **प्रमुख मांग वाले केंद्रों** से जोड़ना, **सिटी गैस वितरण नेटवर्क** को विकसित करना और प्राकृतिक गैस तक पहुंच के समक्ष विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
- **सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क:** यह एक **निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (GA)** में स्थित घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों तथा CNG स्टेशनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु अंतर्संबंधित पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है। CGD नेटवर्क का विकास ट्रंक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी या गैस स्रोतों की उपलब्धता और GA में तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जा रहा है।

VISION IAS

10.7.5. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना

(Pradhan Mantri Urja Ganga Project)

- सरकार द्वारा देश के पूर्वी भाग में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना की शुरूआत की गई है। यह गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के 40 जिलों से होकर गुजरेगी।
- यह एक **2-चरणीय परियोजना** (जिसे **जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो धामरा** प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (JHBDPL) के रूप में भी जाना जाता है) है जिसका शुभारम्भ 2016 में किया गया था और इसके अंतर्गत **2655 किलोमीटर** लंबी पाइपलाइनों को कवर किया जाएगा।
- इस परियोजना के द्वारा न केवल वाहनों को CNG और अपने मार्ग में स्थित शहरों के घरों को खाना पकाने हेतु गैस की आपूर्ति की जाएगी, बल्कि उद्योगों को उनके फीडस्टॉक या ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाएगी।

11. खनिज (Minerals)

11.1. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019

(National Mineral Policy, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

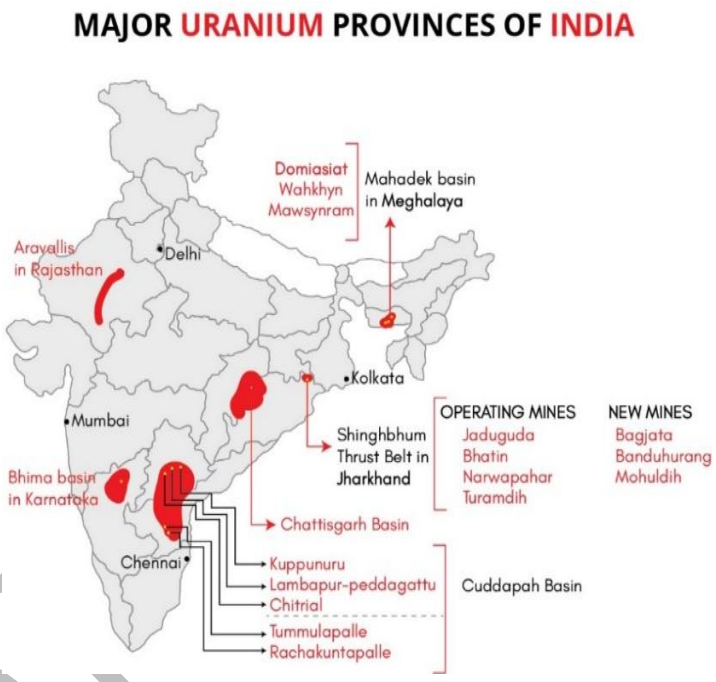

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की मुख्य विशेषताएं

- निजी क्षेत्रक को अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **आवीक्षण अनुज्ञापत्र और पूर्वेक्षण लाइसेंस (RP/PL) धारकों के लिए राईट टू फर्स्ट रिफ्यूजल के अधिकार की शुरुआत।**
- खनन संस्थाओं के **विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन** तथा खनन पट्टों का **हस्तांतरण।**
- निजी क्षेत्रक के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए **समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण।**
- निजी क्षेत्रक के लिए खनन के वित्तपोषण को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए यह **खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा प्रदान करता है।**
- **खनिजों के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति** निजी क्षेत्र को बेहतर योजना बनाने और व्यवसाय में स्थिरता लाने में सहायता करेगी।
- **यह सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों को प्रदत्त आरक्षित क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाता है।** ऐसे **आरक्षित क्षेत्र** जिनका उपयोग नहीं किया गया है, उनकी नीलामी को संभव बनाया गया है। इससे निजी क्षेत्र को भागीदारी हेतु अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
- **इंटर जनरेशनल इक्विटी की अवधारणा को अपनाया गया है** जो न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि अगली पीढ़ियों के कल्याण से संबंधित है।
- **ई-शासन का समावेशन-** IT सक्षम प्रणालियों, जागरूकता और सूचना अभियान सम्मिलित किए गए हैं।
- **जलमार्गों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है-** खनिजों की निकासी और परिवहन के लिए तटीय जलमार्ग एवं अंतर्देशीय नौवहन का प्रयोग।
- यह मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को प्रतिस्थापित करती है।

11.2. भारत में यूरेनियम

(Uranium In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक संसदीय पैनल ने संस्तुति की है कि भारत में यूरेनियम की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने हेतु यूरेनियम की नई खानें खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

भारत में यूरेनियम का खनन

- वर्तमान में, घरेलू उत्पादन के लिए यूरेनियम का अधिकाँश भाग **झारखंड के जादूगोड़ा की खानों** से प्राप्त होता है।
- भारत, वर्तमान में कज़ाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस और रूस से यूरेनियम का आयात करता है। हाल ही में भारत ने उज़्बेकिस्तान से यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत में, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत **यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड** (UCIL) व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए यूरेनियम अयस्क के खनन और प्रसंस्करण हेतु उत्तरदायी एकमात्र संगठन है।
- UCIL द्वारा प्राप्त यूरेनियम का उपयोग हथियारों और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों दोनों के लिए किया जाता है। आयातित यूरेनियम का उपयोग केवल असैनिक परमाणु ऊर्जा उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- **परमाणु खनिज निदेशालय (AMD)** भारत में परमाणु खनिज भंडार के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए उत्तरदायी है –विशेष रूप से, परमाणु कार्यक्रम के विकास के लिए आवश्यक यूरेनियम संसाधनों के दोहन हेतु।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW 8468022022

11.3. जिला खनिज संस्थान

(District Mineral Foundation: DMF)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **विज्ञान और पर्यावरण केंद्र** (Centre for Science and Environment: CSE) ने 'डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) स्टेटस रिपोर्ट, 2018' जारी की है। इसमें DMF योजना के कार्यान्वयन में कई कमियों को रेखांकित किया गया है।

DMFs के बारे में

- **DMF की स्थापना खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 {MMDR (Amendment) Act, 2015}** के तहत प्रत्येक खनन जिले में एक गैर-लाभकारी न्यास के रूप में की गई है।
- खनिकों को अपनी रॉयल्टी का एक हिस्सा खनन प्रभावित लोगों के कल्याण हेतु प्रदान करना होता है ताकि वे भी अपने क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों से लाभान्वित हो सकें।
- **इनका परिभाषित उद्देश्य, विशिष्ट लाभार्थी और भौगोलिक क्षेत्र (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों) है तथा इनके द्वारा 'उच्च प्राथमिकता' वाले क्षेत्रों** (जैसे- पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा आदि) **पर ध्यान केन्द्रित किया गया है**।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के संबंध में

- जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) द्वारा सृजित धनराशि का उपयोग खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और **लोगों के कल्याण हेतु किया जाएगा।**
- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास और कल्याणकारी परियोजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करना। ये परियोजनाएं/कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक होंगे;
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक संधारणीय आजीविका सुनिश्चित करना।

11.4. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास

(National Mineral Exploration Trust: NMET)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खनन मंत्रालय ने फरवरी माह में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) का लेखा परीक्षण करने का आदेश दिया।

NMET के बारे में

- NMET **राज्य-संचालित एक गैर-लाभकारी निकाय** है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में प्रादेशिक और विस्तृत खनिज अन्वेषण को प्रोत्साहित करना है। केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत NMET की स्थापना की।
- NMET एक **दो-स्तरीय संगठन** है। शासी निकाय (GB) इसका शीर्ष निकाय है, जिसका अध्यक्ष खनन मंत्री होता है। यह ट्रस्ट का समग्र नियंत्रण रखता है। खनन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (EC) न्यास की गतिविधियों को प्रशासित एवं प्रबंधित करती है।
- विधि के अनुसार एक खनन पट्टा धारक या संयुक्त लाइसेंस धारक द्वारा NMET को संबंधित राज्य सरकार को भुगतान के लिए वार्षिक रॉयल्टी के 2% के समान धनराशि का भुगतान करना होता है।

VISION IAS

12. विविध जानकारियां (Miscelleneous Tit Bits)

12.1. संयुक्त राष्ट्र-भारत व्यापार मंच

(UN India Business Forum: UNIBF)

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र-भारत व्यापार मंच और नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म ने स्टार्ट-अप निवेश में लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए एक कंसोर्टियम का गठन किया।
- यू.एन. इंडिया बिजनेस फोरम (UNIBF) भारत के व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों, सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र का एक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य भारत के विकास को गति प्रदान करना और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना है।
- HDFC, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अंबुजा सीमेंट, टाटा हाउसिंग, लिंक्डइन वित्तीयन के प्रमुख साझेदारों में आदि शामिल हैं।

12.2. वित्तीय आसूचना इकाई- भारत

(Financial Intelligence Unit – India)

- वित्तीय आसूचना इकाई- भारत (FIU) द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अग्रेषित संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) की संख्या में वित्त वर्ष 2017 की तुलना में वित्त वर्ष 2018 के दौरान 13% की वृद्धि हुई है।
- FIU एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है, जिसे आतंकवादियों के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय आसूचना को एकत्र करने, विश्लेषण और प्रसार के साथ अधिदेशित किया गया है।
- FIU एक नियामक प्राधिकरण नहीं है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व विनियामक संस्थाओं जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) आदि के साथ वित्तीय आसूचना एकत्र करना एवं साझा करना है।
- यह वर्ष 2004 में स्थापित किया गया तथा यह वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करती है।

12.3. डिजिटल नॉर्थ-ईस्ट विजन 2022

(Digital North-East Vision 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने **'डिजिटल नॉर्थ ईस्ट: विजन 2022'** जारी किया। इसका लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीवन में रूपांतरण लाने और जीवन की सुगमता को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** के तहत आरम्भ 'डिजिटल नॉर्थ ईस्ट: विजन 2022' को **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा समन्वित किया जाएगा तथा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।
- यह दस्तावेज़ **आठ डिजिटल महत्वपूर्ण क्षेत्रों** की पहचान करता है - डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहन, IT और IT सक्षम सेवाओं (BPOs सहित) को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान, नवाचार एवं स्टार्टअप तथा साइबर सुरक्षा।

12.4. मोबिलाइज योर सिटी

(Mobilize Your City: MYC)

- भारत एवं फ्रांस द्वारा "मोबिलाइज योर सिटी" (MYC) के क्रियान्वयन हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
- मोबिलाइज योर सिटी (MYC) **फ्रांस तथा जर्मनी की सरकारों** द्वारा समर्थित एक अंतरराष्ट्रीय पहल का भाग है, जिसे **वर्ष 2015 में 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP21) के दौरान लांच किया गया था।**
- यूरोपीय संघ द्वारा AFD (फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी) के माध्यम से 3.5 मिलियन यूरो का फंड प्रदान किया किया जाएगा ताकि **संधारणीय शहरी परिवहन के विकास** के विकास हेतु विशिष्ट निवेश एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके।

VISION IAS

12.5. स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग इंडेक्स, फॉरवर्ड-स्टार्टिंग, इनकम-ओनली सिक्योरिटीज- सेल्फी

(Standard of Living Indexed, Forward-Starting, Income-Only Securities - SELFIES)

- SeLFIES की अवधारणा को नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सी मेर्टन द्वारा अपने नवीनतम शोध में विकसित किया गया था।
- यह एक सरकारी बॉन्ड है जो एक औसत व्यक्ति को अपनी सेवानिवृत्ति को लक्षित करने की सुविधा देता है। इसके तहत निश्चित वर्षों के पश्चात, निश्चित वर्षों के लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है।
- भुगतान को एक लिविंग इंडेक्स के मानक के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा जिससे क्रेता की जीवन शैली में गिरावट नहीं आएगी और उस पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होगा।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड का लक्ष्य **पाइपलाइन अवसंरचना के नेटवर्क** का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य गैस स्रोत केन्द्रों को **प्रमुख मांग वाले केंद्रों** से जोड़ना, **सिटी गैस वितरण नेटवर्क** को विकसित करना और प्राकृतिक गैस तक पहुंच के समक्ष विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
- **सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क:** यह एक **निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (GA)** में स्थित घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों तथा CNG स्टेशनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु अंतर्संबंधित पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है। CGD नेटवर्क का विकास ट्रंक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी या गैस स्रोतों की उपलब्धता और GA में तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जा रहा है।

12.6. डेटा स्थानीयकरण

(Data Localisation)

- RBI ने एक परिपत्र जारी कर यह अनिवार्य कर दिया है कि भुगतान डेटा को केवल भारत में ही संग्रहीत (स्टोर) किया जाए।
- डेटा स्थानीयकरण की इस अवधारणा के अनुसार किसी देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को उस देश में ही संसाधित और संग्रहीत किया जाना चाहिए। हालांकि, इससे संबंधित कुछ निर्देश जहाँ डेटा के ऐसे प्रवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देते हैं, वहीं अन्य निर्देशों में थोड़ा लचीलापन अपनाते हुए सशर्त डेटा साझाकरण या डेटा मिररिंग की अनुमति प्रदान की जाती हैं तथा इस हेतु मेजबान देश में इसकी केवल एक प्रतिलिपि संग्रहीत की जाती है।
- **नागरिकों के डेटा, डेटा गोपनीयता, डेटा संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के आर्थिक विकास को सुरक्षित करने** के लिए डेटा स्थानीयकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है।
- ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति में डेटा स्थानीयकरण का भी प्रावधान किया गया है।

12.7. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Economics)

सुर्खियों में क्यों?

- अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम नॉर्डहॉस और पॉल रोमर को संयुक्त रूप से इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने यह समझने की दिशा में कार्य किया कि किस प्रकार आर्थिक संवृद्धि के साथ नवाचार तथा जलवायु के एकीकरण द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का संधारणीय विकास हो सकता है।
- **विलियम नॉर्डहॉस** ने एक मात्रात्मक मॉडल प्रस्तावित किया है जो अर्थव्यवस्था एवं जलवायु के मध्य अन्योन्य क्रिया का वर्णन करता है। नॉर्डहॉस का मानना है कि सरकारी हस्तक्षेपों (जैसे- पेट्रोल, डीजल आदि पर उच्च कर) के माध्यम से प्रदूषण फ़ैलाने वाले संसाधनों (जैसे- ईंधन) की उचित कीमत सुनिश्चित करके जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित किया जा सकता है।
- **पॉल रोमर** के अनुसार तकनीकी नवाचार एवं श्रमबल की कुशलता (कौशल) ही संधारणीय विकास के वास्तविक स्रोत हैं। **रोमर** ने प्रौद्योगिकी में संवर्धित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी, पेटेंट तथा अन्य रूपों में किये जाने वाले सरकारी हस्तक्षेप की अनुशंसा की है।

12.8. विद्यालक्ष्मी पोर्टल

(Vidyalakshmi Portal)

- नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (NSDL) की रिपोर्ट के अनुसार 29 जुलाई 2018 तक विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर 6 महीने से अधिक समय से 22119 आवेदन लंबित हैं।
- यह छात्रवृत्ति और शैक्षिक ऋण के लिए छात्रों को सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करने हेतु **प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम** के अंतर्गत एक आईटी-आधारित तंत्र है।

- इसका उद्देश्य सभी निर्धन और मध्यम वर्ग के छात्रों को बिना धनाभाव के अपनी पसंद की उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम बनाना है।
- यह वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के मार्गदर्शन में NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और प्रबंधित है।
- यह पोर्टल **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से लिंकेज** भी प्रदान करता है|

12.9. संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार

(UN Investment Promotion Award)

- हाल ही में, **इन्वेस्ट इंडिया संस्था** को '**संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार**' प्रदान किया गया है।
- **"संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार" के बारे में -** यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 2002 से UNCTAD द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निवेश संवर्द्धन एजेंसियों को सम्मानित करना एवं निवेश संवर्द्धन में उत्कृष्ट प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है।
- **इन्वेस्ट इंडिया के बारे में -** यह भारत की निवेश संवर्द्धन और सुविधा प्रदाता एजेंसी है। इसे औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (DIPP) के तहत एक गैर-लाभकारी निवेश उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। यह भारत में टिकाऊ निवेश को सक्षम बनाने हेतु **क्षेत्र-विशिष्ट निवेशकों को लक्षित** करने तथा नई साझेदारियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- **इन्वेस्ट इंडिया** को यह पुरस्कार भारत में ब्लेड विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में विश्व की एक प्रमुख विंड टरबाइन कंपनी को समर्थन प्रदान करने के इसके प्रयासों हेतु प्रदान किया गया है। कंपनी द्वारा स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा 1 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत उत्पादन करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी पूर्ण किया गया है।

12.10. समाधान पोर्टल

(Samadhan Portal)

- हाल ही में **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** ने समाधान (**सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल, हैंडलिंग ऑफ़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स**) पोर्टल लॉन्च किया है।
- यह औद्योगिक विवादों के समाधान, मध्यस्थता और अधिनिर्णयन हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल है।

12.11. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना

(National Rural Economic Transformation Project)

- हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना हेतु 250 मिलियन डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह परियोजना जुलाई 2011 में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित 500 मिलियन डॉलर की **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना** (NRLP) हेतु एक **अतिरिक्त वित्तपोषण** है।
- वित्त तक पहुँच के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर यह **ग्रामीण निर्धन महिलाओं और युवाओं** हेतु **उद्यम विकास कार्यक्रमों** को समर्थन प्रदान करेगा। यह दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के साथ समन्वय में **युवाओं के कौशल विकास** को भी समर्थन प्रदान करेगा। NRLP के तहत एक सफल रणनीति **पीयर-टू-पीयर लर्निंग** का भी इस परियोजना में उपयोग जारी रहेगा।

12.12. पैसा पोर्टल

(Paisa Portal)

- हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा **वहनीय ऋण और ब्याज अनुदान तक पहुंच के लिए** एक वेब पोर्टल का शुभारम्भ किया गया, जिसे **'पैसा'** (Portal for Affordable Credit and Interest Subvention Access: PAiSA) नाम दिया गया है।
- इस पोर्टल को इलाहाबाद बैंक द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया तथा अनुमानित है कि सभी राज्य, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एवं सहकारी बैंक इससे जुड़ेंगे।
- यह पोर्टल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NUML) के तहत लाभार्थियों के बैंक ऋणों पर ब्याज अनुदान को प्रसंस्कृत करने हेतु एक केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
- यह सरकार को लाभार्थियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा ताकि सेवाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

VISION IAS

12.13. स्वायत्त एवं स्टार्ट-अप रनवे

(Swayatt & Start-Up Runway)

- हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने **'स्वायत्त' पहल** और **गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) स्टार्ट-अप रनवे** पहल का शुभारंभ किया ।
- **'स्वायत्त'** गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर ई-लेन-देन के माध्यम से **स्टार्ट-अप्स, महिलाओं और युवाओं के लाभ को** बढ़ावा देने की एक पहल है।
  - यह भारतीय उद्यमशीलता परिवेश के भीतर प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय खरीद पोर्टल **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लस** पर एक साथ लाएगा।
- **GeM स्टार्ट-अप रनवे**, स्टार्ट-अप इंडिया एवं गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लस (GeM) की एक संयुक्त पहल है, जो स्टार्ट-अप इंडिया के साथ पंजीकृत स्टार्ट-अप्स को सार्वजनिक खरीद बाजार तक पहुँच प्राप्त करने तथा सरकारी खरीदारों को नवीन उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करने में सहायता करती है।
  - यह स्टार्ट-अप्स बाजार परीक्षण (मार्केट ट्रायल) करने, समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करने, वास्तविक उत्पाद प्राप्त करने, मूल्यों की तुलना और बाजार मूल्यांकन का अवसर प्रदान करेगा।

12.14 री-वीव.इन

(Re-Weave.In)

- हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने **प्रोजेक्ट री-वीव** के अंतर्गत एक नया ई-कॉमर्स **प्लेटफॉर्म re-weave.in** लॉन्च किया है।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म **बुनकर समुदायों द्वारा निर्मित विशिष्ट पारंपरिक डिजाइन को मंच प्रदान करता है, जो प्राकृतिक रंगों से निर्मित पारम्परिक डिज़ाइन एवं उत्पादों को प्रदर्शित करता है।**
- **प्रोजेक्ट री-वीव** को 2016 में विशाखापट्टनम स्थित गैर-लाभकारी संगठन चैतन्य भारती के साथ साझेदारी से लॉन्च किया गया था ताकि **राज्य में पारंपरिक हथकरघा कला शैलियों के पुनरुद्धार को सुनिश्चित किया जा सके।**

12.15 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

(National Statistical Commission)

- हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के अध्यक्ष एवं सदस्य ने सरकार के साथ मौजूदा मतभेदों के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।
- डॉ. सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर 2005 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में NSC की स्थापना की गई थी।
- यह देश के सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक नोडल संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसमें सांख्यिकीय मानकों को विकसित करना, निगरानी करना और लागू करना तथा इससे जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के मध्य सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है।
- आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, 4 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं, साथ ही नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका पदेन सदस्य है।
- भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् आयोग के सचिव के रूप में कार्य करता है। वह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव भी होता हैं।

12.16. ट्रेन-18

(Train -18)

- हाल ही में, भारतीय रेलवे ने 180 किमी/घंटा की गति सीमा वाली ट्रेन-18 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- यह भारत में स्वदेशी रूप से विकसित उच्च-तकनीकी युक्त एवं ऊर्जा-दक्ष, प्रथम स्व-चालित (**लोकोमोटिव इंजन के बिना**) ट्रेन है।
- यह 2019 में दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलायी जाएगी।
- इसका निर्माण **मेक इन इंडिया** पहल के तहत इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा किया गया है।

VISION IAS

13. रिपोर्ट्स / सूचकांक (Reports / Indices)

रिपोर्ट्स/सूचकांक	प्रासंगिक विवरण
व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, 2018 (Trade and Development Report 2018)	• **संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेन्स ऑन ट्रेड एण्ड डवलपमेंट: UNCTAD)** द्वारा जारी की जाती है। • 2018 की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक संवृद्धि "अनियमित" (spasmodic) है तथा कई अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन का स्तर उनकी **परिचालनात्मक क्षमता से निम्न** है।
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report); अक्टूबर 2018 के रिपोर्ट का **शीर्षक- "**वैश्विक वित्तीय संकट के एक दशक उपरांत: क्या हम सुरक्षित हैं?" (A decade after the Global Financial Crisis: Are we safer?)	• **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** द्वारा जारी की जाती है। ○ यह **वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक** भी प्रकाशित करता है। • रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वित्तीय संकट के एक दशक उपरांत **बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हुई है,** परन्तु **कुछ जोखिम भी घनीभूत** हुए हैं, जैसे- व्यापार तनावों में वृद्धि, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव आदि।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक 4.0 (Global Competitive Index 4.0)	• **विश्व आर्थिक मंच** द्वारा जारी। यह निम्नलिखित रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है:
	  ○ वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risks Report)
	  ○ वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
	• यह सूचकांक एक संयुक्त संकेतक है जो किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादकता के स्तर को निर्धारित करने वाले कारकों के समुच्चय का आंकलन करता है। प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं-
	  ○ इस सूचकांक में **संयुक्त राज्य अमेरिका** शीर्ष पर है तथा इसके पश्चात् सिंगापुर और जर्मनी का स्थान आता है।
	  ○ ब्रिक्स (BRICS) अर्थव्यवस्थाओं में चीन 28वें स्थान के साथ शीर्ष पर है तत्पश्चात रूस (43वां), भारत (58वां), दक्षिण अफ्रीका (67वां) तथा ब्राज़ील (72वां) का स्थान आता है।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक-2018 (Multidimensional Poverty Index-2018)	• इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** तथा **ऑक्सफ़ोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI)** द्वारा जारी किया जाता है। • यह एक परिवार में **10 संकेतकों** के आधार पर **शिक्षा, स्वास्थ्य** और **जीवन स्तर** में **विविध वंचनाओं का मापन** करता है। एक व्यक्ति को तब बहुआयामी रूप से निर्धन (या 'MPI पुअर') माना जाता है जब वह इन **आयामों के कम से कम एक-तिहाई में वंचित हो जाता है।** • **वैश्विक MPI** को **UNDP** और **OPHI** द्वारा वर्ष 2010 में UNDP के फ्लैगशिप मानव विकास रिपोर्ट (HDR) में इन संकेतकों का समावेशन कर विकसित किया गया था। तब से इसे HDR में प्रकशित किया जा रहा है। • यद्यपि बहुआयामी निर्धनता का भार लगभग आधा हो गया है, तथापि विश्व में बहुआयामी निर्धनता में जीवनयापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में विद्यमान है।

VISION IAS

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index: HDI)	• इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा जारी किया जाता है। HDI की गणना निम्नलिखित संकेतकों के माध्यम से की जाती है: ○ **स्वास्थ्य:** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ○ **शिक्षा:** स्कूल जाने योग्य बच्चों हेतु स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष तथा वयस्क जनसँख्या में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। ○ **आय:** अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) का मापन। • वर्ष 1990 से 2017 के मध्य **भारत का HDI मान 0.427 से बढ़कर 0.640** हो गया है तथा इससे भारत को **मध्यम मानव विकास वर्ग** में स्थान प्राप्त हुआ है। HDI-2018 में भारत को **189 देशों में से 130वां** स्थान प्राप्त हुआ है। • भारत में **जीवन प्रत्याशा 57.9 वर्ष (1990)** से बढ़कर **68.8 वर्ष (2017)** हो गई है। • **PPP** के आधार पर भारत की **प्रति व्यक्ति आय** वर्ष 1990 के **1,733 डॉलर से** बढ़कर 2017 में **6,353 डॉलर हो गयी** (267% की वृद्धि)। • **स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष** 1990 के **7.6 वर्षों** से बढ़कर वर्ष 2017 में **12.3 वर्ष** हो गए हैं। • हालांकि विकास का विस्तार समान रूप से नहीं हुआ है, क्योंकि भारत की **आय असमानता 18.8% के सर्वोच्च बिंदु** पर है। वास्तव में, असमानता के अनुसार संशोधित करने पर भारत का HDI मान 26.8% घटकर 0.468 हो जाता है।
'पावर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2018: पीसिंग टुगेदर द पावर्टी पजल	• **विश्व बैंक** द्वारा जारी। • अत्यधिक निर्धनता (प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम आय) में जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 1990 के 36% से कम हो कर वर्ष 2015 में 10% पर आ गया। • शेयर्ड प्रोस्पेरिटी (साझी समृद्धि) को **जनसँख्या के 40% निर्धनतम लोगों के औसत आय या उपभोग में वृद्धि के रूप में** परिभाषित किया गया है। वैश्विक स्तर के बजाय राष्ट्र के स्तर पर इसकी जांच की जाती है।
मानव पूँजी सूचकांक (Human Capital Index)	• हाल ही में **विश्व बैंक** द्वारा पहला **मानव पूँजी सूचकांक (HCI)** जारी किया गया। HCI वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट (WDR) का एक भाग है। • यह **मानव पूंजी** का परिमाणात्मक मापन है, जिसका वर्तमान में जन्मा एक शिशु 18 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है। यह पूर्ण शिक्षा और सम्पूर्ण स्वास्थ्य के एक बेंचमार्क की तुलना में श्रमिकों की आगामी पीढ़ी की उत्पादकता को व्यक्त करता है। • विश्व बैंक द्वारा जारी अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स निम्नलिखित हैं: ○ ग्लोबल इकॉनमिक प्रोस्पेक्ट (GEP) रिपोर्ट ○ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट

VISION IAS

रेगुलेटरी इंडीकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (RISE) 2018	• **विश्व बैंक समूह** द्वारा जारी। • यह द्वितीय संस्करण है (प्रथम संस्करण वर्ष 2016) • यह नीतियों और विनियमों की एक वैश्विक सूची है जो **SDG7** (विद्युत् तक पहुंच, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और क्लीन कुकिंग) की प्राप्ति की दिशा में कार्य करता है। • RISE सूचकांकों के अंतर्गत समान भारांश वाले तीन क्षेत्र सम्मिलित हैं: सार्वभौमिक पहुँच, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता
ईज ऑफ़ डूइंग बिसनेस	• **विश्व बैंक** द्वारा जारी। • **भारत, विश्व बैंक के ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस (EoDB) इंडेक्स 2018** में 23 पायदान ऊपर पहुँच गया है अर्थात् 190 देशों में से भारत ने **77वां** स्थान प्राप्त किया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में भारत का स्थान 100वां था। • डूइंग बिज़नस रिपोर्ट देशों को **डिस्टेंस टू फ्रंटियर (DTF)** के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। यह एक स्कोर है जो एक अर्थव्यवस्था के विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं से अन्तराल को दर्शाता है। • इस वर्ष (2018) भारत लगातार दो वर्षों तक शीर्ष 10 सुधारकों की सूची में शामिल हुआ है तथा इस सूची में शामिल होने वाला **ब्रिक्स (BRICS) का एकमात्र देश है।** भारत ने वर्ष 2014 (142वाँ) से वर्ष 2018 (77वाँ) के मध्य अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है।
ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस रैंकिंग फॉर स्टेट्स	• DPIIT (पूर्ववर्ती DIPP) अर्थात् उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा जारी। • **DPIIT और विश्व बैंक** द्वारा संचालित **बिज़नस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP)** के तहत सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक रैंकिंग के **तीसरे संस्करण** में आंध्र प्रदेश व्यवसाय करने की सुगमता में शीर्ष पायदान पर है, इसके पश्चात् तेलंगाना, हरियाणा, झारखण्ड और गुजरात का स्थान आता है, जबकि मेघालय अंतिम (36वें) पायदान पर है। • यह रैंकिंग निवेश आकर्षित करने तथा व्यवसाय के परिवेश में सुधार करने हेतु राज्यों के मध्य **सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को तीव्र करने के उद्देश्य** के साथ प्रारम्भ की गई थी। **BRAP के बारे में** • इसका उद्देश्य एक सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी रीति में केंद्र सरकार के विभिन्न विनियामकीय कार्यों और सेवाओं की **आपूर्ति** में **सुधार** करना है। • राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने श्रम, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, सिंगल विंडो सिस्टम, निर्माण परमिट्स, अनुबंध प्रवर्तन, संपत्तियों का पंजीकरण और जांच आदि जैसे क्षेत्रों में अपने विनियमों और प्रणालियों में सुगमता हेतु सुधार किये हैं।
ईज ऑफ़ लिविंग इंडेक्स	• **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** द्वारा जारी। • ईज ऑफ़ लिविंग फ्रेमवर्क के चार स्तम्भ हैं, यथा- **संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक।** इन्हें आगे 15 श्रेणियों के अंतर्गत 78 संकेतकों में बाँटा किया गया है। • समग्र रैंकिंग के शीर्ष 5 शहरों द्वारा प्रत्येक उप-संकेतकों में सर्वोच्च स्थिति

VISION IAS

	अधिग्रहित की गई है: नवी मुंबई ने **संस्थागत उप-सूचकांक** में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, तिरुपति ने **सामाजिक उप-सूचकांक** में, चंडीगढ़ ने **आर्थिक उप-सूचकांक** में तथा ग्रेटर मुंबई ने **भौतिक उप-सूचकांक** में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं तथा कुल मिलाकर भारत में निवास योग्य सर्वोत्तम शहर **पुणे** है। • 'ईज ऑफ़ लिविंग इंडेक्स' रैंकिंग में राज्यों के मध्य आंध्र प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 (States' Start-Up Ranking 2018)	• **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DIPP)** द्वारा जारी। • **गुजरात को सर्वोत्तम प्रदर्शनकर्ता** और कर्नाटक, केरल, ओडिशा एवं राजस्थान को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता का स्थान प्रदान किया गया है। • सरकार ने यह पहल वर्ष 2016 में प्रारम्भ की थी। इसका उद्देश्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को उनके प्रदेशों में **स्टार्ट-अप सम्बन्धी परिवेश को सुदृढ़ करने की ओर अग्र-सक्रिय कदम उठाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना है।**
गवर्नमेंट ई-पेमेंट्स एडॉप्शन रैंकिंग (GEAR)	• **द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट** द्वारा जारी। • ई-भुगतानों के सरकारी अभिग्रहण (गवर्नमेंट ई-पेमेंट्स एडॉप्शन) के मामले में भारत की समग्र रैंकिंग वर्ष 2011 के 36वें स्थान से सुदृढ़ हो कर **वर्ष 2018 में 28वीं** हो गई है। • GEAR एक वैश्विक सूचकांक है जो यह जाँच करता है कि सम्पूर्ण विश्व की सरकारें किस प्रकार डिजिटल भुगतानों को अपना रही हैं।
अन्य रिपोर्ट्स	• **वर्ल्ड इकॉनमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस (WESP) 2019:** ○ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपेक्षित प्रवृत्तियों पर संयुक्त राष्ट्र का फ्लैगशिप प्रकाशन। ○ WESP के प्रकाशन में शामिल संयुक्त राष्ट्र अभिकरण हैं: UN डिपार्टमेंट ऑफ़ इकॉनमिक एंड सोशल अफेयर्स (DESA), संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) तथा संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोग। • **वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक (Global Talent Competitiveness Index):** भारत को 125 देशों में से 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। ○ इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2013 में जारी किया गया था। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन **एडेक्को (Adecco) ग्रुप और टाटा कम्युनिकेशन** की सहभागिता में **INSEAD** द्वारा किया जाता है। ○ यह मापन करता है कि कैसे देश और शहर वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा परिदृश्य को समझने तथा अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतियों के विकास हेतु नीति निर्माताओं के लिए एक अद्वितीय संसाधन प्रदान करते हुए प्रतिभा में वृद्धि और उसे आकर्षित करते हैं तथा उसे कैसे बनाए रखते हैं। • **वर्क फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के **ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ़ वर्क** द्वारा जारी।

VISION IAS

	○ इस ग्लोबल कमीशन की स्थापना ILO के **फ्यूचर ऑफ़ वर्क इनिशिएटिव** के तहत की गई थी। ○ **फ्यूचर ऑफ़ वर्क इनिशिएटिव:** इसे क्रियाशील विश्व में हुए परिवर्तनों द्वारा प्रस्तुत नवीन चुनौतियों को समझने और उनके प्रति प्रतिक्रिया हेतु **वर्ष 2015** में **ILO** द्वारा प्रारम्भ किया गया था। • **स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड फिशरीज़ रिपोर्ट-** संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी। ○ यह द्विवार्षिक रिपोर्ट FAO के आधिकारिक विश्व मत्स्यन और एक्वाकल्चर आंकड़ों को प्रस्तुत करती है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS